खण्ड-222, अंक-9
बुधवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1883
(19 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२६

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगनाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महदूमद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)

रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवभंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डाक्टर आर० पी० सिंह को गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में नियुक्त करने का विरोध

१—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल के पद पर अभी हाल ही में गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल के भूतपूर्व प्रिन्सिपल श्री आर० पी० सिंह नियुक्त किये गये हैं ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं।

२—श्री महावीरप्रसाद शुक्ल**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त श्री आर० पी० सिंह का प्रार्थना-पत्र सीधे प्राप्त हुआ था अथवा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था ? यदि सीधे आया तो क्या उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति सीधे प्रार्थना-पत्र भेजने के लिये प्राप्त की थी ?

श्री धर्मसिंह—गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल के पद के लिये चुनाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हुआ था। आयोग के पास प्रार्थना-पत्र आये थे। यह नहीं कहा जा सकता कि श्री आर० पी० सिंह का प्रार्थना-पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया था या नहीं।

३—श्री महावीरप्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त श्री आर० पी० सिंह के विरुद्ध उपर्युक्त गांधी मेडिकल कालेज की कतिपय छात्राओं ने दुर्व्यवहार सम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाया है जिनकी उक्त सरकार द्वारा जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वे आरोप क्या हैं तथा उनकी जानकारी सरकार को कब हुई ?

श्री धर्मसिंह—श्री आर० पी० सिंह के विरुद्ध गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल की कतिपय छात्राओं द्वारा लगाये गये कुछ आरोपों की सूचना सरकार को २७ मार्च के टाइम्स आफ इन्डिया में छपी खबर द्वारा मिली थी। आरोप क्या हैं और मध्य प्रदेश सरकार उनकी जांच करा रही है या नहीं, इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

४—श्री महावीरप्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार ने उक्त श्री आर० पी० सिंह की नियुक्ति के पूर्व उनके कार्य तथा व्यवहार के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार से कुछ पूछताछ की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को जो जानकारी प्राप्त हुई क्या वह उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उक्त पद का कब चुनाव किया था और उसके परिणामस्वरूप गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल के पद पर अभी तक कोई नियक्ति हुई या नहीं ? यदि हां, तो किस व्यक्ति की ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल पद के लिये शायद २४ और २५ मार्च को लोक सेवा आयोग ने सिफारिश प्रान्तीय सरकार के पास दो व्यक्तियों की भेजी थी।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्या मुख्य मंत्री जी इन दो व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले नम्बर पर उन्होंने डाक्टर श्रीवास्तव जो आगरा मेडिकल कालेज के सर्जन हैं उनका नाम भेजा था और दूसरे नम्बर पर डाक्टर आर० पी० सिंह जो भोपाल मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल हैं उनका था ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्या यह सत्य है कि डाक्टर श्रीवास्तव जिनका प्रथम नाम था वे इस पद पर आने के लिये इच्छुक नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि वह इच्छुक नहीं हैं, लेकिन प्रदेशीय सरकार ने उनकी इस बात को माना नहीं है । वह पी० एम० एस० १ के आफिसर हैं और प्रदेशीय सरकार ने कहा है कि उनको इस पद पर जाना होगा वर्ना फिर प्रान्तीय सरकार को लोक सेवा आयोग से कहना पड़ेगा और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा । इसलिय उनसे कहा गया है कि शीघ्र ही आकर वह चार्ज ले ले ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मंत्री जी ने यह कहा है कि "टाइम्स आफ इंडिया" से सरकार को यह मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ कुछ अभियोग हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर जांच हो रही है या नहीं हो रही है इस सम्बन्ध में उनको मालूम नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ३० मार्च के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में वहां की हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती पदमादेवी ने सदन में यह कहा है कि आर० पी० सिंह साहब के खिलाफ . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि किसी अखबार में क्या छपा है उसके आधार पर आप प्रश्न पूछें ।

श्री गौरीशंकर राय—अखबार का ही तो उत्तर भी मिला ।

श्री अध्यक्ष—आप इसके बारे में दूसरी तरह से पूछिये ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सज्जन के खिलाफ उनकी सरकार की तरफ से कोई इंक्वायरी चल रही है उनके चालचलन के सम्बन्ध में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारी इस बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रदेशीय सरकार ने अवश्य वहां की सरकार से पूछा है कि इस व्यक्ति के बारे में जो बातें छपी हैं उनमें क्या सत्यता है ।

श्री गौरीशंकर राय—२७ मार्च के "टाइम्स आफ इंडिया" का जिक्र किया गया, तो क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि आर० पी० सिंह साहब के खिलाफ ए० डी० एम० के इजलास में इस्तगासा दायर किया गया है और वह भी अभी विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता । यह परम्परा के विरुद्ध है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति भी न की जाय और जिसके बारे में जानकारी न हो और जिनके सम्बन्ध में जांच न हुई हो उसके बारे में पहले से ही प्रश्न इस सदन में पूछे जायं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस प्रश्न को आपने स्वीकार कर लिया उस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री दें या न दें, लेकिन क्या वे स्वत: अपनी एक व्यवस्था दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, क्योंकि बात यह है कि जब मैंने किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया यानी इजाजत दे दी तो यह आप कह सकते हैं कि सरकार को जानकारी नहीं है इसलिये उत्तर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी किसी को प्रश्न पूछने से रोक दें, यह उचित नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय, मैं कोई ऐसे अखबार को नहीं कोट कर रहा हूं। मैं जिस अखबार का जिक्र कर रहा हूं उसी का जिक्र मंत्री जी ने किया है कि उसके जरिये से उनको कुछ इन्फार्मेशन मिली है···

श्री अध्यक्ष—उसकी मैं इजाजात नहीं दूंगा, इसलिये कि मैंने आपसे कहा कि अखबार में कुछ छपा हो उसकी बिना पर यहां प्रश्न नहीं किये जा सकते।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री आर० पी० सिंह साहब के खिलाफ दो लड़कियों ने अदालत में कोई दावा दायर किया ह जो अभी अदालत के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार इस तरह की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अखबारों में कभी-कभी बेबुनियाद बातें भी निकला करती हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी जो लोग चुने जाते हैं उनके सम्बन्ध में प्रीवियस जानकारी न होने के कारण बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, वह यह विचार कर रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह सजेशन दे कि जिनके सम्बन्ध मे वह सिफारिश किया करें उनके पिछले जीवन के सम्बंध में भी जानकारी हासिल कर लिया करें ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि गवर्नमेन्ट ने खुद जब उनको यह पता लगा तो जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। उसका उत्तर अगर आ जाता है तो वे उत्तर दे देते, लेकिन अभी उत्तर आया नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि जबकि लोक सेवा आयोग का यह नियम है कि किसी दूसरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है तो उनके प्रीवियस करेक्टर रोल और रेकार्ड्स मंगा कर देख लिये जाते हैं तो क्या कारण है कि इस मामले में उनके प्रीवियस कैरेक्टर रोल और रेकार्ड को मंगा कर नहीं देखा गया ?

श्री अध्यक्ष—पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वे जवाब नहीं दे सकते।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिना जांच किये हुये वे किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो खबर अखबार में श्री आर० पी० सिंह जी के बारे में छपी है वह सही है या गलत ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैंने यह कहा कि बगैर जांच के किस आधार पर सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वह खबर गलत है ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद खबरें भी अखबारों में आ जाती है। मैं खुद ही कह रहा हूं कि अखबार की खबरों के ऊपर कोई प्रश्न यहां हो नहीं सकता। चूंकि सरकार ने अखबार का जिक्र कर दिया इसलिये मैंने थोड़ी सी इजाजत दे दी। अगर ऐसे ही अखबार की बिना पर प्रश्न होते तो मैं रोक ही देता।

रीजनल मार्केटिंग आफिसर, मेरठ के विरुद्ध शिकायत

****५—आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास रीजनल मार्केटिंग आफिसर मेरठ, के विरुद्ध १९ जनवरी, १९६१ को और उसके आस-पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि उपर्युक्त अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों का वेतन रोके हुये हैं तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

**६—आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कायवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रीजनल फूड कन्ट्रोलर से तथ्यों पर प्रतिवेदन मांगा गया है और अभी तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उन्हें शीघ्र उत्तर के लिए अनुस्मरण भी करा दिया है ।

साइकिल पर बिक्री कर कम करने की प्रार्थना

**७—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साइकिल व उसके भाग पर बिक्री कर में जो वृद्धि की गई है उस सम्बन्ध में उनके पास कुछ आवेदन आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां । बाइसिकिलों तथा उनके भागों पर बिक्री कर की दर कम करने के बारे में कई आवेदन-पत्र व तार आये हैं । सरकार द्वारा उन पर विचार किया गया, परन्तु यह महसूस किया जाता है कि कर की दर कम करने का कोई औचित्य न होगा । भविष्य में यदि कोई अन्य तथ्य सरकार के सामने रक्खे जायंगे तो मामले पर निस्संदेह विचार किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस कर के लगाने से साइकिल के व्यापार को भारी धक्का पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—साइकिल के व्यापार को भारी धक्का पहुंचा है ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि साइकिल आम आदमियों की सवारी है इसलिये इसके पार्ट्स पर कर लगाते हैं तो आम आदमियों पर टैक्सेशन होता है इस लिये इस पर फिर से सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया है कि विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि साइकिल का यह टैक्स देश के अन्य प्रदेशों से ज्यादा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है । लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था, उन्होंने यह कहा था, उनसे सूचना मांगी गई है ।

राज्य कोषागारों के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने का सुझाव

**८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों के कोष विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—राज्य कोषागारों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन-क्रम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०३ पर)

**९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियत समय से अधिक काम करने पर उक्त विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अतिरिक्त भत्ता नहीं देने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—राजकीय मुद्रणालय तथा अन्य राजकीय वाणिज्य अधिष्ठानों (commercial establishments) को छोड़ कर सरकारी विभागों में कर्मचारियों को अधिक समय भत्ता (overtime allowance) देने की प्रथा नहीं है। किन्तु खास तरीके के अतिरिक्त कार्य के लिये जहां उचित समझा जाता है, उपयुक्त मानदेय (honorarium) दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में सरकार ने १९,५०० रु० की मद उन कर्मचारियों के लिये मानदेय के रूप में वितरण करने के लिये स्वीकृत की थी जिन्हें पिछली बैंक हड़ताल की अवधि में अधिक समय तक काम करना पड़ा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोष कर्मचारियों को खास तौर से मार्च के महीने में अतिरिक्त भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकारी कर्मचारी २४ घंटे के नौकर होते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि और विभागों में नियत समय ८ घंटे, से ज्यादा काम लिया जाता है तो उनको अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, जैसे बैंक वगैरह में है और यह विभाग उनसे संबंधित है तो इस विभाग में न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने उत्तर दिया कि सरकारी नौकर २४ घंटे के हैं और किसी विभाग में ओवर-टाइम देने की प्रथा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार का जी० ओ० है कि हर सरकारी कर्मचारी १० बजे दफ्तर जायगा और ५ बजे तक काम करेगा तो किस आधार पर सरकार कह रही है कि वे २४ घंटे के नौकर हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह ठीक है कि जितने दफ्तर हैं उनका समय निश्चित होता है, लेकिन फाइनेंशियल हैंडबुक में यह रूल है कि हर एक सरकारी नौकर २४ घंटे का नौकर समझा जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केवल कोष विभाग के कर्मचारी ही २४ घंटे के नौकर हैं अथवा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी २४ घंटे के नौकर हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सभी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि २४ घंटे के सभी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकर हैं इसका यह तात्पर्य है कि वह कार्यालय के घंटों में काम करके और अतिरिक्त समय में किसी दूसरी सर्विस में न जायं, न कि इस का यह मतलब है कि २४ घंटे उनको काम में लगा रहना चाहिए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने उत्तर दिया कि वह २४ घंटे के नौकर माने जाते हैं और वास्तव में हैं भी। लेकिन उनके काम के घंटे निश्चित हैं और उन्हीं घंटों में उनसे काम लिया जाता है। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े जैसा कि मैंने बताया, तो मानदेय के रूप में कभी-कभी और दे दिया जाता है।

नैनी ग्राम की जल व्यवस्था के लिए अनुदान

**१०—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि कुमायूं के इलाके में दौरा करते समय जो २० मार्च, १९६१, को प्रारम्भ हुआ था, रानीखेत जिले के नैनी ग्राम की जल-बल व्यवस्था के लिये मुख्य मंत्री ने ५,००० रुपये का अनुदान देने का आश्वासन दिया था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पांच हजार रुपये का अनुदान तुरन्त दिया गया, इसके लिए पहले से लिखा-पढ़ी चल रही थी अथवा उसी समय तुरन्त आवेदन-पत्र आया था और उसके ऊपर आर्डर कर दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि लिखा-पढ़ी की गयी या नहीं की गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये थे । लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया । उन्हें यह महसूस हुआ कि वहां वाकई पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है तो उन्होंने यह बात की ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रानीखेत 'जिला' कब से बनाया गया ? जब से माननीय चन्द्रभानु गुप्त एम० एल० ए० हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह मदन पांडेय जी से पूछिए, उन्होंने अपने प्रश्न में लिखा है ।

श्री राजनारायण—सरकार जो उत्तर देती है, उससे भी तो पूछा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर में 'जी हां' लिखा है । (मंत्री जी से) मतलब यह है कि वह चाहते हैं कि थोड़ा सा गर्स देख कर 'जी हां' कहा कीजिये ।

काशीराम कोल डिपो के विरुद्ध देवबन्द से शिकायती दरख्वास्त

**११—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या यह सत्य है कि देवबन्द, जिला सहारनपुर के कुछ निवासियों ने ५ अप्रैल, १९६१ को कोयले के डिपो से संबंधित कोई शिकायती पत्र उक्त जिले के सप्लाई आफीसर को तथा उसकी एक प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की थी और अब उन्हीं में से कुछ लोग उसी सम्बन्ध में भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायती-पत्र की मुख्य-मुख्य बातों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां । यह सत्य है कि देवबन्द, जिला सहारनपुर के कुछ निवासियों ने ५ अप्रैल, सन् १९६१ को काशीराम कोल डिपो के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र सरकार को भेजा । उसमें १ मई, सन् १९६१ से भूख हड़ताल करने का भी उल्लेख है ।

शिकायती पत्र की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) काशीराम की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री राजेन्द्रप्रसाद इस डिपो को गैर-कानूनी ढंग से चला रहे हैं ।

(२) इस डिपो वाले कोयले की चोर बाजारी करते हैं और उन्होंने ३०० मन कोयला छुटमलपुर अगस्त, १९६० में भेजा ।

इस शिकायती पत्र पर जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई है ।

श्री दुर्योधन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने शिकायती दरख्वास्त दी है, जब उनकी शिकायती दरख्वास्त की जांच हो रही है तो उनको इत्तला दे दी गयी है ताकि वह भूख हड़ताल न करें ?

श्री धर्मसिंह—यह शिकायती पत्र जिलाधीश महोदय को भेज दिया गया है, इस आशय से कि जानकारी करके सरकार को प्रेषित करें ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी सूचना दरख्वास्त देने वालों को दे दी गयी है कि उनकी दरख्वास्त जांच के लिए डी० एम० को भेज दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—अब तो मालूम हो जायगा उनको। यहां उत्तर दे ही दिया गया है।

सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को खाली बोरियां जमा करने का आदेश

**१२—श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मास में जिन शर्तों पर सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को गेहूं दिया जाता था उसमें यह शर्त जोड़ दी गयी है कि गेहूं मिलने के पहले उतनी ही खाली बोरियां जमा की जावें ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, पिछले मार्च के महीने में इस सम्बन्ध में आदेश जारी हुये, जो केवल कावाल नगरों तथा मेरठ और बरेली के लिये हैं। राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाली बोरियां उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना पड़ा ।

**१३—श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि वाराणसी नगर के खाद्य अधिकारी ने यह शर्त लगाई है कि जितने बोरे गेहूं गोदाम से दिये जायंगे उनसे ५ प्रतिशत अधिक बोरियां दूकानदारों को जमा करनी पड़ेंगी ?

श्री धर्मसिंह—केवल पहिली दफा ५ प्रतिशत अधिक बोरियां जमा करने के लिये आदेश है, बाद के लिये नहीं। यह इसलिये किया गया है कि यदि दूकानदारों को गल्ला देते समय कभी अधिक बोरियां मिल जायें तो इसमें से पूरी कर ली जायं ।

वाराणसी के लिये कोई अलग आदेश नहीं है ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन व्यापारियों से जो इकरार हुआ था उस इकरारनामे की दफा ५ का उल्लंघन किस आधार पर किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—अब यह तो सारे प्रदेश की सहूलियत के लिए किया गया था, लेकिन अब यह आदेश भेज दिया गया है कि वह रिटेलर्स जिनके लिए बोरी वगैरह का आदेश भेजा गया था, चाहें तो अब के नियमों को मान सकते हैं या चाहें तो पहले के नियमों को मान सकते हैं। यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, जिस तरह से चाहें करें ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या सरकार को मालूम है या सरकार के पास कोई शिकायतें आयी हैं कि बोरियों के वापस करने से व्यापारियों को हानि होती है ? यदि हां, तो इस हानि से उन्हें किस प्रकार बचाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—वह रिप्रेजेंटेशन्स इत्यादि तो आये हैं और डेपूटेशंस भी मिले हैं। उसी के आधार पर यह कार्यवाही की गई है कि उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जिस तरीके से चाहें करें। बहरहाल आगे चलकर उस पर कार्यवाही की जायगी। अभी उसको एग्जामिन किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले में विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के विरुद्ध शिकायत

**१४—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद), श्री प्रतापसिंह, श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा), श्री दुर्योधन, श्री खयालीराम (जिला लखनऊ) तथा श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्याआजम गढ़ के किसी विधायक द्वारा १ अप्रैल, १९६१ का भेजा हुआ उन्हें कोई पत्र मिल

है, जिसमें यह चर्चा है कि आजमगढ़ जिले के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों ने जिला पूर्ति कार्यालय से जिले के विभिन्न ईंट-भट्ठों एवं सीमेंट की दूकानों से २ करोड़ ईंट तथा १०,५०० बोरी सीमेंट ले लिया है और अपने-अपने विभागों द्वारा मंगाये गये कोयले के स्टाक को जिलाधीश द्वारा ईंट भट्ठों को देने से इन्कार कर दिया है, जिसके फलस्वरूप ३० मार्च, १९६१ को अन्तरिम जिला परिषद् में उक्त रवैये के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। ऐसा पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है और उस पर विचार हो रहा है। अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव की सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कब तक इस पत्र पर विचार करते रहेंगे ?

श्री धर्मसिंह--अब यह पत्र तो अभी सरकार के पास आया है। चीफ इंजीनियर इत्यादि को लिखा गया है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

खलीलाबाद तहसील में कुआनो तथा कठनइया नदियों पर पुल निर्माण

*१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में कुवानो नदी पर मुखलिसपर का पुल और बस्ती मझौली विश्वनाथपुर सड़क पर कठनइया नदी पर हरिहरपुर के पास का पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ? इन पुलों पर कब से काम शुरू हुआ है ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--इन पुलों के क्रमशः मार्च, १९६२ तथा दिसम्बर, १९६१ तक बन जाने की आशा है।

द्वितीय भाग--

मुखलिसपुर के पुल का कार्य १ अप्रैल, १९६० से शुरू हुआ।

कठनइया नदी के पुल के कार्य के टेन्डर मांगे गये हैं।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कठनइया नदी पर जो पुल बनने जा रहा है वह कितनी लागत का है और वह पक्का है या काठ का पुल है ?

श्री धर्मसिंह--यह पुल काठ का है और इसके लिए सी० सी० ट्रैक के अनुसार १६.२० लाख रुपये का संशोधित एस्टीमेट स्वीकार हो चुका है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लकड़ी के पुल में और पक्के पुल में कितने रुपये का अन्तर पड़ रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--पक्के पुल का सवाल यहां पर नहीं सोचा गया। यहां पक्के पुल की जरूरत नहीं है। इसकी जो कीमत है वह, जैसा कि उपमंत्री जी ने अभी बतलाया, १६, लाख रुपये की पूरी स्कीम है, जिसमें से ४५ हजार रुपया इस पर खर्च होगा।

पी० डब्ल्यू० डी० गैंग मजदूर यूनियन की मांगें

*२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उसके उत्तराखन्ड डिवीजन के संबंधित अधिकारियों के पास पी० डब्लू० डी० गैंग

मजदूर यूनियन की कुछ मांगें पिछले वर्ष आई हैं ? यदि हां, तो उसकी मांगों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, उत्तराखन्ड के तीन जिलों में से केवल चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों से पी० डब्लू० डी० गैंग मजदूर यूनियन की कुछ मांगें पिछले वर्ष प्राप्त हुई हैं। इन मांगों में से कुछ मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं और कुछ विचाराधीन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि हमें बतलाया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस संबंध में कार्यवाही नहीं करता, उत्तराखन्ड के सारे काम मुख्य मंत्री जी के हाथ में हैं और वे ही सब निर्णय लेते हैं और यह उत्तर हमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री की ओर से प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष---उत्तर तो कोई भी दे सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन-सी मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं और कौन सी विचाराधीन हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह एक लम्बी सूची है। जैसे उनकी एक मांग है वर्क चार्ज तथा मस्टर रोल पर काम करने वाले मजदूरों को स्थायी किया जाना, यह विचाराधीन है। दूसरी मांग है मजदूरों की मजदूरी में वेतनक्रम का निश्चित किया जाना, यह भी विचाराधीन है। तीसरी मांग, विभाग में काम करने वालों को ही तरक्की दिये जाने की बात, इस पर जो कार्यवाही हुई है वह इस प्रकार है कि भरती करते समय उस कार्य के योग्य व्यक्तियों का ध्यान रखा जायगा जो कि विभाग में हैं। इस प्रकार मान्यवर, यह एक लम्बी लिस्ट है। किसी पर कार्यवाही हुई है और कोई विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सूची तो उत्तर के साथ दी जानी चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को स्थगित कर सूची भिजवाने की कृपा करेंगे ताकि पूरक प्रश्न ठीक से पूछे जा सकें ? विभाग अधिकतर सूची दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष---अगर सची दी नहीं है तो आप मांग लें, किन्तु प्रश्न स्थगित नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि जब कि उत्तराखन्ड के सभी कर्मचारियों को विशेष भत्ता मिलता है, इनमें पी० डब्लू० डी० के मजदूरों को साधारण वेतन ही मिलता है और इससे उनमें असंतोष है? वह स्थानीय लोग हैं और दूसरों को स्पेशल एलाउन्स मिले और उन्हें कुछ नहीं, यह ठीक नहीं। तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---यह बात ठीक है कि सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाता है और जो इस्टैब्लिशमेन्ट वर्क चार्ज के मजदूर हैं उनको विशेष भत्ता नहीं दिया जाता। यह रुपया हमको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से प्राप्त होता है और यह पैटर्न उनके नोटिस में लाया गया है। उनके जवाब का इन्तजार है। जवाब आने के बाद ही जैसा कुछ होगा किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि भत्ते के प्रश्न का केन्द्रीय सरकार से संबंध है तो उनके वेतन का प्रश्न जो प्रादेशिक सरकार से संबंधित है उस पर विचार करेंगे कि वहां के मजदूर ११ और १६ हजार फिट की ऊंचाई पर कालापानी और लिपुलेक की सड़कों पर काम करते हैं और इसलिये जो वर्तमान वेतन है उससे दूना उनको देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---पहले वह सवाल तय हो जाय, तब दूसरे सवाल तय किये जायंगे।

बंगरा–माधोगढ़ सड़क पक्की करने का आश्वासन

*३---राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को मालूम है कि बंगरा, जिला जालौन से माधो गढ़ की पक्की सड़क के लिये जो P.W.D. के अधीन है और जो पहली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थी, ५२,००० रु० चन्दा जमा कर दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह---चन्दा केवल ५०,२९४ रुपये जमा हुआ था।

*४---राजा वीरेन्द्रशाह---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पाई है तथा यह कब तक पूरी बन जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---उस धनराशि में से जो कार्य होना था उसका अधिकांश भाग मार्च, १९५८ में तथा शेष मार्च, १९५९ में पूरा हो गया था। इस सड़क को पक्का करने का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है और दिसम्बर, १९६१ तक यह पूरा हो जायेगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह चन्दे का रुपया कब वसूल हुआ था और किस किस तरह से वसूल हुआ था ?

श्री अध्यक्ष---इतना ब्यौरा तो आप इसमें नहीं पूछ सकते। आपने खुद कहा कि ५२ हजार रुपया चन्दा हुआ था, उन्होंने कहा कि ५० हजार हुआ था।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि ५० हजार चन्दा किसने दिया और कौन-कौन सी मदों से यह सरकार के पास जमा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---आपको अगर कोई जानकारी हो तो वह देते हुए आप प्रश्न पूछें, यह ठीक रहेगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार जानती है कि इस रुपये को म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, माधोगढ़ तथा प्लानिंग विभाग ने जमा किया है सड़क के वास्ते और वह सड़क अभी तक नहीं बन पायी है ?

श्री धर्मसिंह---यह बात हो सकती है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। जहां तक सड़क बनने का सवाल है उस संबंध में कार्यवाही चल रही है और जैसा कि आश्वासन दिया गया है, दिसम्बर, १९६१ तक यह सड़क पूरी हो जायेगी।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बंगरा से जो सड़क बनाई जायेगी वह कितने मील लम्बी होगी ?

श्री धर्मसिंह---यह जो बंगरा से सड़क बनाई जायेगी इसकी लम्बाई ७ मील ५ फर्लांग होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क को बनाने का ठेका किसको दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

हाउस बिल्डिंग लोन लेने वाले सचिवालय कर्मचारी एवं अधिकारी

*५---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी १९५२ से अब तक सचिवालय के कितने गजटेड तथा नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से हाउस बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनवाये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---५४ गजटेड तथा ११२ नान-गजेटेड सरकारी कर्मचारी।

*६---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री अवधेशप्रताप सिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने ऐसे उक्त गजटेड तथा नान-गजटेड सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनवा लिया है, परन्तु इन मकानों में स्वयं न रह कर दूसरों को किराये पर मकान दे दिये हैं और स्वयं मकान एलाट करा कर किराये पर रह रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग लोन न केवल सीधे सरकार से ही मिल सकता है वरन वे जनता या सहकारी समितियों के सदस्य होने के नाते सहकारी बैन्कों, स्थानीय निकायों तथा सहकारी समितियों से भी लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत और सहकारी बैन्कों से मिडिल इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऐसे लोन्स (ऋण) ले सकते हैं। इसको देखते हुए और साथ ही इस बात का भी खयाल रखते हुए कि कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी ऋण से बनाए गए मकानों को किराए पर उठाने के लिये कोई रोक नहीं है, मांगी गई सूचना यदि वह प्राप्त भी हो जाए, तो भी उससे पूरी बातें स्पष्ट नहीं होंगी। १९५२ ई० से अब तक के लिये वांछित सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त श्रम और समय भी लगेगा जो उससे प्राप्त परिणामों की तुलना में बहुत अधिक होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न संख्या ६ का जो जवाब दिया गया है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रश्न संख्या ५ में ५४ गजेटेड और ११२ नान-गजेटेड कर्मचारी ऐसे बताये गये हैं जिनको मकान बनाने के लिये लोन दिया गया है और हमने उन्हीं लोगों के बारे में पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपना मकान बनाकर भी स्वयं किराये के मकानों में रह रहे हैं। इसका सही उत्तर न देकर बात को किसी तरह से छिपाया गया है। आपकी इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट दिये जायें, क्योंकि मैंने जिन बातों को पूछा ही नहीं है उनका उल्लेख जवाब में किया गया है और जिसका उत्तर मैं चाहता था उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो प्रश्न संख्या ६ है वह तो बिलकुल स्पष्ट है और उसमें यह पूछा गया है कि कितने ऐसे उक्त गजटेड तथा नान-गजटेड सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनवा लिया है परन्तु उन मकानों में स्वयं न रहकर दूसरों को किराये पर मकान दे दिये है और स्वयं मकान एलाट करा कर किराये पर रह रहे हैं। इसका मैं समझता हूं उत्तर स्पष्ट दिया जाना चाहिये था। आप किसी दूसरे रोज इसका उत्तर दे दें।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, बात मैं स्पष्ट कर दूं। आज जितनी भी स्कीम्स हैं कर्जा देने की उन सभी से सरकारी कर्मचारी कर्ज लेते हैं और मकान बनवाते हैं....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न को फिर देख लें। प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में तो आपने यह बताया है कि १९५२ से अब तक जिन सरकारी कर्मचारियों ने लोन लेकर मकान बनवाये हैं उनकी संख्या ५४ और ११२ है।

इन्होंने सरकार से लोन लिया, तो इसमें बैंक से भी लोन लिया होगा, क्योंकि आप कहते हैं कि बैंक से लेना भी सरकार से लेना है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि एक लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम है, दूसरी मिडिल ग्रुप वाली है। इसके डिसबर्सिंग एजेंट्स कितनी-कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, कितने बैंक्स हैं जो दे देते हैं, यहां सचिवालय में भी दिया जाता है, तो चूंकि आपने सरकारी लोन के बारे में पूछा था तो आवश्यकता इस बात की हुई कि यह बता दिया जाय कि इतनी डिसबर्सिंग अथारिटीज उसकी हैं ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने प्रश्न ५ के उत्तर में यह बताया कि ५४ गजटेड आफिसर हैं जिन्होंने कि सरकार से बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनाये और ११२ नान-गजटेड सरकारी लोग हैं । अब वह इन्हीं के बारे में यह पूछना चाहते हैं कि वह मकान बनवाने के बाद खुद रह रहे हैं या अपने मकान किराये पर देकर उन्होंने अपने लिये दूसरे मकान अलाट करा लिये हैं, यह प्रश्न संख्या ६ में है । इसका उत्तर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसका उत्तर आप दें । ५ का उत्तर तो ठीक है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, मेरी समझ में तो स्पष्ट है, लेकिन अस्पष्ट हो तो बताएं, मैं जवाब दूं ।

श्री अध्यक्ष---५४ के बारे में बताइये कि कितने मकान में रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसका तो जवाब यह दिया गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहां हैं, बहुत से लोग चले गये, कहीं ट्रांसफर हो गये हैं---नम्बर १, नम्बर २, बहुत सी स्कीमों में यह है कि अगर कोई मकान सरकारी कर्जे से बनवाये तो उसके लिये यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वह उसमें रहे, किराये पर न दे सके ।

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस की बात हो गयी कि किराये पर दे सकता है या नहीं । पहले आप फैक्ट बता दें, फिर बहस करें । उन्होंने वाजिब किया, यह आप कह सकते हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह---मैं कह रहा था कि १९५२ से लेकर आज तक सबका इकट्ठा करना, यही तो उत्तर दिया गया है कि यह कमेंसुरेट नहीं होगा विद दि लेबर इनवाल्व्ड । यह उत्तर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है जो उत्तर दिया, लेकिन ये ५४ आपने गिने होंगे और ११२ गिने होंगे, तो बगैर मालूम किये हुए कि किसका मकान है, किससे रुपया लिया है यह फिगर आ नहीं सकते । तो यह पूछने में कि अब वह रहते हैं या नहीं रहते हैं उसमें कोई लेबर का क्वेश्चन अराइज नहीं होता । हां, अगर आप ५४ के बारे में उत्तर न देते और यह कहते कि हमको दिक्कत है, हमको मालूम नहीं हो सकता, मैं समझ लेता । लेकिन आपने निश्चित कर दिया कि ५४ हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह तो ५४ सेक्रेटेरियट के हैं, ये निश्चय कर दिये हैं कि इतने आदमियों ने कर्जा लिया है ।

श्री अध्यक्ष---उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह---उनमें भी जो ११२ हैं, उनका यह ढूंढना कि वह इस समय कहां हैं, उनके मकान बने या नहीं बने, या उन्होंने कर्जा वापस कर दिया, किराये पर तो उन्होंने नहीं उठा दिया और कहां से कर्जा लिया, कौन डिसबर्सिंग अथारिटी थी, किस मद से कर्जा लिया, इतना बड़ा काम ये चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष---खैर, मैं बाद में बात कर लूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पूरी डिसबर्सिंग अथारिटीज से नहीं पूछा कि कहां-कहां से कर्जा लिया, तो क्या हम सोचें कि संख्या ५ का उत्तर गलत दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि तीनों सरकारी हैं, कहीं से भी लिये गये वह सब सरकारी हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हमारा प्रश्न तो स्पष्ट है....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें । श्री नवलकिशोर प्रश्न पूछेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि ५४ गजटेड और ११२ नान-गजटेड हैं । तो इतना तो उनका डिपार्टमेंट जानता है कि ११२ कौन हैं, क्योंकि ये जो ११२ और ५४ के अंक इसमें दिये हैं इनके बारे में जानकारी होगी और यह भी आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह लोग उनमें रहते हैं या नहीं रहते । प्रश्न संख्या ५ में पूछा गया था कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५२ से अब तक सचिवालय के कितने गजटेड तथा नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से हाउस बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनवाये हैं ?" मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि इतने लोगों के मकान बन गये । अब यह हो सकता है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स पैसा लेकर मकान बनवावें जिसको महंगे किराये पर उठा दें और खुद सस्ते मकान में रहें, तो यह बात कोई ज्यादा मुनासिब नहीं होगी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं आपके द्वारा मंत्री जी से कि उनको यह मालूम करने में क्या कठिनाई है कि उन ५४ गजटेड आफिसर्स में से कितने आदमी अपने मकानों में शिफ्ट हो गये और कितने किराये के मकानों में रहते हैं ? मंत्री जी कम से कम जो ५४ गजटेड हैं उन्हीं के लिये बता दें, नान-गजटेड को छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त तो वह नहीं बता सकेंगे । बाद में आप भी उनसे बात कर लें और मैंने भी खुद कहा कि बात करूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, आप इसको पोस्टपोन कर दें । जब मंत्री जी मुकम्मिल जवाब देंदे तभी हम सवाल पूछें ।

श्री अध्यक्ष---६ तारीख के लिये मैं पोस्टपोन कर देता हूं । इस वक्त आप पूरक प्रश्न न पूछें । मंत्री जी से आप भी बात कर लें । अगर उनको इसकी जानकारी हासिल करने में कोई कठिनाई हो तब तो ठीक है लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत न हो तो जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा कि उनके दिमाग में यह चीज है कि कहीं सरकारी कर्मचारी अपने मकानों को महंगा उठाकर और दूसरे सस्ते मकानों में रहकर गैरवाजिब फायदा तो नहीं उठाते हैं, इस चार्ज पर सरकार को सफाई देनी चाहिये । अगर सरकारी कर्मचारियों के प्रति ऐसा गलत खयाल पैदा हो जाय तो यह मुनासिब नहीं होगा ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---श्रीमन्, असलियत यही है.....

श्री अध्यक्ष---आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, नवलकिशोर जी ने जो कहा वह ठीक नहीं है । पहले सवाल में पूछा गया था कि ऐसे सेक्रेटेरियट के कितने कर्मचारी हैं उसका जवाब मैंने दे दिया । दूसरा सवाल यह है कि "क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने ऐसे गजटेड तथा नान-गजटेड सरकारी कर्मचारी हैं....."

श्री अध्यक्ष---उसमें शब्द "उक्त" भी है । शायद इस शब्द को डिपार्टमेन्ट ने छोड़ दिया ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि बिलकुल साफ सी बात है कि कुल ५४ गजटेड आफिसर्स और ११२ नानगजटेड कर्मचारी यानी १६६ व्यक्ति हैं, जिनसे यह जानकारी हासिल करनी है लेकिन मंत्री जी जानबूझ कर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन १६६ आदमियों से पूछने में उनको कौन-सी परेशानी और आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ५४ गजटेड और ११२ नान-गजटेड कर्मचारी हैं, इन्होंने सरकार से कर्जा लेकर लखनऊ में मकान बनवाये हैं या लखनऊ के बाहर ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन मैं समझता हूं सचिवालय के जो लोग हैं उन्होंने लखनऊ में ही बनवाये हैं।

[माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६, ६ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

तेतरी बाजार व भीमापार ग्रामों में वन विभाग की जमीन

*७—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के ग्राम तेतरी बाजार व भीमापार में कितनी कितनी जमीन प्रत्येक गांव में वन विभाग की है ?

*८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों गांवों में जो जमीन वन विभाग की है उसे वन विभाग ने कब लिया है और किस प्रकार लिया है ?

*९—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों गांवों में जो जमीन वन विभाग की है उसमें कितने कितने दरख्त प्रत्येक गांव की जमीन में लगाये गये हैं और उस पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सदन में सूचना एकत्र करके कब तक उत्तर दे दिया जायगा क्योंकि ये प्रश्न कई मर्तबा स्थगित हो चुके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सूचना मंगाई गई थी लेकिन अभी आई नहीं है। नियमानुसार १५ दिन के अन्दर देनी पड़ेगी तब तक आ जायगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक सूचना एकत्र हो रही है तब तक जंगल विभाग वाले जो गांव वालों को तंग कर रहे हैं उसको बन्द करवा देंगे और सूचना एकत्र होने के बाद कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई सूचना तंग करने की तो है नहीं लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा।

घोसी–भीमपुरा सड़क के निर्माण की प्रार्थना

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा घोसी, जिला आजमगढ़ से भीमपुरा, जिला बलिया तक बनाई जाने वाली सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—इस सड़क का घोसी-मझवारा हिस्सा श्रमदान द्वारा तथा ब्लाक फंड से निर्माण हुआ था और सन् १९५६–५७ में रख-रखाव के लिये विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। रख-रखाव के धन से जहां तक सम्भव होता है, इस हिस्से को प्रत्येक साल सुधारा जाता है। सड़क का बाकी हिस्सा अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत है और उसका निर्माण किसी योजना में अभी सम्मिलित नहीं है ।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क विभाग में कब ली गई थी और उसके निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—उक्त सड़क का घोसी से मझवारा तक का भाग सन् १९५६–५७ में विभाग द्वारा रख-रखाव के लिये लिया गया था।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सन् ६० के आखरी मंगलवार को निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया था कि १ मील कच्ची सड़क को ठीक करने के लिये कंकड़ इकट्ठा कर लिया गया है और बरसात में इसे पक्का कर दिया जायगा ? यदि हां, तो आज यह उत्तर देने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—उस समय क्या उत्तर दिया गया था, यह तो देखने के बाद निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है। जहां तक रख-रखाव का सम्बन्ध है, इन मीलों में २ कंकड़ के कोट और दिये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—पहले यह उत्तर था कि १ मील कच्ची सड़क को पक्का करने के लिये कंकड़ इकट्ठा कर लिया गया है जिसे बरसात में कूट कर पक्का कर दिया जायगा। तो किस जिला अन्तरिम परिषद् से इसका सम्बन्ध है ?

श्री धर्मसिंह—बलिया जिले में मझवाड़ा से भीमपुरा तक ७ मील का टुकड़ा अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि घोसी से भीमपुरा तक सड़क बनवाने का आश्वासन दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

खीरी जिले से वन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कथित शिकायतें

*१२—**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी से सरकार तथा वहां के जिलाधीश के पास १९६० तथा १९६१ में कितनी शिकायतें आई हैं कि जंगली जानवर काश्तकारों की फसल को नष्ट करते तथा चरते हैं और उन्हें पकड़ने तथा मारने पर जंगल के कर्मचारी काश्तकारों को पकड़ ले जाते हैं और मुकदमा चलाते हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें कहां-कहां से आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—जी नहीं। जिलाधीश खीरी अथवा सरकार के पास १९६० ई० व १९६१ ई० में वन कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

*१३—**श्री छेदीलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना मैलानी, मौजा नन्दापुर से जिलाधीश के पास १९६१ में कोई शिकायत आई है कि वन विभाग के कर्मचारी वहां के लोगों से जबरदस्ती काम लेते हैं और काम न करने पर उन लोगों को मारते हैं और झूठा मुकदमा चलाते हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नन्दापुर ग्राम के निवासियों से जिलाधीश को नहीं मिली।

राबर्ट्सगंज-दुद्धी क्षेत्र में हरिजनों के लिए अनुदान

*१४--**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राबर्ट्सगंज-दुद्धी क्षेत्र, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत जिला हरिजन सहायक समिति ने अपनी १४ फरवरी, १९६० की बैठक में जो बैल, गृह और कुएं का अनुदान देना स्वीकृत किया था वह अब तक क्यों नहीं मिल सका?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--बैल व गृह के लिये स्वीकृत अनुदानों का भुगतान कर दिया गया है। कुओं के लिये भी कार्य की प्रगति के अनुसार ११९ कुओं के लिये अनुदान की प्रथम या द्वितीय किस्तें दे दी गई हैं। शेष ७९ कुओं में या तो कार्य आरम्भ नहीं हुआ या खर्चे का हिसाब नहीं दिया गया। इस कारण अनुदान नहीं दिया जा सका।

*१५--**श्री शोभनाथ**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कुएं का अनुदान जो स्वीकृत है उसका १/३ अग्रिम धनराशि देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो उसकी पाबन्दी अब तक क्यों नहीं हुई?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--अग्रिम रूप में अनुदान देने के बारे में विचार किया जाता है किन्तु इस प्रकार की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई।

श्री शोभनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब और कितने लोगों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--गृह अनुदान १८ आदमियों को और कुएं निर्माण का १९८ आदमियों को स्वीकृत किया गया।

श्री शोभनाथ--क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि अभी तक बैल और कुएं का अनुदान नहीं दिया गया है, जैसी कि मेरी जानकारी है, उसके आधार पर?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--आप इत्तिला देंगे तो जांच जरूर होगी।

विभिन्न नदियों पर पुल निर्माण योजना

*१६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की घाघरा, गंगा, यमुना, छोटी गण्डक, बड़ी गण्डक, टौंस आदि नदियों पर किन-किन स्थानों पर बड़े-बड़े पुल बनाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में है?

श्री धर्मसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०४--८०५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में सरजू नदी पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पुल बनाने का आयोजन था उसमें अब तक काम आरम्भ न होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल--उस पर काम चालू है। ट्रेनिंग वर्क पूरा हो गया है। बाकी काम के लिये टेंडर मंजूर होने वाले हैं जो मांगें जा चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--तालिका में साफ लिखा है कि वह स्थान जिसपर काम प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसमें अयोध्या का भी नाम है। तो तालिका सही है या यह उत्तर सही है?

श्री अध्यक्ष---अभी टैंडर मंजूर नहीं हुए, तो काम कैसे शुरू हो जायगा ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---तृतीय योजना में सरजू नदी पर गौरीघाट पर पुल बनाने का इसमें उल्लेख न होने का कारण कृपया मंत्री जी बतावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---प्लान में इतना पैसा नहीं है कि जितने पुल दिखलाये गये हैं उनके अलावा और भी लिये जा सकें।

श्री प्रतापसिंह---अयोध्या पुल का ठेका पी० डब्ल्यू० डी० के रेट्स पर दिया गया है या टैंडर पर ?

श्री गिरधारीलाल---तमाम हिन्दुस्तान के ठेकेदारों को वह टैंडर आफर किया गया है चूंकि यह काम बहुत बड़ा है। डिपार्टमेंट के शेड्यूल्ड रेट्स से मुकाबला करके उनको मंजर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष---काम एक को ही दिया जाता है या कई को ?

श्री गिरधारीलाल---काम एक को ही दिया जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि टोंस नदी पर बनने वाला पुल जो बलिया-बनारसघाट पर है वह कब तक शुरू हो जायगा और कब पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---सूचना की आवश्यकता है।

कायमगंज कालेज के हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ करना

*१७---**श्री होरीलाल यादव**---क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कायमगंज कालेज (फर्रुखाबाद) के हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफी न होने के सम्बन्ध में विद्यार्थीगण इन्सपेक्टर तथा हरिजन अधिकारी से चालू वर्ष में मिले थे जैसा कि २६ फरवरी, १९६१ के नवजीवन समाचार-पत्र के पृष्ठ ४, कालम ७ पर छपे समाचार से भी ज्ञात होता है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, केवल एक विद्यार्थी को छोड़ कर शेष की फीस माफ कर दी गई है।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फीस माफी के आदेश कब दिये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---थोड़े दिन बाद दे दिये गये। फेल हुए लोगों की फीस-माफी रुक जाती है। अब उन्होंने कहा है कि ठीक पढ़ेंगे और मास्टरों ने भी ऐसा कहा है, तो फीस दे दी गई है एक लड़के के सिवाय।

श्री होरीलाल यादव---जिनकी फीस माफी के आदेश अब दिये गये हैं क्या उनसे पिछले दिनों फीस ले ली गई थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---अगर उन्होंने दे दी है तो उन्हें वापिस कर दी जायगी।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार यह आदेश जारी करेगी कि जिनसे फीस ले ली गई है उनको वापिस कर दी जाय ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, मैंने अर्ज किया कि यह जरूर माफ हो गयी होगी लेकिन अगर फीस ले ली गयी है तो वापिस हो जायगी।

मथुरा-हाथरस सड़क से राया बस स्टेशन तक सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१८--श्री श्यामलाल (जिला मथुरा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि मथुरा-हाथरस रोड पर स्थित राया बस स्टेशन मुख्य रोड से करीब १।। फर्लांग दूर पड़ता है और मार्ग खराब होने से जनता एवं सरकारी बसों को परेशानी होती है ?

श्री धर्मसिंह--राया बस स्टेशन मुख्य रोड से लगभग आधा फर्लांग दूर है और सड़क खराब होने के कारण अधिकतर बरसात के दिनों में जनता एवं सरकारी बसों को परेशानी होती है।

*१९--श्री श्यामलाल--क्या सरकार मुख्य रोड से बस स्टेशन तक १।। फर्लांग रोड को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री श्यामलाल--क्या माननीय मंत्री जी सरकारी एवं जनता की बसों की परेशानी को देखते हुए इस आधे फर्लांग की सड़क को बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस सड़क का सम्बन्ध है इसका सम्बन्ध अन्तरिम जिला परिषद् से है। अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने यह सूचित किया है कि इसको हम ६१-६२ के सरकारी अनुदान से बनवा देंगे।

बहादुरगंज-मऊ सड़क के लिए भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

*२०--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद से जो सड़क कस्बा बहादुरगंज होती हुई मऊ को जाती है उसमें किसानों की ली गई जमीन का लगान माफ करवाया गया है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--अभी भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है। जब तक यह पूर्णतया समाप्त न हो जाये, मुआवजा देने का या लगान माफ करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह कार्यवाही कब से चल रही है और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--१९५७ से कार्यवाही चल रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द काम समाप्त हो जाय।

[१९ अप्रैल, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--श्री मदन पांडेय--[२० अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४-६--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[६ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ४--६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*७-९--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२२ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी नगरपालिका और बिजली सप्लाई कम्पनी में ऐग्रीमेंट

*१०--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका व झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी में बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में जो ऐग्रीमेंट १९५३ तक के लिये हुआ था उसके अनुसार क्या रेट थे और फिर उसके बाद ऐग्रीमेंट कब तथा किस रेट पर हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---नगर पालिका झांसी और इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, झांसी में सड़कों पर बिजली देने के सम्बन्ध में अप्रैल, १९५३ तक के लिये जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसमें निर्धारित दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं। नगर पालिका, झांसी और बिजली सप्लाई कं० में दूसरा ऐग्रीमेंट अन्तिम रूप से अभी तक नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

*११---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की करेगी कि क्या उक्त कम्पनी झांसी में रेलवे व केन्टोनमेंट को भी बिजली सप्लाई करने लगी है? यदि हां, तो कब से और कितनी-कितनी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी हां। बिजली सप्लाई कं० सेन्ट्रल रेलवे वर्कशाप, झांसी को १५ अक्तूबर, १९५४ से १५० के० डब्ल्यू० केवल दिन के लिये दे रही है। उक्त कम्पनी झांसी कन्टोनमेंट बोर्ड को स्ट्रीट लाईटिंग के लिये ७ दिसम्बर, १९३१ से बिजली दे रही है जिसका लोड इस समय ३ के० डब्लू० है।

*१२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त कम्पनी के लाइसेंस की मियाद कब और किस समय तक के लिये और बढ़ा दी है तथा क्या उसने उसे कुछ कर्ज भी दे रक्खा है? यदि हां, तो कब और कितना?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---झांसी इलेक्ट्रिक लाइसेंस, २४ नवम्बर, १९२७ को २५ वर्ष के लिये दिया गया था। उक्त लाइसेंस की अवधि १९५१ में दस वर्ष के लिये अर्थात् २३ नवम्बर, १९६२ तक के लिये बढ़ा दी गई थी। इस कम्पनी को सरकार ने २ लाख रुपये का कर्ज, मार्च, १९५५ में और २ लाख रुपये का कर्ज दिसम्बर, १९५८ में दिया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् ५३ से अभी तक नये एग्रीमेंट न करने का कारण क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जो रेट बिजली कम्पनी मांग रही है और जो नगरपालिका दे रही है उसमें आपस में कुछ मतभेद है, इसलिये अभी निश्चय नहीं हुआ है। जब वह तय हो जायगा तो उसका भी निश्चय हो जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब बिजली कम्पनी शहर की जनता को बिजली नहीं दे पाती है तो फिर उसको कैन्टूनमेंट और रेलवे को बिजली देने की इजाजत क्यों दी गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जैसा कि माननीय सदस्य को बतलाया गया, रेलवे और कैन्टून्मेंट को आज से नहीं ३१ और ५४ से वे बिजली दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बिजली कंपनी की बिजली देने की क्षमता क्या है तथा झांसी नगर के कन्जूमर्स कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं व रेलवे और कैन्टून्मैन्ट में कितनी बिजली कंज्यूम होती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---थोड़ी सी बिजली ही कैन्टूमैन्ट और रेलवे को दी जा रही है। पिछले जमाने में थोड़ी बिजली और बढ़ाई गई थी। क्षमता के बारे में इस वक्त पता नहीं है, अगर आप सूचना देंगे तो वह भी बता देंगे।

नोट---तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

घिरौर–कुरावली–अलीगंज सड़कों के बनाने की सिफारिश

*१३––श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)––क्या सरकार मैनपुरी तथा एटा जिलों में मार्गों को पक्का करने के बारे में १६ फरवरी, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायगी कि अन्तरिम जिला परिषद् ने सरकार के पास क्या राय भेजी है ?

श्री गिरधारीलाल––तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित सड़कों की सूची में अंतरिम जिला परिषद्, मैनपुरी, ने घिरौर-कुरावली सड़क को पांचवीं प्राथमिकता प्रदान की है । अंतरिम जिला परिषद्, एटा ने कुरावली-अलीगंज सड़क को ३५ वीं प्राथमिकता प्रदान की है ।

*१४––श्री राजाराम शर्मा––[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले में हरिजन कल्याणार्थ कार्य

*१५––श्री राजाराम शर्मा––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में किन-किन तहसीलों में देहाती क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों का निर्माण-कार्य वित्तीय वर्ष १६६०–६१ में प्रारम्भ किया गया है और अब तक कितनी बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––वित्तीय वर्ष १६६०–६१ में बस्ती जिले की तहसीलें बस्ती, हरया, खलीलाबाद, डुमरिया गंज तथा नौगढ़ में ७ हरिजन बस्तियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें से तीन बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

*१६––श्री राजाराम शर्मा––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय तहसील खलीलाबाद (बस्ती) में हरिजन कल्याण के लिये कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––तहसील खलीलाबाद में सन् १६६०–६१ में निम्न कार्य प्रस्तावित थे :––

१––ग्राम लकाड़ी एवं खुशियाकलां में २ हरिजन बस्तियों का निर्माण,

२––३७ कुओं का निर्माण और

३––३६ घरों का निर्माण ।

केन्द्रीय योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्य

*१७––श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ विशिष्ट योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितने धन की स्वीकृति दी है ? उस योजना के अन्तर्गत कितने नये विकास खंड खोलने का विचार है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––७४० लाख रुपया । विकास खंड खोलने की कोई योजना नहीं है ।

*१८––श्री भीखालाल––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले गये १० विकास खंडों में योजना काल में प्रत्येक खंड में कितना धन व्यय किया गया और कौन-कौन से मुख्य-मुख्य विकास कार्य किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत १० खोले गये विकास खंडों में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ व्यय की गई धनराशि तथा किये गये मुख्य विकास कार्यों की सूची† संलग्न है ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

*१९-२०--श्री धनुषधारी पांडेय---[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१-२३---श्री ऊदल---[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४-२५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६-२७---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२८---श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्लेटों पर बिक्री-कर

*२९---श्री गौरीशंकर राय---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्राइमरी स्कूलों में लिखने में काम आने वाली स्लेट पर प्रदेशीय सरकार बिक्री-कर लेती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---स्लेटों पर, चाहे वह प्राइमरी स्कूलों में काम आती हों या कहीं और, जब वह ऐसे व्यापारियों द्वारा बेची जायं जिनका वार्षिक विक्रय-धन १२,००० रुपये या उससे अधिक हो, बिक्रीकर लगता है ।

*३०---श्री मदन पांडेय---[१९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

भमोरा-आऊंला सड़क पक्की करने तथा पुलों के बनवाने की प्रार्थना

*३१---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या जिला बरेली में भमोरा से आऊंला तक की सड़क को दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रूप से पक्की कराने का योजना थी ? यदि हां, तो अब यह सड़क कब तक बन सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---पुलों को छोड़कर यह सड़क मार्च, १९६३ ई० तक पूरी हो जाने की आशा है ।

*३२---श्री नत्थूसिंह---क्या यह सच है कि इस सड़क पर दो बड़े पुल दो नदियों पर बनने वाले हैं ? यदि हां, तो इन पर काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---सन १९६२-६३ में इन पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

बरेली-बदायूं सड़क पर रामगंगा का पुल बनने में विलम्ब

*३३---श्री नत्थूसिंह---क्या यह सच है कि बरेली-बदायूं रोड पर रामगंगा का पुल निश्चित अवधि में पूरा न हो सकेगा ? यदि हां, तो कब तक इस पुल के बन जाने का अनुमान है और इसके समय पर न बन सकने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---इसके दिसम्बर, १९६१ तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ।

तृतीय भाग---सन् १९६० ई० में रामगंगा नदी में अधिक बाढ़ आ जाने के कारण इस पुल के निर्माण में कुछ विलम्ब हो गया ।

सिटोली का रेंजिन इन्सपेक्शन हाउस

*३४—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सर्किट हाउस के हेड क्वार्टर के ३ मील के भीतर अल्मोड़ा में सिटोली स्थान में एक रेंजिन इंसपेक्शन हाउस के नाम से विश्राम गृह इस वित्तीय वर्ष में बनाया गया है ? अगर हां, तो इसकी इजाजत राज्य सरकार से ली गई या नहीं तथा इस पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सिटोली में एक रेंजिन इन्सपेक्शन हांउस सन् १९५९—६० में बनवाया गया था । इसके बनवाने की इजाजत राज्य सरकार से नहीं ली गई । इसके बनवाने पर कुल ९०६३ रुपया ६९ नये पैसे लगे ।

*३५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस स्थान पर अल्मोड़ा में लीसा निरीक्षण भवन बनाया गया है क्या उस स्थान पर पहले कोई पक्की दो मंजिल इमारत थी ? अगर हां, तो वह उखाड़ी गई इमारत कब व कितने में बनी थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जिस स्थान पर यह भवन बनाया गया है, वहां पहले कोई पक्की दो मंजिला इमारत नहीं थी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

हैदरगढ़ का विद्युतीकरण

*३६—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़ में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हैदरगढ़ तहसील में बहुत से ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण एक साथ सम्भव नहीं है । इस समय हैदरगढ़ कस्बे का विद्युतीकरण का कार्य जारी है और शीघ्र ही पूरा होने की आशा है ।

*३७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३८–४०—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा), श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ), तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

केसा के श्रमिकों का वेतन

*४१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के श्रमिकों को १९४७ में *ad hoc* basis पर निश्चित किया गया वेतन-क्रम दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । केसा के श्रमिकों को निम्बकर कमेटी द्वारा अनुमोदित वेतन क्रम के अनुसार वेतन दिया जा रहा है ।

*४२–४३—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

अमरोहा-कोठ रोड के निर्माण पर विचार

*४४—श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि २८ मार्च, १९६० को अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद द्वारा सड़कें बनाने की जो मांग सरकार को भेजी गई थी उसको पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---परिषद् द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार प्रथम प्राथमिकता वाली सड़क के एक हिस्से का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

*४५---**श्री रामकुमार वैद्य**---क्या उस मांग में अमरोहा-कोठ रोड के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त सड़क किस समय तक बन जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां, तृतीय प्राथमिकता दी गई थी ।

द्वितीय भाग---इस समय सड़क के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*४६---४७---**श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा)---[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले के चन्दनपुर ब्लाक में नाजायज शिकार

*४८---**श्री धर्मपालसिंह** (जिला गोंडा)---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १३-३-६१ की रात में गोंडा डिवीजन के भाभर रेंज के चन्दपुर ब्लाक में कुछ व्यक्तियों ने नाजायज शिकार किया और एक मादा नील गाय तथा एक मादा हिरन मारा और दिनांक १४ को प्रातः रहेरा चौकी के फारेस्टगार्ड द्वारा वे पकड़े गये जिनमें पंच पेड़वा थाने के इंचार्ज थाने-दार भी थे जिन्होंने फारेस्ट गार्ड को भी दो जानवरों की तरह मार देने की धमकी देकर शिकार जंगल से बाहर कर दिया ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जी हां, इस आशय की सूचना उप-अरण्यपाल, गोंडा वन खंड को मिली है ।

भिकियासेन के निकट रामगंगा पर पुल निर्माण योजना

*४९---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा की रामगंगा नदी में भिकियासेन के निकट जो पुल के निर्माण की तजवीज हुई थी उस तजवीज के अनुसार क्या इस पुल का निर्माण होने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---इस पुल का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की आशा है ।

हरिजन छात्रावास

*५०---**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई) तथा **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)---क्या सरकार ने इसी वर्ष कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि हर जिले में हरिजन छात्रावासों को जिला हरिजन कमेटी अपने हाथ में ले ले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

*५१---**श्री बुलाकीराम** तथा **श्री मन्नालाल**---यदि यह सही है तो हरदोई में उक्त आदेश को अभी तक कार्यान्वित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राइवेट नलकूपों तथा कोल्ड स्टोरेज के मामले

*५२—श्री रामकुमार वैद्य—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६० से फरवरी, १९६१ तक कुल कितनी दरख्वास्तें प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये कृषि-संचालक द्वारा पावर (बी) डिपार्टमेंट को भेजी गयीं ? इनमें से कितनी स्वीकृत हुईं और जो अस्वीकृत हुईं वह किस कारण से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, सन् १९६० से २८ फरवरी, सन् १९६१ तक कुल ५७१ दरख्वास्तें पावर (बी) डिपाटमेंट में कृषि संचालक द्वारा प्राप्त हुई जिनमें से अभी तक १२९ स्वीकृत हुई हैं तथा ४०० अस्वीकृत हुई हैं। अस्वीकृत होने का कारण यह था कि प्रार्थी के पास ४०० एकड़ से कम भूमि थी या उस क्षेत्र में सिंचाई करने के दूसरे साधन जैसे सरकारी नहर या सरकारी नलकूप थे। शेष दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं।

*५३—श्री रामकुमार वैद्य—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कृषि निर्देशक द्वारा १ जनवरी, १९६० से फरवरी, १९६१ तक कुल कितनेकेस कोल्ड स्टोरेज के लिये बिजली की स्वीकृति हेतु पावर (बी) डिपार्टमेंट को भेजे और उनमें से कितने स्वीकृत हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, सन् १९६० से २८ फरवरी, सन् १९६१ तक कोल्ड स्टोरेज के कुल ३३ केसेज कृषि निदेशक से पावर (बी) डिपार्टमेंट में प्राप्त हुए उनमें से २३ स्वीकृत हुए।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कब तक चलेगी, इसके संबंध में मुख्य मंत्री जी बयान देने वाले थे।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, आज आप बयान देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आज नहीं, अभी जरा बातचीत कर लें उसके बाद देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के संबंध में श्री. राजनारायण जी ने यह प्रश्न उठाया था कि वाराणसी, मेरठ और देहरादून वगैरह के कुछ आयुर्वेदिक कालेजों को असम्बद्ध घोषित कर दिया है भारतीय चिकित्सा परिषद् ने। उस विषय में इंडियन मेडीसिन ऐक्ट में अपील का प्राविधान है। इसमें यह है कि:—

"An appeal shall lie to State Government from every decision of the Board under this Act except a decision made by the Board as an appellate authority."

तो आप कृपा करके देख लें, अगर अपीलेट अथारिटी की हैसियत से इस परिषद् के पास आया हो तब तो आपका प्रश्न उठ सकता है क्योंकि फिर अपील नहीं है। लेकिन अगर परिषद् ने ओरीजनल ज्यूरिस्डिक्शन में कर दिया है तो अपील हो सकती है और फिर यह प्रश्न यहां पर नियम ५२ में इस स्टेज पर नहीं उठाया जा सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—तो पहले मैं यह पता लगाऊं कि उन्होंने अपीलेट अथारिटी की हैसियत से डिसीजन लिया है या ओरीजनल ज्यूरिस्डिक्शन में। यह हमको मालूम हो जायगा तो ....

श्री अध्यक्ष—अगर अपीलेट अथारिटी की हैसियत से किया हो, पहले इंस्पेक्टर ने या किसी ने उनको असम्बद्ध कर दिया हो और फिर उसके बाद अपील की गई हो और फिर यह फैसला लिया गया हो तो ऐसी हालत में आप इसको ला सकते हैं। लेकिन अगर इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट कर दी परिषद् के सामने और परिषद् ने फैसला ले लिया तो उसकी तो अपील हो सकती है।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या २७–सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,९९,२०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का बजट पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि इस जमाने में सहकारिता में बड़ी तरक्की हुई है। किसी गरीब मुल्क के लिये सहकारिता आन्दोलन, सहकारिता के जरिये से काम करना, एक तरीका होता है जिससे कि हम चौमुखी तरक्की कर सकते हैं। समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने में सहकारिता काफी हद तक कामयाब हो सकती है। हमारे देश में मिलकर काम करने की भावना की बहुत कमी है। अगर हम सहकारिता के काम में कामयाब हुए तो हर काम में मिलकर आगे बढ़ने की व्यवस्था चलाई जा सकती है। आज आमदनीयों में बड़ा अन्तर है। यदि उसमें कुछ लेविलिंग करना चाहते हैं, कुछ बराबर की आमदनी करना चाहते हैं तो भी वह सहकारिता के जरिये से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आज तरह-तरह की पैदावार बढ़ाने के लिये जो पैसे की कमी है उसको भी पर्याप्त रूप में सहकारिता के जरिये से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं पांच वर्ष के बाद फिर सहकारिता के बजट को आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस वक्त मेरा खयाल है कि कुल कारोबारी धन जो हम खेती की तरक्की के लिये और जनता की तरक्की के लिये इस्तेमाल करते रहे हैं वह १६ या १७ करोड़ रहा है। लेकिन इस वक्त करीब १ सौ करोड़ के करीब कारोबारी धन हमारा हो गया है और १९५९–६० तक वह ९५ करोड़ से अधिक धन था। मुझे आशा है कि यदि हम इस काम में लगे रहे तो कोई वजह नहीं है कि जितना पैसा अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये हमें चाहिये वह सब का सब सहकारिता के जरिये से प्राप्त न हो सके और उसको एक प्लान्ड ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैसा आज किसानों के पास रखा रहता है और इस्तेमाल में नहीं आता, यदि कोई ऐसा तरीका हो सके कि उनके पैसे को उनके ही बैंकों में, उनकी ही सोसाइटियों में अगर अच्छे तरीके चलती हैं तो उसमें जमा करें तो इससे उनको लाभ होगा और जो सरकुलेशन पैसे का होगा उससे हजारों और १० हजार रुपये भी पैदा हो सकते हैं। इसलिये इस बात की व्यवस्था करना चाहिये और होगी कि हमारे जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं वह जल्द से जल्द कम से कम तहसील हेडक्वाटर्स में पहुंच जायं जिसमें आसानी से रुपया लेने देने में और जमा करने में लोगों को आसानी हो सके। सहकारिता को अब हम गहराई से सोचने का प्रयास करें और इसमें ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और उसमें हमको काफी कामयाबी भी मिली है। एक जमाना ऐसा था जब कि हमारे यहां राशनिंग थी और उस जमाने में सहकारिता की थोड़ी बदनामी हुई वह बात हमारे और आपके दिमागों में से गालिबन निकलती नहीं है और अक्सर जो कमेंट्स होते हैं और उससे इधर उधर की छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े नतीजे निकलते हैं।

यह आपको मालूम होना चाहिये कि सहकारिता एक गैरसरकारी आन्दोलन है। उनकी सोसाइटीज के अपने बाईलाज बने हुए हैं और जो ऐक्ट बने हुए हैं इन दोनों को मिलाकर इनकी कार्यवाहियां चलती हैं। अक्सर लोगों से बात करने से मालूम होता है कि सुपरवाइजर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ऐसा लोग जानते हैं। इससे ज्यादा गलत बात दूसरी है नहीं। यूनियन है जो आल इंडिया की है और प्रांविंशियल की यूनियन है। वह एक गैरसरकारी जमाअत है जिसको सरकार कुछ अनुदान देती है। वह सुपरवाइजर्स को ऐडवरटाइज करके रखते हैं और उनके सेलेक्शन के लिये उन्हीं की कमेटीज बनती हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है।

[श्री मंगला प्रसाद]

वे जब चाहे सुपरवाइजर को रखते हैं, जब चाहे उसका ट्रांसफर करते हैं और उनकी गल्तियों के लिये सजा देते हैं और उनको डिसमिस करते हैं। सब अख्तियार यूनियन को है, सरकार को नहीं हैं और न वह सरकारी नौकर है और इसलिये जो अक्सर धारणा रहती है वह गलत है, वह माननीय सदस्यों को तो नहीं हो सकती क्योंकि उनकी जानकारी तो बहुत है, लेकिन आम धारणा लोगों में ऐसी है कि सुपरवाइजर सरकारी आफिसर है। मैं कहना चाहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों बड़ी-बड़ी सस्थायें सहकारिता के जरिये से कायम होने वाली हैं और आज भी कायम हैं। बहुत सी शुगर फैक्ट्रीज हैं क्या आप उनमें नौकर नहीं रखने वाले हैं? आप बहुत से काम ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें गांव-गांव में नौकर रख सकते हैं। वह सरकारी नौकर होंगे क्या? सब गैर-सरकारी होंगे। निकालने और रखने का आपको अख्तियार होगा।

बाईलाज आपके हैं, स्वीकृति जरूर यहां से हुई होगी क्योंकि माडेल बाईलाज में कमोबेशी करके सोसायटीज चलती हैं। ऐक्ट बना हुआ है, वह सब पर लागू होता है। सहकारिता विभाग या आन्दोलन को चलाने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे अफसर उनकी मदद करने के लिये हैं, उनका साथ देने के लिये हैं, जहां वह गलती करते हैं उनको सुधारने के लिये हैं, न कि उनके कामों में इंटरफीयर करने के लिये हैं। अगर जानकारी न होने की वजह से ऐसा मान लिया जाय कि सुपरवाइजर जो उन्हीं का नौकर है, यूनियन का नौकर है, वह लोगों को बहका देता है और गलत चुनाव करा देता है, ऐसी भावना लोगों की हो सकती है। जहां कहीं जानकारी की कमी होती है, जहां लोगों में शिक्षा कम होती है जहां लोगों में घुस कर काम करने की इच्छा या भावना नहीं होती है, वहां जो होशियार कर्मचारी हैं या होशियार काम करने वाले हैं वह अपने तरीके से सोसायटी को चला लेते हैं। अगर सुपरवाइजर होशियार है तो वह अपनी मरजी के मुताबिक चला लेता है और अगर कोई जनता का आदमी अच्छा काम करने वाला है तो उसके मन की बात हो जाती है।

कुछ सूबे ऐसे हैं जैसे बम्बई और मद्रास, वहां जनता के लोगों ने, नेताओं ने शुरू से ही, करीब ३०, ४० साल पहले से काफी हिस्सा वहां के सहकारिता आन्दोलन में लिया। नतीजा यह है कि वहां जिले के स्तर पर जो अच्छे काम करने वाले हैं उनके जरिये से सहकारिता में इस तरह की बात नहीं पायी जाती है कि सोसायटी में बैठकर सुपरवाइजर जो चाहे कर ले। जो विभिन्न दलों के नेतागण हैं, उन्होंने भी काफी दिलचस्पी ली और कुछ लोग काफी दिनों से इस काम को करते चले आ रहे हैं।

श्रीमन्, आज मांग है कि चुनाव जो हुआ करते हैं उनमें कोई परिवर्तन किया जाय जिसमें सही तरीके से चुनाव हो जाय। जो आज बहुत शिकायत चुनाव के बारे में होती है इस तरह की बात आइन्दा पैदा न हो। अभी थोड़े दिन पहले यह था कि गांवों में जो होशियार लोग हुआ करते थे वही गांव सभा में चुन लिये जाते थे। लेकिन इस दफा वही चुन करके आये हैं जिनके पीछे लोग हैं। इसलिये यदि चुनाव के ढंग में परिवर्तन कर दिया जाय, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हों तो बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी, गलतियां दूर हो जायेंगी और जनता के दिलों में थोड़ी दिलचस्पी बढ़ जायेगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---सर्विस कोआपरेटिव्स पर आइये।

श्री मंगलाप्रसाद---मैं आपसे इसलिये यह सब बातें कह रहा था। क्योंकि एक भावना है लोगों की कोआपरेटिव के खिलाफ। कहा जाता है कि यहां काफी गबन होता है जिससे लोगों में यही भावना बन जाती है कि यह संस्था तो गबन की है।

लेकिन आप देखते हैं कि करीब-करीब ६९, ७० हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज तरह-तरह की बन गई हैं और उनमें अगर लाखों आदमी लगे हुए हैं उसमें अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो आप उससे यह नतीजा निकाल लेते हैं कि चारों तरफ त्रुटि है ही। कोई जगह ऐसी नहीं है

कोई काम ऐसा नहीं है चाहे गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो जहां इस तरह की त्रुटियां न मिलती हों। उसकी वजह यह है कि जो देश जमाने से गुलाम रहता है वहां पर खराबी पैदा होती है, चरित्र गिरता है। आजादी आती है तो चरित्र ऊंचा उठता है और वह तरक्की करता है। इसलिये मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस भावना से सहकारिता को देखने की कोशिश न करें।

कभी-कभी सवाल में गबन की बात पैदा होती है। आज सहकारिता में ३२ करोड़ का ऋण दिया जा चुका है और कुछ वर्ष पहले ७, ८, ९ करोड़ दिया करते थे। तो कितने परसेंट तरक्की हो गयी? इसका अनुमान करके हमें और आपको खुशी होनी चाहिये। आइंदा चल कर हमें यह क्या देने वाली है इसका सवाल किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल पैसे का है। मैं आपसे बतलाना यह चाहता हूं कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान में जो टार्गेट्स थे वे सब पूरे हो गये। कहीं कहीं तो हम बढ़ गये, घटने की बात नहीं हुई। आखिर कोई प्लान एक ढंग से होता है, योजना के मुताबिक होता है। अगर प्लान के मुताबिक चल कर हम इसको पूरा कर दें या बढ़ जाय तो हमारी इसमें तारीफ होनी चाहिये। लेकिन तारीफ न हो तो कम से कम समझ कर के बात कही जाय या सुनी जाय या समझी जाय। मैं आपसे कहता हूं कि आज इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप यदि चाहें कि सरकार इसके लिये सब पैसा दे तो नामुमिकन है, वह दे नहीं सकती। जो दौलत है वह देश की है। जनता अगर उसका इंवेस्टमेंट अपने ही काम में करे, अपने ही रोजगार तथा खेती में लगाये, अपने गांव की तरक्की में लगाये और इस तरह से उसका सर्कुलेशन बराबर होता रहे तो जो पैसा जनता का है वह इतना बड़ा सरमया हो जाता है जिससे बड़े से बड़े काम आसानी से हो सकते हैं।

हमारे यहां ३ तरह के कर्जे दिये जाते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अभी तक ज्यादातर अल्पकालीन कर्जे दिये जाते हैं जो कि साल के अन्त में ही वसूल कर लिये जाते हैं। उसकी तादाद ५९–६० में जैसा मैंने बतलाया २९ करोड़ थी और अब इस वक्त करीब-करीब ३२ करोड़ होगी और जून तक ३४–३५ करोड़ हो सकती है। मध्यकालीन कर्जा जो पिछले साल लिया, वह कर्जा गवर्नमेंट गारंटी से मिलता है तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी ६० लाख की। लेकिन जो रुपया बचा हुआ है ८० लाख का वह पूरे का पूरा मिल गया। तीसरा है दीर्घकालीन योजना। इस सम्बन्ध में जो लैंड मार्गेज बैंक हमने खोला है उसमें करीब करीब २९ जिलों में हमने उस काम को शुरू कर दिया है। कोई बहुत प्रगति नहीं हुई है। १५ लाख की डिमांड हुई है। ३ लाख दे चुके हैं और अभी देने की व्यवस्था की जा रही है। हमारा खयाल है कि थोड़े दिनों में इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम करोड़ों रुपये लैंड मार्गेज बैंक की तरफ से दीर्घकालीन योजनाओं के लिये दे सकेंगे।

हमारे कलेक्शन परसेंटेज का मुकाबला हिन्दुस्तान के तमाम प्राविन्सेज से किया जाय तो काफी अच्छा है। ५८–५९ में प्राइमरी सोसायटीज का ११ परसेंट था और ५९–६० में ५.८२ हो गया। सेंट्रल बैंक का ५८–५९ में ८.९ था और ५९–६० में ४.६ हो गया। यानी काफी आगे हम बढ़े हैं कलेक्शन में और ये ऐसी फीगर्स हैं जो हिन्दुस्तान में एक आध प्राविन्स को छोड़ कर सबसे अच्छी है, जहां तक कलेक्शन का सवाल है।

यू० पी० कोआपरेटिव बैंक जो हमारे सूबे का सबसे बड़ा बैंक है उसका शेयर कैपिटल हिन्दुस्तान के और सूबों के जो बैंक्स हैं उनसे सबसे ज्यादा है—२.१२ करोड़। मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये अगर हम १०० करोड़ रुपया किसानों को कर्जा दे सकें, तो जितनी आवश्यकता है किसानों को गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये वह पूरी हो जायगी। अभी हम ३२–३३ करोड़ रुपया देते हैं। मैं समझता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम शायद उस अवस्था तक पहुंच जायं कि १०० करोड़ रुपया कर्जा देने लग जायं और शायद उस जमाने तक जो सूद हम आज लेते हैं उसको भी घटा सकें। मैं यह भी समझता हूं कि रुपया

[श्री मंगला प्रसाद]

खाली खेती की ही पैदावार के लिये आवश्यक नहीं है। कल आपके यहां बिजली होगी, तरह तरह के उद्योग-धंधे चलेंगे, उसके लिये भी पैसे की आवश्यकता होगी और मेरा खयाल है कि हमारे बैंक्स उस आवश्यकता को भी पूरा करने में आखिर में कामयाब होंगे और हर साल हम उसमें प्रगति करते जायंगे।

प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज की तादाद भी काफी है, ५८-५६ हजार के करीब होगी। इसका भी साढ़े ७ करोड़ रुपया शेयर कैपिटल हो गया है, यानी प्राइमरी सोसायटीज में भी रुपया जमा हो रहा है और वह बढ़ता जायगा। मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि जो हमारी गांव की यूनिट है यदि उस पर हम थोड़ा-सा एम्फैसिस दें और उस यूनिट पर हम कुछ काम करने का प्रयास करें और उसका अपना काम अपनी ही सोसायटी से होने लगे, चाहे वह लेने का हो चाहे देने का हो, क्रय-विक्रय का हो या बाहर से खरीद कर लाने का हो, अपना सब काम वह स्वयं करने लगें तो उसका अपना निजी धन काफी हो जायगा और तरह-तरह के काम वह कर सकेगी। हमारे यहां ऐसी ऐसी भी सोसायटीज हैं जिनका २ लाख रुपया अपना निजी धन हो गया है। ऐसी सोसायटीज हमारे यहां बहुत सी हैं जिनके पास थोड़े दिन काम करने के बाद ही १०, १५, २० हजार रुपया हो गया है। सवाल यह है कि जहां अच्छे आदमियों के हाथ में सोसायटी दी जाती है वहां दिनों दिन काम बढ़ता चला जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है, उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ती है, रुपया पाने की शक्ति बढ़ती है और इस तरह से उनका व्यापार रोज ब रोज बढ़ता चला जाता है।

अब मैं आपको जो एक बहुत जरूरी काम हो रहा है सर्विस कोआपरेटिव्ज का उसके बारे में बताना चाहता हूं। सर्विस कोआपरेटिव्ज के बारे में बहुत से लोगों की यह जानकारी है, आपकी ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेताओं की जो सहकारिता में हिस्सा लेते हैं उनको यह बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ कि यकायक १०,२६३ सर्विस कोआपरेटिव्ज कैसे बन गईं। लोगों ने उसके बारे में इधर उधर की बातें लिखनी और कहनी शुरू कीं कि यह दस हजार सोसाइटीज केवल कागज पर बनी हैं, असल में कोई काम नहीं हुआ। मगर यह बात बिलकुल गलत है। अगर जरूरत समझी गई तो मैं एक इवैलुएशन कमेटी बना दूंगा दो तीन आदमियों की, जिसमें दूसरी पार्टियों के भी लोग होंगे, जो जाकर उन सोसाइटियों को देखें और बतायें कि यहां क्या कमियां हैं? क्यों हम चाहते हैं, इसलिये कि यह कहना गलत है कि यह खाली कागज पर ही हैं, जैसा कि लोग समझते हैं, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। उनकी जानकारी के लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भिंडे साहब के चेयरमैनशिप में यहां भेजी थी। वह हिन्दुस्तान के सबसे बड़े कोआपरेटिव के जानकार और कार्यकर्ता हैं और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के एक बड़े अफसर हैं। वह तीन सप्ताह इस सूबे में रहे और बिना यह कहे कि वह कहां जाने वाले हैं बल्कि जहां के लिये उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर देखने वाले हैं, उन्हें दिखाया गया। वह मार्च ६१ में आये थे और उनकी चिट्ठी आई है और उन्होंने सर्विस कोआपरेटिव्ज को बहुत एप्रीशियेट किया है। आपके सूबे में अन्त तक सब सोसाइटीज सर्विस कोआपरेटिव्ज में बदल जायेंगे। आज गांव में जाते हैं तो लोग शेयर लेने के लिये और उसमें शामिल होने के लिये बड़ी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिये कि उनको सही माने में लाभ होता है और अधिक पैसा मिलता है। सरकार शेयर होल्डर हो जाती है। इसमें काफी प्रगति हुई है। १०,२२३ सोसाइटीज की बात सुन कर लोगों को खुशी हो रही थी। अब तक ५००० और बन चुकी है और १६६२ के अन्त तक चार साढ़े चार हजार और बन जायंगी। इस तरह से करीब २० हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज बन जायंगी।

जो हाई पावर कमेटी हमारे यहां आई है उसने सब चीजों को देखा यानी मेम्बरशिप, शेयरमनी वगैरह सब चीजें देखीं। सर्विस कोआपरेटिव्ज को मार्केटिंग के साथ लिंक किया है। अभी तक किसान गल्ला पैदा करता था और उसको सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था

और एक रुपये कीचीज १२, १४ आने में बेचनी पड़ती थी। अगर उसके पास रोकने की शक्ति हो तो काफी पैसा बचा सकता है। इसकी व्यवस्था है कि उसको कर्जा देते हैं और उसको मार्केटिंग से लिंक करते हैं और जो सामान वे पैदा करते हैं वह उसमें ले लेते हैं।

सर्विस कोआपरेटिव्ज में एक खास बात है, वह यह कि जिससे आपको मालूम हो कि सही माने में समाजवादी तरीका अख्तियार किया जा रहा है। अभी तक तो बड़े आदमियों को ज्यादा मिलता था, लेकिन अब यह हो गया है कि जो पैदावार वह करता है उस पर उसको रुपया मिलेगा। इसके साथ ही साथ उसके साधन काट कर रुपया मिलेगा। एक बड़ा आदमी है उसके पास हलवाहा है, सेक्टर है तो यह सब साधन काट दिये जायेंगे तब उसको रुपया मिलेगा। लेकिन गरीब किसान के पास न हलवाहा है, न बैल हैं और खुद काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसका कुछ कटेगा नहीं। इसका नतीजा यह हुआ है कि छोटे काश्तकारों को अधिक पैसा मिलेगा और बड़ों को कम मिलेगा। जो दो एकड़ से कम वाले किसान हैं उनको एक तिहाई पैदावार के हिसाब से २०० रुपये मिलेंगे और दो महीने तक किसानों के पास काम नहीं रहता है तो सबसिस्टेंट लोन २० परसेन्ट कर्जे का और उनको दिया जाता है यानी २०० रुपया अगर दिया गया है तो ४० रुपया दो महीने तक खाना पीना चलाने के लिये भी दिया जायगा। वह लोन होगा। लेना न लेना उनके अख्तियार की बात है लेकिन अपनी तरफ से इन्तजाम है। ऐसा भी है कि जो नान ऐग्रीकल्चरिट्स हैं उनको डेढ़ सौ रुपया तक कर्जा मिल सकता है, गोकि उनके पास खेती बारी नहीं है।

मार्केटिंग सोसाइटीज का कैपिटल शेयर काफी बड़ा हो गया है। डिटेल किताबों में छपा हुआ है। लेकिन जो बात नहीं है, उसको मैंने आपके सामने रखा। जहां-जहां मार्केटिंग हो रही है वहां बड़ा अच्छा नतीजा देखने में आया है। एक दो जगहें ऐसी हैं—कासगंज और गंज दुधवारा एटा में है, इन दो गावों ने ३१ लाख रुपया कर्जा लिया और उन्होंने वहां से इतना गल्ला दिया कि कुल का कुल रुपया वसूल हो गया और कुछ पैसा बच भी गया जो उनको दे दिया गया। वहां पूरा का पूरा रुपया वसूल हो गया। ऐसा देश में कहीं हुआ नहीं।

सर्विस कोआपरेटिव और मार्केटिंग सोसाइटीज का जो हमारा काम है, उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान में किसी का काम नहीं है। इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के लोगों ने बहुत खुश होकर यह तय किया था, यह टार्गेट रखा था कि बाजार में जितना माल आता है उसका दस प्रतिशत अगर सोसाइटीज खुद हैंडिल कर सकें तो हम समझेंगे कि हम सफल हुये। लेकिन हमारा एवरेज है ३० प्रतिशत का, जो हम कोआपरेटिव सोसाइटीज से मार्केटिंग करने में सफल हुये। उससे काफी लाभ हमारे किसानों को हुआ।

सीड भी ऐसी चीज है जो कोआपरेटिव के इन्तजाम में बटता है। ऐसा देश में किसी राज्य में नहीं है। एक जमाना था कि हमारे बीज भंडार ७-८ सौ थे। अब १५२८ बीज भंडार कोआपरेटिव की तरफ से हो गये हैं। एक आध ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। वहां हम ७-८ लाख मन गल्ला देते थे, लोगों को कर्जे के रूप में, अब हमने २५ लाख मन के ऊपर गल्ला कर्ज के रूप में दिया है।

हमारा कलेक्शन भी काफी अच्छा है। बैंक का और बीज भंडारों का भी कलेक्शन काफी अच्छा है। लोग कहते हैं कि रुपया आप देते हैं और फिर वही रुपया आपके पास आ जाता है। यह बात गलत है। हमारे यहां कायदा यह है कि बैंक से रुपया लिया जाता है, रुपया जमा करने के १५ दिन तक किसी को रुपया नहीं मिलता है और इसीलिये नहीं दिया जाता है जिसमें लोग यह न समझें कि इस कर्जे को देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि १५ दिन के लिये कहीं से लाकर जमा कर देते हैं और फिर रुपया लेकर जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिये कोई चारा नहीं है।

[श्री मंगला प्रसाद]

कोग्रापरेटिव को बढ़ाने के लिये एक बात बहुत जरूरी है कि जनता समझे, सदस्य समझें, पंच व सरपंच कोग्रापरेटिव सोसाइटी के समझें कि कोग्रापरेटिव क्या है और क्या करना है, यानी उनकी शिक्षा होनी चाहिये, उनको पूरी जानकारी हो। जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, सुपरवाइजर या कोई अफसर कुछ लोगों के खयाल से उलट-पुलट न कर पायें, इसीलिये आफिशियल्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ७०,१३८ मेम्बर्स की ट्रेनिंग हुई है। सेक्रेटरियों की हुई २,२०८ आदमियों की तथा पंचों की हुई १३,०७६ आदमियों की। यह चीज जारी रहेगी और बढ़ती जायगी, एक-एक गांव में यह पहुंचने वाली है जिससे कि सही माने में लोग समझ जायं कि सहकारिता क्या है, जानकारी न होने की वजह से बहुत सी गलतियां होती हैं। अगर यह जान जायं कि यह उनकी चीज है, वह उसके मालिक हैं, इससे उनके देश का भला होने वाला है, उनके गांव का भला होने वाला है, इससे उनका रोजगार अच्छा होने वाला है तो वह उसमें पूरा हिस्सा लेंगे और जो उसमें गलतियां होती हैं उन गलतियों को रोक सकेंगे और इस तरह उसमें कामयाबी होगी।

मैं यह कह चुका हूं कि नान-आफिशियल ही इसको चलाते हैं और मैं पहले जब था तो हमारे यहां दुग्ध संघ जो था उसमें सरकारी नौकर मैनेजर थे। मैंने यह कोशिश की कि इस तरह की व्यवस्था बन्द हो। उस वक्त लखनऊ का काफी अच्छा काम था, उन लोगों से मैंने कहा कि अब गवर्नमेन्ट आपको मेनेजर नहीं देगी, आपको अपने मैनेजर रखने हैं। चुनांचे उन्होंने मैनेजर अपना रखा और उनका काम काफी अच्छा रहा। इस वक्त भी उनका काम काफी बढ़ रहा है और बढ़ता ही जायगा। इस तरह से जहां तक इस सरकार का सवाल है वह यही चाहती है कि कम से कम सरकारी अफसर इस मुहाफने में लगे। गैर सरकारी संस्था जैसा कि और मुल्कों में है वही होनी चाहिये। हां, कुछ रजिस्ट्री करने के लिये रजिस्ट्रार आदि हो सकते हैं और एकाउन्ट वगैरह देखने के लिये भी वही रखते हैं, तो इस तरह हम इस तरफ काफी कदम बढ़ा रहे हैं और जो अभी कोग्रापरेटिव बिल आने वाला है उसमें आप तजवीज पेश कर सकते हैं कि अपने देश की हालत को देखते हुये, लोगों की कितनी दिलचस्पी है, जागृति कितनी है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुये किस हद तक हम इनको गैर सरकारी बनाने की ओर ले जा सकते हैं। जहां तक हम जा सकें इनको जाना चाहिये।

कोग्रापरेटिव फार्मिंग सुनकर लोगों को अक्सर परेशानी हो जाती है। मैं भी थोड़ी बहुत कृषि को जानता हूं। गांव का हूं, किसानी करना जानता हूं, थोड़ा किया भी है, इसलिये मुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो इसके बारे में बहुत से लोग शिकायत किया करते हैं वह शिकायत गलत है। यह जरूर है कि कुछ मुश्किल काम है। जिस देश में लोग अलग-अलग सब काम करते हों, खाना अलग, पहनना अलग, पूजा अलग, ढंग अलग, वहां पर सामूहिक ढंग से काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत घूमा हूं इस सिलसिले में इसको देखने के लिये कि कहां कोग्रापरेटिव फार्मिंग कामयाब हुई, कहां कामयाब नहीं हुई। मैंने कई जगह देखा कि उनकी आमदनी काफी अच्छी हुई लेकिन जो मैनेजर हैं या जो आदमी बांटने वाले हैं उनकी कुछ लड़ाई हो गई और वह सब काम ठप हो गया। इस तरह की चीजें कई जगह हुई। लेकिन अब भी कुछ जगहों पर मैं देखकर आया हूं जहां बहुत अच्छी तरह कोग्रापरेटिव सोसाइटीज चल रही हैं और ऐसी कोग्रापरेटिव सोसाइटीज अपने यहां हो जायं तो क्या कहना है?

खेमपुर एक जगह है रामपुर में जहां कि कोग्रापरेटिव सोसाइटीज काफी अच्छा काम कर रही हैं। ४३ घर उसमें हैं और लगभग ३२५ एकड़ जमीन खेती के लायक उसमें है। उनकी पैदावार काफी अच्छी होती है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन भी वह देते हैं, उनकी अपनी डेरी भी है जहां चार आने सेर दूध वह देते हैं और एक आना का एक अन्डा देते हैं, इसके अलावा दवा और स्कूल का इन्तजाम

भी है। कहने का मतलब यह है कि हर तरह का इन्तजाम उन्होंने कर रखा है और वह सामूहिक खेती है, सबकी जमीन मिली हुई है। तो इतना सुन्दर काम उनका है और मैंने देखा कि पक्के मकान भी उनके बन रहे हैं, साल दो साल में पक्के मकान भी सबके हो जायेंगे। तो यह है सहकारी खेती का नतीजा। जहां कहीं मिलकर लोग काम नहीं करेंगे जहां भावनाओं में फर्क होगा, जहां आमदनी बांटने में फर्क होगा वहां जरूर लड़ाई हो जायगी। आप सबको यह मालूम होगा कि जो तीन चार पांच बीघे की खेती करने वाले हैं अगर वह अपनी मजदूरी भी उसमें शामिल कर लें तो उनका नुकसान ही रहता है, फ़ायदा नहीं होता। खेती में जब तक कि काफी बड़ा काश्तकार न हो, छोटी खेती करने वाले को फायदा नहीं होता अगर वह अपनी मजदूरी भी लगा ले। लेकिन खेमपुर में जितने काम करने वाले हैं सबको मजदूरी देने के बाद भी बचत होती है और वह तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ४३२ के करीब सोसाइटीज हैं जिनमें ३११ या ३१२ में फायदा हो रहा है। जहां कुछ खराबी है, बुराई है वह तो है ही, लेकिन फायदा हो रहा है। जहां तक कृषि फार्मिग का सवाल है उसके लिये जनता को अधिकार है कि उनमें वह शामिल हो या न हो। कोई मजबूरी उसके लिये नहीं है। इसलिये जो लोग शामिल होकर काम करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं, जो नहीं चाहते उनको अख्तियार हैकि न करें। उन पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन उस काम को बढ़ाने का प्रयास हमको करना चाहिये। ४५ पायलट प्रोजेक्ट हम चलानेवाले हैं और यह खयाल है कि साढ़े तीन सौसोसाइटियां इन प्रोजेक्ट के अलावा हम चलायेंगे।

एक पायलट प्रोजेक्ट में करीब १० सोसाइटियां होंगी और इस तरह से ४५० सोसाइटिय तो पायलेट प्रोजेक्ट में और साढ़े तीन सौ अलग, इस तरह से कुल ८०० सोसाइटियां हम यहां बनाने वाले हैं इस अगली पंचवर्षीय योजना में। जो इमदाद इन सोसाइटाज को अब तक दी गई है वह तो नामिनल है। कुछ फायदा उन लोगों को होता है। कहीं टैक्स नहीं लगता था, कुछ अनुदान आदि मिल जाता था इधर-उधर से, लेकिन कोई खास मदद नहीं थी। अब जो कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटीज होंगी उनको ५००० रुपया तो गोदाम और पशु-शाला के लिये मिल सकता है जिसमें ७५ फीसदी तो कर्ज होगा और २५ प्रतिशत अनुदान होगा। ४,००० रुपया मध्यकालीन कर्ज मिल सकता है। १२०० रुपया ५ वर्ष तक इन्तजाम करने के लिये, आदमी रखने के लिये मिल सकता है और २,००० शेयर उसमें सरकार लेगी। इस तरह से जो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे सहकारी फार्म्स चलने वाले हैं, पहले के मुकाबले में उनको काफी मदद मिलने वाली है। मुझे आशा है कि इसका फायदा हमारे देश के लोग उठावेंगे और अच्छे से अच्छा आदमी उसमें शामिल होकर इसे कामयाब बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि यह चारों तरफ आसानी से फैल सके और बढ़ सके।

डेरी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह चीज भी बढ़ने वाली है। डेरीज के बारे में काफी शिकायत है और मुझे भी पहले शिकायत थी और आज भी देखने के बाद थोड़ी सी शिकायत थी और मैं उसको रिआर्गनाइज करने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि इसमें भी काफी कामयाबी आपको मिलेगी.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––अच्छा दूध भी मिलने लगेगा?

श्री मंगलाप्रसाद ––मैं तो दूध पीता ही नहीं, वैसे ही काफी मोटा हूं। यह तो आपको जानना चाहिये।

लखनऊ और इलाहाबाद के अलावा और जितनी सोसाइटीज हैं ६ या ७, वहां उनकी कोई अच्छी हालत नही है। लेकिन अब जो इन पंचवर्षीय योजना में इसकी प्रगति करने की बात है उसमें काफी रुपया खर्च होगा और काफी काम बढ़ने वाला है। अभी हम कुल साढ़े सात सौ मन दूध देते हैं, लेकिन आइन्दा चल कर हम कई हजार मन ५, ६ हजार मन दूध देने वाले हैं।

[श्री मंगलाप्रसाद]

इसलिये इसमें वह सब कार्यवाहियां की जायंगी जो पहले बन्द थीं और वह यह बहुत सी सोसाइटीज बनाई जायेंगी और उनको गाय भैंस खरीदने के लिये पैसा दिया जायगा और उन्हीं के दूध से वह धीरे धीरे वसूल किया जायगा। इस तरह से इस काम में हमारी काफी प्रगति होगी। इसकी तफसील में मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तो दिल्ली में दूध देने की व्यवस्था की जा रही है। वहां करीब १६०० मन दूध १९६१ के आखिर तक हम मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में चार सोसाइटियां कायम कर के देने वाले हैं। कानपुर में भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है दूध की सप्लाई और दूध को बढ़ाने का। उस पर काफी पैसा खर्च होगा। करीब २८ लाख रुपया खर्च होगा और उससे जनता को काफी फायदा होगा। इस पंचवर्षीय योजना में ४ जगह और भी इन सोसाइटियों को खोलने का विचार है। एक देहरादून में खुलने वाली हैं और ३ और जगह। इस तरह से धीरे-धीरे एक लाख की भी जहां की आबादी है वहां पर एक-एक दूध की सोसाइटी हम अवश्य खोलना चाहते हैं।

बेयरहाउसेज का काम भी हमारा दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है। जितना पैसा हम ने खर्च करके तरक्की की है उतनी हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं की है। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य इसे नई रोशनी में तथा जो भी ठोस कदम हमने उठाये हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं उसके सामने रख कर देखें और हमारे कामों में सहयोग दें। हमारे समाज में जो बेकार लोग हैं उनको इसमें लाने का प्रयास करें ताकि जो आज हमारी समस्यायें हैं उनको हम दूर कर सकें। आज हमें आपकी, उनकी तथा सभी के गाइडेन्स की आवश्यकता है।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, सहकारिता का महत्व हमारे देश में बहुत बड़ा है। सहकारिता के आधार पर आज बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है और यहां तक कहा जाता है कि एक कोआपरेटिव कामनवेल्थ की स्थापना होनी चाहिये। मैं इसमें दो रायें नहीं रखता, और एक अंश तक सहकारिता हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। उससे बहुत फायदा होता है। पर जिस प्रकार से आज सरकार सहकारिता का प्रयोग करके, उसको एक्सप्लाइट करके अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करती है, उसके प्रति मुझे शिकायत है। आज हमें देखना है कि वास्तव में सहकारिता है क्या चीज। सहकारी समिति में और एक प्राइवेट फर्म में क्या अन्तर है, इस को सदन के सभी माननीय सदस्य सोचने का कष्ट करें। दोनों ही रोजगार करते हैं, दोनों ही परिश्रम करते हैं, धन लगाते हैं, पर फर्क इतना है कि सहकारिता का उद्देश्य तो यह होता है कि अपनी आवश्यकतानुसार चीजों को पैदा करके वह उपाय सोचें जिनसे उत्पन्न की गई चीजों का अधिक मूल्य मिल सके और आपस में एक सेवा की भावना पैदा हो, जबकि इसके बरअक्स एक प्राइवेट फर्म केवल लाभ उठाने की भावना से ही अपना कार्य करती है।

हमारे मन्त्री महोदय ने इस बात को कहा है कि हम इसमें से सरकारीपन को निकालना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? आज सहकारिता को कोई भी आदमी अपना नहीं समझता है और उसका कारण यही है कि दिन पर दिन सहकारिता में सरकारीपन बढ़ता चला जा रहा है और सेवा की भावना दूर हो रही है। इनके रजिस्ट्रार को अगर हम सेमी गाड कहें तो गलत न होगा। आज जो भी सहकारिता के सम्बन्ध में विधान बने हुये हैं उनमें अन्त में एक नुक्ता लगा रहता है और रजिस्ट्रार महोदय को हर प्रकार की पावर्स दे दी गई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रजिस्ट्रार महोदय जो भी संशोधन करना चाहें कर सकते हैं, जिसको निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यह जो नुक्ता लगा रहता है इससे सहकारिता की जो भावना होती है और उसका जो लक्ष्य होता है वह समाप्त हो जाता है।

आज सरकारीपन इसके अन्दर किस तरह से दिनों दिन प्रवेश कर रहा है, उसके दो एक उदाहरण दूंगा। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन में डिवीजनल रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि जो पद आपके हैं वह सरकारी आदमियों को दिये जायं। इसके माने क्या हैं, इसको देखना चाहिये। मंत्री महोदय हमारे हाथ हिला रहे हैं, यह दुख की बात है मंत्री जी की भावना कुछ है, सरकारी विभाग की दूसरी। कोआपरेटिव फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं वैद्य जी, उन्होंने कल कहा कि ऐसे आदेश मुझको मिले हैं। इन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, उनसे पता लगायें।

श्री मंगलाप्रसाद—जरा दोहरा दीजिये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मैंने कहा कि डी०सी० डी० एफ० के जो सेक्रेटरी हैं उनको डिवीजनल रजिस्ट्रार ने यह आदेश दिया है कि जो आपके आफिस बियरर हैं इनको सरकारी आदमियों को बनावें।

जो प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन है, वया उसका नक्शा होता है। एक प्राइमरी सोसाइटी को अधिकार होता है कि वह उसकी मेम्बर बन सके। मानी हुई बात है कि जितने प्राइमरी सोसाइटी के सदस्य हैं वह कोआपरेटिव फेडरेशन में नहीं आ पाते। होता यह है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं वह प्रावसी अपने साथ लाते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। बस्ती जिले में एक पथर लाज सोसाइटी है, या शायद डोमरियागंज में है, वहां पर एक अधिकारी महोदय ने, वहां के सुपरवाइजर ने कुछ लोगों को कर्जा दिया। उन बेचारों ने एतराज किया कि यह कर्जा हमको नहीं मिला है, गलत लिखा गया है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दुर्भाग्य से जब वह मामला अदालत में गया तो वहां अधिकारियों के खिलाफ वह अपनी बात साबित नहीं कर सके और १३ मेम्बरों को इस वास्ते सजा दी गयी, उनकी स्पिरिट को क्रश किया गया और यह कह कर कि तुमने खिलाफत में गवाही दी उन पर सौ सौ रुपया जुर्माना किया गया और जिन्होंने अदालत में दावा दायर किया था उस पर ५०० रुपया किया गया। अगर यह सरकारीपना नहीं है तो आप ही उसको श्रीमन्, समझ सकते हैं।

हर डी० सी० डी० एफ० की नामजदगी सरकार द्वारा ही होती है। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि नामजदगी तो हम नहीं चाहते हैं, लोग अपना चुनें। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन जिस तरह से नामजदगियां होती हैं वह सारे सदन को मालूम है। एक बस्ती का उदाहरण दूंगा। सौभाग्य से हमारे भूतपूर्व और वर्तमान दोनों मंत्री सहकारिता के मौजूद हैं। जब उन का राज्य था तो एक श्री उपाध्याय हैं उनको नियुक्त किया गया जबकि डिपार्टमेंट में सबने मुखालिफत की थी कि वह नहीं होने चाहिये थे। लेकिन उनको नियुक्त कर दिया गया। जब मंत्रिमंडल बदला तो वह भी बदल गये। एक दूसरे सज्जन, मौईजुद्दीन साहब हैं वह कर दिये गये। २० हजार रुपया उनको तकावी भी दी जा चुकी है। वह तकावी का रुपया आज तक नहीं वसूल किया गया। दूध में पानी मिलाने के लिए सजा हो चुकी थी, अब दूध पानी अलग करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। इस तरह से इंटरफियरेंस और सरकारीपन होता है। राजकीय दल अपने मुआफिक और अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए इन डी० सी० डी० एफ० और सोसाइटीज को इस्तेमाल करता है।

हमारे गोंडा जिले में राजकीय दल के एक सज्जन और नियुक्त किये गये। मैंने सुना था कि मंत्री जी ने उनको हटाया है और उन पर २६,००० के गबन का मामला चलाने जा रहे हैं। आज किसी भी डी० सी० डी० एफ० को उठया जाय, कोई भी मंत्री जी नियुक्त किये गये हैं, उनको देखा जाय तो वास्तविकता सदन को और मंत्री जी को मालूम हो सकती है।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह[

श्रीमन्, एक राज्य सहकारिता विकास कोष खोला गया है जिसका मंत्रीजी ने जिक्र किया। इसमें यह है कि राज्य की तरफ से सहायता दी जायगी बड़ी बड़ी समितियों में हिस्सा लेने के लिये। सरकार भी हिस्सा लेती है। कोग्रापरेटिव की स्पिरिट यह है कि एक हिस्सेदार का एक वोट होगा लेकिन अगर सरकार हिस्सेदार बनती है तो तीन आदमियों को नामजद करती है जिनके तीन वोट होते हैं।

लोन का भी बहुत जिक्र किया गया और कहा गया कि इतना लोन बढ़ाया जायगा। १९६० में ३६ करोड़ का टार्गेट था लोन बांटने का, लेकिन २९ करोड़ २१ लाख लोन बांटा गया। थर्ड प्लान में श्रीमन्, ३० से ८० करोड़ का टार्गेट है। आज हालत यह है एक निजी व्यक्ति की आमदनी १९१ रुपया है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है कि इस वक्त तक फी सदस्य ९९ रुपये का कर्जदार हो चुका है। सरकार ने सोसाइटियों के सदस्यों को भी ९९ के चक्कर में डाल दिया है। अगर पुराना जमाना होता और जमींदार अगर इतने कर्जदार हो जाते तो सरकार उनको नालायक समझकर निकाल देती। सरकारी विभाग इतना कर्जा बढ़ाते जाते हैं, कर्जदार बनाते जाते हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। आज जो इतना कर्जे का बोझ लादा जा रहा है उसमें मैं समझता हूं किसी की लायकी या होशियारी नहीं है। कर्जदार आदमी नालायक ही समझा जाता है। इस प्रकार से लोगों को कर्जदार बनाकर देश का उद्धार नहीं हो सकता। १९५१ में रूरल इन्वेस्टमेंट की फीगर ४५ परसेन्ट थी जो ५७ में ६८ परसेन्ट हो गई।

श्रीमन्, लोन के लिये जो कहा गया कि बहुत लोन बंटना चाहिये, एक तालिका हमें सदन में मिली है जिसके अनुसार १९५९-६० में ११३० करोड़ रुपये का लोन सेन्ट्रल बैंक के जरिये से बांटा गया जिसमें ८७९ करोड़ की वसूली हुई और ढाई सौ करोड़ वसूल नहीं हो पाया। एक तरफ तो बजट में घाटा दिखाया जाय और दूसरी तरफ लोन वसूल न हो सके, इस पर भी हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये। इसके बाद भी सोसाइटियों के बढ़ाने का ढोंग रचा जा रहा है। किस तरह से सोसायटियां बढ़ाई जा रही हैं, यह भी हमें मालूम नहीं और श्रीमन्, देहातों में बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होता कि वह किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं उनको प्रलोभन देकर दस्तखत कराये जाते हैं।

श्रीमन्, पुस्तिका में बहुत सी तालिकायें दी हुई हैं कि इतनी सोसाइटियां बढ़ी हैं, इतनी पूंजी है, इतनी लागत है लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उनका प्राफिट क्या है। उनकी आमदनी का कहीं जिक्र नहीं है। एक छोटी सी तालिका में जो प्राफिट दिखलाया गया है वह श्रीमन्, सुनने लायक है। इसमें शेयर कैपिटल ऐट दि एन्ड आफ दि ईयर १९, २०,९६ हजार रुपये दिखलाये गये हैं और प्राफिट १,९४,३६ हजार रुपये दिखाये गये हैं यानी दस परसेन्ट प्राफिट रहा। अगर इस तरह से पूंजी लगा कर, कर्जा देकर और आमदनी केवल २ प्रतिशत हो तो उससे अच्छा तो यह है कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में या किसी बैंक में रुपया रख दिया जाय, वह ज्यादा अच्छा है।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, आपको मालूम होगा इसका वर्किंग देखे जाने के लिये एक कमेटी बनायी गयी थी। उसकी रिपोर्ट है कि १५ प्रतिशत कार्य संतोषजनक हो रहा है और ८५ प्रतिशत असंतोषजनक रहा है।

सीड स्टोर्स की भी बहुत चर्चा की गयी। लेकिन किसी सोसाइटी को देख लिया जाय कि उसके पास 'ए' क्लाज बीज का परसेंटेज क्या है? मेरे खयाल से शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसके पास 'ए' क्लास बीज हो। नतीजा यह है कि घपलेबाजी में बीज चला जाता

हैं । जो कामदार या सुपरवाइजर होते हैं वे काश्तकारों से रद्दी से रद्दी बीज फसल पर लेते हैं और बाद में मारकेट रेट से कम पर वह गल्ला बेच दिया जाता है । सीड स्टोर का गल्ला हमेशा मारकेट रेट से कम पर बिकता है ।

बीज के बांटे जाने के बारे में जो फिगर्स दी गयी हैं उसमें दिया हुआ है कि ११०६.८७ लाख रुपये का बीज बांट गया जिसमें से २६८.८ लाख रुपये का वसूल हुआ है । यह सहकारिता विभाग की कारगुजारी है कि २५ प्रतिशत बीज वसूल हुआ । इस पर भी माननीय मंत्री जी बड़े प्रसन्न हैं । लेकिन सदन देख सकता है कि २५ प्रतिशत वसूली कहां तक अच्छी कही जा सकती है ।

जहां तक करप्शन की बात है, हम लोग आये दिन, जब सहकारिता के प्रश्न आते हैं, इस बात को सुनते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जब किसी सोसाइटी में कोई गबन न हुआ हो या उसका रुपया लेकर कोई लापता न हो गया हो । वास्तव में बात यह है कि यह जो सहकारिता आन्दोलन चल रहा है उसमें सहकारिता के अधिकारी मालिक हैं लेकिन हैं वे बिलकुल साफ, यानी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जब कि और विभागों में जिम्मेदारी होती है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह तो उन लोगों की होती है, हमसे उसका क्या वास्ता । लेकिन वास्तव में मालिक होते हैं वही चाहे काम करें या न करें, चाहे कुछ गड़बड़ी करें, चाहे अच्छा करें । इस डूअल सिस्टम में जो घपला न हो जाय वही कम है । वास्तव में मालिक सुपरवाइजर होता है लेकिन जब घपला हो जाता है तो कहा जाता है कि उसका कोई संबंध नहीं है, मालिक तो सदस्य लोग हैं ।

हमारे मनकापुर में दो सोसाइटीज हैं । वहां एक ईंटों का भट्ठा चल रहा है और बहुत संतोषजनक रीति से चल रहा था, ऐसा कि ऐसे भट्ठे बहुत कम चलेंगे, लेकिन सुपरवाइजर साहब ने आडिट से पहले सब कागजात जला दिये । बाद में उसको बरखास्त कर दिया गया लेकिन उसका खमियाजा सोसाइटी को आज तक उठाना पड़ रहा है ।

कर्जे को लीजिये । यह ठीक है कि लोगों को कर्जा कम सूद पर मिल जाता है, ६ से ९ फी सदी तक पर मिल जाता है, जब पहले २०–२५ प्रतिशत अथवा ड्योढ़े तक पर मिलता था । अब होता क्या है ? कोई किसान कर्जा इस समय नहीं अदा कर पाया । सुपरवाइजर साहब ने सूद और २–४ रुपया और लेकर उस कर्जे को वसूल दिखा दिया और अगले कर्जे पर दस्तखत करा लिये और कह दिया कि यह हमारा क्लेक्शन हो गया, आगे के लिये लोन है । कर्जा वहीं का वहीं रहा, कागज में हेरफेर हो गया । इस तरह की धोखाधड़ी है ।

एक धनुआपुर बस्ती जिले में है । वहां के सुपरवाइजर ने ५–६ हजार रुपये का हाल में गबन किया । शिकायत की गई, कोई पुरसांहाल नहीं । अंत में कहा गया कि नौकरी छोड़कर चला गया । वह नौकरी छोड़कर चला गया और सोसाइटी का वह ५–६ हजार रुपया वसूल होने की आज तक कार्यवाही हो रही है ।

सेलेक्शन, सर्विसेज और ट्रेनिंग की तरफ भी मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं अब तो नहीं जानता लेकिन आज के पहले यह होता था कि सुपरवाइजरों की लिस्ट सेक्रेटरिएट में बनती थी और इम्तहान वहां होता था । अधिकारीवर्ग इंतजार करते थे कि कब टेलीफोन आवे या कब पर्चा आवे । वह कुछ नहीं कर सकते थे । जिस कोआपरेटिव संस्था से कहा जाता है कि हम राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, समाजवाद का ढांचा बनाने जा रहे हैं, वहां के सेलेक्शन में इस तरह का पक्षपात होगा तो क्या निर्माण हो सकता है ?

सर्विसेज के बारे में कहा गया कि सुपरवाइजर या स्टाफ जो है वह सरकारी नौकर नहीं है । बड़ी खुशी की बात है । हमारे मंत्री जी एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं और आज से नहीं सन् २१ से रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनके खयाल में नागरिक की इज्जत ज्यादा बढ़ेगी । लेकिन हालत क्या है ? आज सर्विसेज में यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी सुपरवाइजर की

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

हो जाती है, सुपरवाइजर कोआपरेटिव सोसाइटी का नहीं होता है। वह जैसे चाहे चलाता है, न मीटिंग करता है न कुछ। एक दलालों का गुट बनवा देता है देहात के अन्दर। चार पांच आदमी मिले रहते हैं, वही फायदा उठाने वाले होते हैं, उन्हीं के द्वारा कर्जा बंटता है और उन्हीं के द्वारा घूसखोरी होती है। कोई सोसाइटी स्वप्न में भी नहीं कह सकती कि सुपरवाइजर हमारा नौकर है। यदि इस तरह का नियम बना दिया जाय कि जो सोसाइटी यह पास कर कि हम इस सुपरवाइजर को नहीं रखेंगे तो उसी दिन से वह हटा दिया जाय, तो उनमें कुछ जान आ जायगी। अभी तो सुपरवाइजर मालिक हैं, सोसाइटी के सदस्य मालिक नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकर नहीं हैं। लेकिन मैं दो-एक केसेज जानता हूं कि सुपरवाइजर से और किसी मेम्बर से झगड़ा हो गया तो वह आफत आई है कि सरकारी नौकर पर आक्रमण हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और वही दफा लगाई जाती है जो सरकारी नौकर के संबंध में कुछ बात हो जाने पर लगाई जाती है।

ट्रेनिंग के संबंध में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा नक्शा दिखाया है। आशा है कि जरूर लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देहातों का भविष्य उज्जवल होगा। हम भी चाहते हैं कि उज्जवल हो। लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था जो हो रही है उसमें ग्रामीणपना नहीं आ रहा है, "रूरल माइंडेडनेस" नहीं आ रही है। ज्यादातर शिक्षण केन्द्र शहरों के अन्दर खोले गये हैं। जैसे आई० सी० एस० में अंग्रेज भर्ती करते थे तो कम्पटीशन भले ही कहीं हो लेकिन दो साल के लिये पालिस्ड होने के लिये विलायत भेज देते थे ताकि हिन्दुस्तानीपना कम हो और अंग्रेजीपना आ जाय और हिन्दुस्तानियों को वह दूसरी निगाह से देखने लगे। इसी कारण इंगलैंड में आई० सी० एस० की ट्रेनिंग होती थी। वही हाल यहां है। काम करना है देहातों में, रहना है देहातों में लेकिन ट्रेनिंग सेंटर ज्यादातर शहर में खोले जाते हैं। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे ५ मिनट और दे दीजिये। एक आवश्यक चीज और कह दूं।

कोआपरेटिव फार्मिंग का बहुत चर्चा किया गया। कहा गया कि ४३३ कोआपरेटिव सोसायटीज थीं लेकिन किताब में केवल २३ का जिक्र किया गया है कि २३ ऐसी हैं जिन्हें ५ हजार पये से ज्यादा प्राफिट है, श्रीमन्, जो एक हरी किताब बंटी है इसकी तालिका के अन्दर है। सर्विस कोआपरेटिव से खेती की तरक्की हो सकती थी न कि मिल्कियत पर कब्जा करने से फायदा हो सकता था, मगर इस किताब में साफ लिखा गया है कि जो पालिसी अब तक बेटर फार्मिंग सोसाइटीज बनाने की थी वह खत्म की जा रही है और अब ज्वाइंट फार्मिंग सोसाइटीज बनेंगी।

तो श्रीमन्, तारीफ तो बहुत की मगर हमारे भूतपूर्व मंत्री गौतम जी चले गये, उन्होंने विधान सभा के अन्दर २२ दिसम्बर, सन् १९५७ को एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि ३३४ कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—हाजिर हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—बड़ी खुशी है। आप इसे स्वीकार करेंगे कि ६१०१६ एकड़ पर खेती होती थी और ७ सौ परिवार खेती करते थे। फायदा उससे २ लाख २५ हजार रुपये हुआ। औसत ३ रुपये ८६ नये पैसे प्रति एकड़ फायदा हुआ और ३३ पये २५ नये पैसे फी आदमी को साल भर में मिला। अगर यही लक्ष्य है और इसी दिशा में हम लोगों को लिये जा रहे हैं तो भगवान मालिक हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता।

सहकारी खेती जब से चलायी गयी है तब से इसका क्या नतीजा हुआ है। हमारे माननीय नवल किशोर जी कहेंगे कि हम लोग एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरीमेंट तो कर चुके हैं और एक्सपेरीमेंट सारे देश में किये जा रहे हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह के लिये तब कहा जा

सकता था कि वे बाहर हैं इसलिये कह रहे हैं लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं है, वे कहते हैं कि वे कृषि विभाग के मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि सहकारी खेती कहीं पर सफल नहीं हुई । मैं आपके आंकड़े ही बताता हूं कि सन् १९४८ से लेकर सन् ५४ तक ३ लाख एकड़ प्रतिवर्ष जमीन तोड़ी जाती थी लेकिन सन् १९५४ में ५७ तक १८ हजार एकड़ तोड़ी जानी शुरू हुई और जब से सहकारी खेती का नाम आया तब से सन् ५७ से १ लाख ५४ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गई । जो औसत फिगर है सन् ५१ की पैदावार की वह ४.७२ मिलियन टन होता था लेकिन वह घटने लगा ज्यों-ज्यों प्रोत्साहन मिला और सन् ५५ में वह जाकर .७ मिलियन टन रह गया जब से सहकारी खेती का नाम हुआ । हमारे गोविन्द सहाय जो नहीं हैं, उनका जो मूलभूत सिद्धान्त है समाजवाद का उसके नाम से जब से काम हुआ तब से यह हाल है । तो श्रीमन् मुझे कहना है कि देश को, उसके देहात को बरबाद न करें, देहात की तरफ ध्यान दें । एक उर्दू शायर की बात याद आती है, श्रीमन् :

"ले के चुटकी में नमक, आंख में भर के आंसू,
इस पर मचले हैं कि जख्मे जिगर देखेंगे ।"

एक अंग्रेजी कवि ने भी इसी तरह से ठीक कहा है :—

"Princes and politicians may flourish or may fade,
A breath can mar them as a breath has made,
But a bold peasantry, a country's pride,
Once destroyed can never be survived."

श्रीमन्, आपको काश्तकारों ने इन गद्दियों पर भेजा है इनका ध्यान दें और मुझे आशा है कि वे इसका खयाल जरूर करेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि सहकारिता का हमारे देश और प्रदेश के लिये क्या महत्व है । हम यह भी जानते हैं कि सहकारिता की कामयाबी पर इस प्रदेश का भविष्य, उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक ढांचा बहुत कुछ निर्भर है । हम यह भी जानते हैं कि जो हमने अपने सामने सोशल आबजेक्टिव रक्खा है, जो अपने सामने हमने सामाजिक लक्ष्य रखा है उसकी अधिकांश कामयाबी और जो हमारा लक्ष्य समाजवादी ढंग पर जनतंत्र को स्थापित करने का है उसकी कामयाबी बहुत कुछ सहकारिता के ऊपर है । और जो हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है उसके अन्दर भी हम देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच अगर कोई लिंक है तो कोआपरेटिव है । इन सब बातों को, जो अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, दृष्टि में रखते हुये हम जब देखते हैं तो यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है ।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मंत्री जी ने उनको प्रस्तुत कर दिया है । मुझे खुशी है कि हमारी स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सदस्य राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने भी जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है उसको स्वीकार किया है । उन्होंने जितनी भी दलीलें दीं वह इस बात की थीं कि कोआपरेटिव का वर्किंग जो है उसमें कमियां हैं । मगर मान्यवर, इमप्लीमेंटेशन की कमी से या किसी सोसायटी की वर्किंग में कमियां होने की वजह से सिद्धान्त गलत हो जाय, ऐसी बात नहीं है, न मैं मानता हूं और न राजा साहब ही मानते हैं ।

जैसा अभी कहा गया हम जिस क्षेत्र में भी देखते हैं, चाहे कंज्यूमर सोसायटी हो, सर्विस सोसायटी हो, क्रेडिट सोसायटी हो, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है । देखने की बात यह है कि जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है इस पर दो रायें नहीं हैं, जैसा मेरे मित्र ने अभी कहा कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में, उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं, जैसा मंत्री जी ने कहा, कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धान्त को कांग्रेस मानती है । साथ ही इस बात को भी मानती है कि कोआपरेटिव फार्म्स बनाने में किसान को पूर्ण स्वतंत्रता है । वह अगर समझता है कि उसके हित में है तो

[श्री नवलकिशोर]

उसको बनाये और अगर नहीं ठीक समझता है तो न बनाये, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है । इसीलिये जो शुरूआत की गई वह सर्विस कोआपरेटिव से की गई ताकि जो किसान की दिन प्रति दिन की आवश्यकतायें हैं जिनको किसान स्वयं निजी तौर पर मुहैय्या नहीं कर सकता है, वे संगठित रूप से मुहैय्या की जायं। इस कारण से यह समितियां बनायी गई हैं और उनकी संख्या २०,००० तक पहुंच गई है ।

माननीय मंत्री जी ने भिडे टीम का, जो केन्द्र से हमारे प्रदेश में आयी और जिसने यहां भ्रमण किया उसका कुछ चर्चा किया। मुझे खुशी है कि उस टीम ने हमारे कामों की बहुत प्रशंसा की। मैं यह भी जानता हूं कि पार्लियामेन्ट की तरफ से जो टीम बनी, जिसने सारे हिन्दुस्तान को देखा उसने यह बात कही है कि १५ फीसदी कोआपरेटिब्ज कामयाब हुई हैं । मैं यह भी जानता हूं कि रिजर्व बैंक की तरफ से जो टीम आयी थी उसने भी हमारे कामों की काफी आलोचना की। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मुझे बताया गया कि रिजर्व बैंक की जो टीम थी उसका कुछ माइन्ड प्रीजुडिस्ड था क्योंकि उसमें और नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल में सिद्धान्त के ऊपर कुछ बुनियादी इख्तलाफ है । यदि ऐसा है तो यह एक गम्भीर प्रश्न है जिसको सरकारों को देखना चाहिये ।

मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कोई टीम आयी हो और चाहे उसने हमारे कामों की आलोचना की हो, कमियां बतायी हों या तारीफ की हो, मेरे ऊपर उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है । सरकार सब से बेहतरीन स्थिति में है यह जानने के लिये कि वस्तु स्थिति क्या है सरकार इस बात की जांच करे कि वाकई स्थिति क्या है । कोआपरेटिव सोसाइटीज जो इतनी व्यापक हमारे यहां बन गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कामयाबी पर देश का भाग्य निर्भर है तो हम सब इस बात को देखें कि कामयाबी कहां तक हुई है और क्या कमियां हैं और उनको किस तरह से दूर करें ।

इसलिये मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वह एक हाई पावर कमेटी बैठायें जो हमारे कामों का इवैल्यूएशन करे और साथ-साथ यह भी देखें कि जहां ४ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में बंटता था वह अब ३० करोड़ हो गया है और जून के आखिर तक ३५ करोड़ हो जायगा, और तीसरी योजना में ८०, ९० करोड़ तक हम उसको पहुंचा देंगे, निःसन्देह आपने गरीब किसान को जो साहूकारों की जंजीर के अन्दर जकड़ा हुआ था मुक्ति दी लेकिन यह भी आपका फर्ज है देखना कि उस कर्जे को देने के बाद और सहकारी समिति का मेम्बर बनने के बाद जो किसान की आर्थिक स्थिति थी उसमें क्या उन्नति हुई । उस पर कर्जा तो नहीं बढ़ा है, उसकी पैदावार में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि केवल कर्जा देना ही काफी नहीं है बल्कि परपज यह है कि वह एक खास काम के लिये दिया गया है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे । तो वह आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी या कितनी नहीं सुधरी यह सरकार को देखना चाहिये ।

इसके अलावा एक और बात है । वह सहकारिता की बात है । यह जन आन्दोलन है, इसमें जनता का इनिशियेटिव होना चाहिये । लेकिन आज भी मेरा अनुभव है कि जो इनिशियेटिव है वह सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है, वह जनता के हाथ में नहीं पहुंचा है । दूसरे देशों में आप देखें कि जो पूंजीवादी देश हैं जैसे अमेरिका और आस्ट्रेलिया वहां भी कोआपरेटिव्स हैं और मैं समझता हूं कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं । लेकिन उन देशों में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो नान आफिशियल एजेंसीज हैं वे इतनी ज्यादा विकसित हैं और वहां अफसरान की, जो एक कतार यहां बन जाती है, वहां इतनी जरूरत नहीं पड़ती । आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो नान अफिशियल एजेंसीज हैं उसका डेवलपमेन्ट किस तरह से हो । मुझे इस बात का दुख है बावजूद तमाम कोशिश के इसमें हमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली । मैं जानता हूं कि नाम मात्र के लिये इसमें जनतंत्र है । चुनाव होते हैं मगर मैं इस बात

को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि तमाम पदाधिकारियों का निर्णय ६, ७ दिन पहले सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर अपने यहां कमरों में बैठकर कर लेते हैं कि किसको डायरेक्टर बनना है और किसको क्या बनना है । तो इस तरफ माननीय मंत्री जी देखें कि चुनाव की प्रणाली में कौन सी तब्दीली की जा सकती है जिससे जनता के नुमाइन्दों को ज्यादा आजादी चुनाव में हासिल हो सके ।

इस बात की शिकायत है कि जो सोसाइटीज बन गयी हैं उनके अन्दर अगर मेम्बरशिप बढ़ाना चाहती हैं तो उन पर काफी डिस्कौं आती है, पाबन्दियां आती हैं । प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि हम इससे ज्यादा मेम्बर नहीं बनायेंगे । मैं यह भी जानता हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से इस तरह का आदेश है कि यदि ऐसा होता है और उसकी शिकायत की जाय तो सोसाइटी को मजबूर किया जायगा कि वह नये मेम्बर बढ़ाये वरना उसे सुपरसीड किया जायगा लेकिन प्रैक्टिकली यह बात हो नहीं पाती है । यदि यह धारणा न बन जाय हमारे बीच में कि हमारा जो नान आफिशियल तत्व है, जो गैर सरकारी तत्व है वह इसलिये विकसित नहीं हो पाता क्योंकि सरकारीकरण ज्यादा है तब मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये कोई गर्व की बात नहीं है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसके कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । जहां तक कि हेडक्वार्टर है वहां कितना स्टाफ है उस ओर मैं कुछ संकेत करना चाहता हूं । मेरा अपना निश्चित मत है कि हेडक्वार्टर पर जितना स्टाफ है उतना काम उसके लिये यहां नहीं है । बजट के आंकड़ों को देखें तो जो डायरेक्शन की मद थी उसमें ५९–६० में ५ लाख ३५ हजार के करीब रुपया था वह ६१–६२ में १० लाख ७६ हजार रुपये की मद हो गयी है। एस्टेबलिशमेन्ट में अगर आप देखें तो २ लाख ९९ हजार रुपया से बढ़ कर वह धनराशि ५ लाख ४१ हजार हो गयी है। वह भी करीब दूने की बात हो गयी है । इसी तरह से सुपरवाइजर्स की मद का जहां तक संबंध है रेवेन्यू १ लाख से बढ़ कर ३४ लाख हो गया है, और रिसीट्स का उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसमें सिवा कमी के कोई बढ़ोत्तरी की चीज नहीं है। बहरहाल मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा ।

राजा साहब ने कुछ शिकायत की बस्ती के बारे में —मैं यह मानता हूं जैसा मंत्री जी ने कहा, जहां ६७ हजार सोसाइटियां हैं वहां कमियां भी होंगी । लेकिन इतना ही कहना काफी नहीं है । यह भी आवश्यक है कि जितनी कमियां हैं उन्हें देखा जाय और जो दोषी आदमी हो उन्हें दन्ड दिया जाय । बस्ती के अन्दर बड़ा गोलमाल हुआ समितियों में, यही नहीं कोआपरेटिव ट्यूबवेल बने, ३२ लाख रुपया लगा तो कितने ट्यूबवेल बने यह गवर्नमेन्ट के सामने होना चाहिये । गाजीपुर की एक शिकायत मुझे मालूम है । वहां जो कोयला था उसको वहां की सोसायटी ने २८ रुपये में बेच दिया और उसी कोयले को ४२ रुपये में खरीदा गया । तो जो इस तरह की चीजें हैं उनके ऊपर सरकार को सख्ती करनी चाहिये । इसके अलावा जो अफसर गलत पाये जायं उनको प्रोमोशन नहीं मिलना चाहिये । मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं जानता हूं कि आपके यहां ऐसे अफसर हैं जो किसी वक्त में सस्पेंड हो चुके हैं, जो कि इनएफिशेन्ट डिक्लेयर हो चुके हैं । मगर बावजूद इसके उनको हाई प्रोमोशन्स दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि वह मुनासिब बात नहीं है ।

अब मैं मार्केटिंग के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं । इसमें शक नहीं कि मार्केटिंग में हमने बहुत बड़ा काम किया और जैसा कि मंत्री जी ने कहा, ३० परसेंट अनाज जो शहरों में आता था उसको उन्होंने हैंडिल किया लेकिन यदि यह देखा जाय कि उससे कितनी आमदनी हुई तो मुझे विश्वास है कि मंत्री जी को मालूम होगा कि उसके अनुपात में आमदनी बहुत कम हुई । लिहाजा इसको देखने की जरूरत है ।

मिल्क यूनियन का जहां तक संबंध है, हमारे यहां करीब ७ हैं और ऐसी भी मिल्क यूनियनें हैं जैसे कि मेरठ की, जिसके बारे में यह शिकायत है कि जो अमरोहा से टिन्ड मिल्क आया था उसको भी पानी मिलाकर देहली में बेच दिया गया । ८–१० लाख रुपये का मिल्क यूनियनों

[श्री नवलकिशोर]

में घाटा है। एक मिल्क यूनियन लखनऊ की जरूर है, उसके लिये मैं बधाई देता हूं तमाम संबंधित कर्मचारियों को कि वह अपनी जगह पर अच्छा काम कर रही है। लेकिन और डेरीज में जो हालत है उसको देखने की जरूरत है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं हैं।

यहां एक केस बहुत जमाने से चल रहा है, जब कंट्रोल का जमाना था तब से, उसका नाम है शुक्ला केस, मुझे अफसोस है कि उसका नाम लेना पड़ा। उसमें करीब ५५ लाख रुपये का कपड़ा खरीदा गया था पी० सी० एफ० की तरफ से जिसमें यह धारणा है कि काफी गोलमाल हुआ है और जिसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें और उसकी जांच शीघ्र ही पूरी करायें।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह तो हमारा महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके साथ हमारा सारा भविष्य बंधा हुआ है, तो इस विभाग की जो थिंकिंग है उसको बदलने की जरूरत है। भ्रष्टाचार की बात को मैं नहीं कहता, वह सभी जगह है, इसके अन्दर गैर सरकारी तत्वों को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस संबंध में जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे वे एक कोआपरेटिव विधेयक पेश करना चाहते थे और यह आशा थी कि शायद उसके अन्दर इसका कुछ समाधान हो सके। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मंत्री जी कोशिश करें कि वह विधेयक जल्दी पेश हो और इस प्रयत्न के साथ ही कि जो इस विभाग के अन्दर कमियां हैं उनको दूर करने की चेष्टा की जाय।

*श्री प्रतापसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मैं सहकारिता मंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने जो इस किताब में आंकड़े दिये गये हैं सारे समय में उन्हीं को कोट किया और यह बताने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि सर्विस कोआपरेटिव्ज और कोआपरेटिव मूवमेंट में क्या फर्क है। देश में आज कोई भी ऐसा प्रगतिशील विचारों का आदमी नहीं होगा कि जो सहकारिता आन्दोलन का विरोध करे और मैं समझता हूं कि हमारी प्रजासोशलिस्ट पार्टी पहली पार्टी है जिसने जिस समय आदरणीय आचार्य नरेन्द्र देव जी हमारे बीच में विद्यमान थे तो सब से पहले सहकारिता का समर्थन किया था। आपकी आज्ञा से मैं "नीति घोषणा" के पेज १८ से पढ़ना चहता हूं ---

"नयी ग्राम अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धान्त सहकारिता होगी। सहकारी खेतों को प्रोत्साहन दिया जायगा और क्रय-विक्रय सिंचाई, उत्तम बीज, खाद और औजारों आदि की प्राप्ति के लिये तथा कृषि की उपज को तैयार करने के लिये बहुधन्धी सहकारी समितियों का संगठन किया जायगा। ग्रामीण ऋण और उद्योगों को भी सरकारी आधार पर संगठित किया जायगा।"

श्रीमन्, यह बात ३० दिसम्बर, १६५५ को लिख कर सरकार के सम्मुख उपस्थित की गयी थी। मैं इस सरकार पर आज चार्ज लगाता हूं कि सहकारिता का अगर किसी ने हनन किया है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। आज सरकार ने सहकारिता का केवल एक नारा दिया है एलेक्शन स्टन्ट के नाम पर कि हम सहकारिता के आधार पर चलना चाहते हैं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि १०, २६३ सर्विस कोआपरेटिव्ज जो मंत्री जी ने बनाईं इनमें से कोई ऐसी भी सोसाइटी है जिसके पास हल हों, बैल हों, फर्टिलाजर हो और ऐग्रीकल्चर के औजार हों? दूसरे मुझे इस बात के लिये ज्यादा दुख है कि मंत्री जी कहते हैं कि सहकारिता के लिये सबका सहयोग होना चाहिये, लेकिन मैं दो ही सहकारी मिलों बागपत और बाजपुर के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या उन मिलों का इन्तजाम आज खराब नहीं है? क्या आज वहां फिजूल खर्ची नहीं बढ़ रही है? इसका क्या कारण है? क्या यह सही नहीं है कि एक ओर तो आप कहते हैं कि सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करण नहीं होना चाहिये और दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों को रखते हैं। क्या आज इन मिलों के अधिकारी सरकारी अधिकारी नहीं है? सहकारिता का क्या लक्ष्य है? उसके लिये मैं आप की आज्ञा से नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के प्रस्ताव को सदन में पढ़ देना चाहता हूं जिसके बाद सरकार ने इस पालिसी को लागू करने की कोशिश की। वह यह कि--

"In November, 1958 in its resolution on Co-operative policy, the National Development Council agreed that the Co-operative should be organized on the basis of the village community as the primary unit and that responsibility and initiative for social and economic development at the village level should be placed fully on the village co-operative and the village Panchayat."

सारे प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने प्लान को इस प्रकार बना लें--

"The Council also indicated the broad objective that the Co-operative Movement should be developed so as to bring within its fold all-round families by the end of the Third Plan."

इसमें यह कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण परिवार इसके अन्तर्गत लाये जायेंगे। आज जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हमारे यहां की आबादी ७,४०,००,००,० है जिसमें से १९५१ की सेंसस के मुताबिक ५ करोड़ ९३ लाख ४३ हजार लोग गांवों में रहते थे और आज करीब ६ करोड़ रहते हैं। ये केवल ३९ लाख लोगों को ही सहकारिता के अन्तर्गत ला सके हैं और डेढ़ करोड़ लाने चाहिये थे। न तो आपके पास कोई सर्विस कोआपरेटिव्ज ही है जैसा कि मैंने बताया और न आप नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल के प्रस्ताव के आधार पर चलना चाहते हैं।

दूसरे मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़ा भारी करिश्मा किया जिसकी दूसरी टीमों ने हमारी बड़ी तारीफ की। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक टीम यू० के० नार्वे डेनमार्क और स्वीडन में भेजी थी। उसकी रिपोर्ट को मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह यह है कि--

"It may be pointed out that the Co-operative Movement in U. K., Denmark and Sweden has developed purely as a voluntary non-official movement and the State has not been required to guide and control it at any stage of its development. There is neither any Co-operative Societies Act nor Co-operative Department or Registrar of Co-operative Societies in U. K."

यह सारी चीजें कही गई हैं और आपकी सरकारी टीम है। आपके पास कौन सी ऐसी एजेन्सी है जिसके द्वारा गांव वालों को बताया जाय कि सर्विस कोआपरेटिव्ज क्या है? सुपरवाइजर्स गांव में जाते हैं और गांव सभापति के दस्तखत कराके चले आते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स में रिजर्व बैंक द्वारा यह कहा गया है कि यहां की सर्विस कोआपरेटिव्ज की न्यूमरीकल वैल्यू है वैसे कोई वैल्यू नहीं है। नये मंत्री जी ने जब से यह विभाग संभाला है तो उन्होंने क्या किया है? जो पहले १९५८ में कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यह तो आंकड़े उनके पास है जैसे चाहे दे सकते हैं।

दूसरे मान्यवर, हर देश में क्या हुआ? अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के बाद जितनी जमीन बची वह भूमिहीनों को, चाहे हरिजन हों या खेतिहर मजदूर हों, देकर कोआपरेटिव फार्म बनाये गये। क्या मंत्री जी एक भी उदाहरण देंगे जिसमें गरीबों को जिनके पास साधन नहीं हैं, उनको इकट्ठा करके कोआपरेटिव फार्म बनाये गये? दूसरे हमारा देश अनडेवलप्ड है उसके लिये कोआपरेटिव जीवन मरण का प्रश्न है। राजा साहब ने कोआपरेटिव फार्म का विरोध किया है। जब जब ऐसे आन्दोलन होते हैं तो ऐसे लोग हमेशा आगे रहते हैं जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका नारा यानी जो उन्होंने इसका

[श्री प्रतापसिंह]

विरोध किया है वह गलत है। इसलिये गलत है कि हमें अपने देश में डेमोक्रेसी चलानी है और हम मुल्क को समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी रायों में कम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। मंत्री जी ने कहा कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट आगे बढ़ रहा है। १६०१ में कोआपरेटिव की स्थापना पर विचार किया गया था। १६०४ में खटीमा में कोआपरेटिव बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के थारू और बोक्सा जो हैं उनके लिये अर्थशास्त्र का वह फार्मूला याद आता है कि हिन्दुस्तान का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में पलता है और कर्जे में मर जाता है। कहा यह गया कि हम क्रेडिट दे रहे हैं। १६५५-५६ में ६ प्रतिशत क्रेडिट फैसिलिटी दी गयी जिसमें ३ प्रतिशत गवर्नमेन्ट की तरफ से थी और तीन प्रतिशत कोआपरेटिव की तरफ से। आज ६ फीसदी है। ६० फीसदी कर्जे आज भी गांव का आदमी महाजन से लेता है। तो किस प्रकार सरकार कहती है कि हमने कर्जे का बड़ा भारी इंतजाम कर दिया है ?

सब से बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे किसान को उसकी फसल के दाम उसके खेत में मिल जाने चाहियें। जब तक यह इन्तजाम नहीं होता तब तक आपकी सर्विस कोआपरेटिव्ज और मार्केटिंग सोसाइटीज बेकार हो जाती हैं। जिस तरह से किसान की फसल को पहले बनिया ले जाता था आज भी वह ले जाता है। बनिया ३०-४० फीसदी ब्याज लेता है। २५ करोड़ रुपया गांव की आमदनी महाजन के पास जाती है। लेकिन मंत्री जी हमको भूलभुलइया में डालना चाहते हैं। अगर आप कोआपरेटिव ठीक से चलाना चाहते हैं तो इसको उन लोगों के हाथ में देना चाहिये जो सरकारीकरण नहीं करना चाहते। चाहे वह आपकी पार्टी के लोग हों, उनको दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी के एक विशेष गुट की संख्या कम पड़ गयी तो नामिनेटेड डाइरेक्टर कर दिया ताकि उनकी संख्या बढ़ जाय।

कितनी बोगस कोआपरेटिव्ज हैं इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी की घोषणा का स्वागत करता हूं कि वह एक कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी बनाकर वह वैलुएशन करें कि कितनी बोगस सोसाइटीज हैं।

मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज कोआपरेटिव की कोई एजूकेशन नहीं है। विलेज लीडरशिप नहीं डेवलप की जा रही है। कोआपरेटिव की एजूकेशन दी जाय। सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाना अलग बात है, कोआपरेटिव आन्दोलन लाना दूसरी बात है। जिस तरह से १६४२ में देश की आजादी के लिये आन्दोलन किया गया था उसी प्रकार सच्चे मानी में अगर समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो यह तभी संभव होगा जब सहकारिता में ऐसे लोगों का सहयोग लें जो निस्वार्थी और त्यागी पुरुष हों।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत धन्यवाद का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मेरा निश्चित मत और विश्वास है कि आज के युग में अगर मानव को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है या उसके अधिकारों की रक्षा हो सकती है तो वह सहकारिता के द्वारा ही हो सकती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में आज कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। यह सौभाग्य की बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में करीब-करीब सभी दल केवल जनसंघ को छोड़ कर, इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि देश और समाज का उत्थान हो सकता है, या राष्ट्र मजबूत हो सकता है तो वह सहकारिता के आधार पर ही हो सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सहकारिता एक नीति और विज्ञान है जिसके सम्बन्ध में आज न केवल हमारे देश के मनीषी बल्कि तमाम संसार के लोग करीब-करीब एक मत होते जा रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र और समाज को शोषण-मुक्त करने के लिये या पूंजीवाद और कम्यूनिज्म से बचाने के लिये अगर कोई सरल मार्ग हो सकता है तो वह एक सहकारिता

का ही मार्ग है। ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके बारे में न केवल हमारे देश बल्कि तमाम संसार के विद्वान और अर्थशास्त्री एक मत हों और उसको सरकार का भी संरक्षण प्राप्त हो और न केवल सरकार का संरक्षण ही प्राप्त हो बल्कि हमारेराष्ट्र पिता पूज्य बापू का भी आशीर्वाद जिस सहकारिता को मिल चुका है उस सहकारिता की जितनी भी प्रगति आज तक हुई है उसको मैं थोड़ी ही मानता हूं। मैं इसलिये यह बात कहता हूं कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य शोषणविहीन समाज की रचना करना है और मुझे इस बात की शिकायत है कि समाज में जो लोग सबसे ज्यादा शोषण के शिकार हैं, उनके क्षेत्र में हमारी यह सरकार और हमारा यह विभाग एक तरीके से निष्क्रिय रहा है। हम खेतिहर मजदूरों को लें जो एक तरीके से हमारे समाज की रीढ़ हैं।

आप देखें कि सहकारिता विभाग लेबर सोसाइटीज के लिये माडर्न-बाई-लाज तक नहीं बना सका है और न केवल इतना बल्कि ऋण के क्षेत्र में काफी प्रगति हमारे इस विभाग ने की है, लेकिन जैसा मैंने सामान्य वाद-विवाद के समय कहा था भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की जो आज ऋण की स्थिति है उसमें केवल एक प्रतिशत कर्जा उनको सहकारिता विभाग से मिला है। सबसे ज्यादा जो लोग आज शोषण के शिकार हों उनके ही बीच में सबसे ज्यादा सहकारिता का काम होना चाहिये था और वहां यह विभाग बिलकुल निष्क्रिय रहा है। न केवल इतना बल्कि जब मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का यह बयान अखबारों में पढ़ा कि अभी भी वह उसके लिये तैयार नहीं है कि वह अपने विभाग का काम मजदूरों की सहकारी समितियां को दे सकें और वह अब भी यह आवश्यकता महसूस करते हैं कि उनका काम ठेकेदार ही अच्छी तरह कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि आज जब हम इस स्थान पर आ गये हैं कि सहकारिता को अपने आर्थिक ढांचे का आधार बना लिया है, तब भी एक जिम्मेदार गवर्नमेन्ट के एक मन्त्री इस तरह की बात करें कि अभी हमारा विभाग इसके लिये तैयार नहीं है कि मजदूर की सहकारी समितियों से सरकार के काम करायें।

मान्यवर, न केवल लेबर सोसाइटीज के सम्बन्ध में यह बात है बल्कि यातायात विभाग भी कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ऐसा ही है। इस विभाग में एक व्यक्ति पूंजी लगा कर ड्राइवर, कांडक्टर और अन्य काम करने वालों का शोषण करता है। आज ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज के लिये भी हमारे इस विभाग ने कोई मार्डर्न-बाई-लार्ज तैयार नहीं किये हैं और बहुत कुछ कोशिशों के बावजूद भी बरसों से यह कहते हुये चले आ रहे हैं कि आदर्श नियमावली बनाने जा रहे हैं। बरसों की कोशिश और बरसों के तकाजे के बाद भी जहां तक मेरा ख्याल है व जानकारी है आज तक मार्डर्न-बाई-लाज यातायात समितियों के लिये तैयार नहीं हुये हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की भी शिकायत है कि इस विभाग में जिस भावना से प्रेरित होकर या जिस विचार को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना चाहिये उस भावना की कमी पाई जाती है। मैं इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी यह जानकारी है, मेरे पास कुछ सुपरवाइजर्स शिकायत लेकर आये कि यहां के अधिकारी और कर्मचारियों की एक यूनियन है जिसका सालाना जलसा पहले रजिस्ट्रार आफिस के मैदान में हुआ, उसमें जिस तरीके से चुनाव किया गया था, जिस तरीके से अधिकारियों ने सत्ता अपने हाथ में ले रखी है, और नीचे के कर्मचारियों को मौका नहीं देते हैं वह सहकारिता के लिये एक बड़ी घातक विचारधारा है। मेरी जानकारी है कि अधिकारियों ने समिति से बड़े-बड़े ऋण ले रखे हैं जोकि समय पर अदा नहीं करते। वहां की शिकायत यह है कि जिस समिति के सदस्य वहां के सहकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उसमें कर्मचारीगण यह अनुभव करते हैं कि अधिकारी वर्ग समिति का शोषण कर रहा है। वे

[श्री महीलाल]

नीचे के कर्मचारियों को समितियों के कार्यों में हिस्सा नहीं लेने देते। यह बड़ा खेद की बात है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह भावना बहुत कुछ सरकार से सम्बन्धित अधिकारियों में और मन्त्रिमन्डल के लोगों में भी बढ़ती जाती है कि वे टीका-टिप्पणी या सुझाव को बुरा समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़ी घातक विचारधारा है इससे बचने की कोशिश करनी चाहिये। यह जनहित में नहीं है। टीका-टिप्पणी या किसी किस्म का सुझाव बुरा नहीं होता। किसी तरह की कमियां निकालने वाले की नीयत पर शुबहा करना कि किसी बदनियती की वजह से कोई बात कहीं जाती है, विभागीय लोगों के लिये एक घातक भावना होगी और यह जनहित के कार्यों में भी बाधक होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी यह न समझें कि किसी बुरी नीयत से या किसी दुर्भावना के कारण कोई इस तरह की कमियां बता रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि सहकारिता आन्दोलन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जबतक कि उसमें गैर सरकारी लोगों को पूरा और महत्वपूर्ण स्थान न दिया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज के सहकारी विभाग को हम एक राजकीय विभाग कह सकते हैं, उसे जनता का विभाग नहीं कह सकते और मैं इस लिये कहता हूं कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण केन्द्र है जो इस विभाग द्वारा संचालित होता है। मैं उस क्षेत्र का १० साल से प्रतिनिधित्व करता हूं। आज तक किसी आदमी ने नहीं कहा कि तुम्हारे निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है, इतने कार्यकर्ता ट्रेनिंग ले रहे हैं, चल कर देख तो लीजिये या अनुभव प्राप्त कर लीजिये कि किस तरह के विचार और भावना हम नवयुवकों में जाग्रत कर रहे हैं।

माननीय मन्त्री जी से बड़ी नम्रता पूर्वक मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग में इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है कि जो नौकरी के लिये ही आये हों। इस विभाग में ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो समाज सेवा की भावना से, मिशनरी स्पिरिट से काम करने के लिये इसमें आयें और सहकारिता में अटूट विश्वास रखते हों। इसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी सहकारिता के आन्दोलन को सफल बना सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आई० ए० एस० आफिसर्स कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, कम्पिटीशन से आते हैं, लेकिन उस अधिकारी के मुकाबले में, जिसने नीचे से इस सहकारिता विभाग में काम किया है और एक लम्बा अनुभव प्राप्त करने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर पहुंचा है, वह अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिये आई० ए० एस० अफसर को रामवाण औषधि मान कर बाहर से लाना और यह समझ लेना कि वह हर काम को अच्छी तरह से कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, ऐसी बातों से हमारी प्रोग्रेस में कुछ रुकावट ही पड़ सकती है।

मान्यवर मैं दो तीन मिनट और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—और भी बोलने वाले हैं।

श्री महीलाल—मेरी बात अधूरी रह जायगी इसलिये दो मिनट और दे दें। मेरा यह सुझाव है कि सहकारिता के क्षेत्र में जितने काम हो रहे हैं उनका सीधा सम्बन्ध सहकारिता विभाग से होना चाहिये। जो छोटे लोग इन्डस्ट्रीज में लगे हुये हैं और अपनी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाता। उसका सम्बन्ध सहकारी विभाग से ही होना चाहिये। इसके अलावा केन मार्केटिंग का जो काम है वह भी सहकारिता के विभाग से सम्बन्धित होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके मुताल्लिक मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज की स्थिति में सहकारिता सफल हो सकती है? सहकारिता के मुत्ताल्लिक जो सरकार ने घोषणा की है कि हम इसके द्वारा देश में समाजवाद लायेंगे और वर्गविहीन समाज की रचना करेंगे मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि, तो क्या आज वैसा हो रहा है। आज सुपरवाइजरों के कन्धों पर सहकारिता का सबसे अधिक बोझ डाला जा रहा है। सुपरवाइजर ही ग्रामीण सोसाइटियों का निर्माण करते हैं, उनको कर्जा दिलवाते हैं और अधिकारी भी उनसे यही सवाल करते हैं कि तुमने कितनी सोसाइटियां बनाई, कितनों को कर्जा दिलवाया। यही सवाल आज उनसे पूछा जाता है।

मैं आज माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम सेवक और सुपरवाइजर का क्या वेतन है? आप सुपरवाइजर को वेतन देते हैं ४०—८० रुपया तक और ग्राम सेवक को देते हैं ७५—१२० रुपया तक। क्या इसी आधार पर आप सहकारी आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं? सच बात तो यह है कि आज सरकार की समाजवाद के प्रति आस्था उठ चुकी है। सहकारी आन्दोलन तभी सफल होगा जब आप देश के अन्दर समानता का वातावरण लायें, असमानता को दूर करें। इसको जभी सफल बनाया जा सकता है जबकि उसका समान व्यक्तियों में प्रचार किया जाय और समान व्यक्ति उसको चलायें। जब तक समाज में ऊंच–नीच का प्रश्न रहेगा, तब तक सहकारिता सफल नहीं हो सकती। एक तरफ आप सुपरवाइजर को सब मिला कर ८० रुपये देते हैं दूसरी तरफ अधिकारियों को हजार रुपया देते हैं। ऐसी सूरत में सहकारिता सफल नहीं हो सकती।

सच बात तो यह है कि आज जितनी विक्रय समितियां हैं वे सभी फेल हो गई हैं, सहकारी ट्यूब वेल्स अब इर्रीगेशन विभाग को दिये जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी ऋण समितियां भी फेल हो गई हैं। आज अपने देश के अन्दर असमानता का वातावरण पैदा कर दिया है और आप चाहते हैं कि वह बना रहे। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने सहकारी बीज भंडार से किसानों को बीज देने के लिये जो सुझाव दिये उन पर अमल क्यों नहीं किया? आज बीजों में धूल मिली रहती है। काश्तकारों को तो जरूरत होती ही है। वह अन्धा होता है और जैसा बीज भी उसको मिलता है वह उसको ले लेता है।

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि हमने ३० करोड़ रुपया किसानों को दिया है। जिस प्रकार से सरकार तमाम कर्जा लेकर उसको खर्च कर डालती है उसी प्रकार किसान भी भूखा होता है, कर्जा लेकर उसको खर्च कर डालता है। अपनी भूख मिटाने के लिये उसको खर्च करने के लिये मजबूर हो जाता है। सरकार के अधिकारी लोग उसको नहीं देखते हैं कि जो रुपया उसने जिस काम के लिये लिया है वह उसी काम में खर्च किया है या नहीं। वह जो पैसा लेता है उस को खा पी डालता है। सहकारी आन्दोलन को अगर सफल बनाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि आप जिनको कर्जा दें उनकी देख-रेख भी रखें और यह भी देखें कि उसको जो कर्जा दिया गया है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं और उससे उत्पादन भी बढ़ता है या नहीं तब तो उसकी तरक्की हो सकती है। यहां आप ३० करोड़ से कर्जा बढ़ा कर सौ करोड़ कर दें, फायदा क्या होगा? अगर काश्तकार की आर्थिक दशा गिरती गई तो क्या फायदा हो सकता है? मंत्री जी महसूस करें कि सहकारिता का मतलब क्या है? मेल-जोल से काम हो। विधान सभा भी सहकारिता के ढ़ंग पर चल रही है, वरना यहां कोई न आये, और न बैठे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमसिंह]

यूं तो प्राकृतिक सहकारिता ग्रामों, कस्बों और शहरों के अन्दर मौजूद है, लेकिन उसमें उन्नति को जाय और उन्नति करके उसको इस जगह लाया जाय कि आपस में सब लोग मिल जुल कर अपना उत्पादन बढ़ायें। प्रेम सहित रहे, झगड़े बखेड़े और चोरी डकैती न हो। मन्त्री जी ने जो एलान किया है कि ६०,००० ग्रामों में समितियां कायम करवायीं, तो क्या उन ग्रामों में मेल-जोल पैदा हो गया है? उनमें चोरी, डकैती, नकबजनी और झगड़े नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो सहकारिता का मतलब क्या है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह विभाग उलटी तरफ चल रहा है। मन्त्री जी कहते हैं कि विरोधी सदस्य कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। यह सही बात है, जब गलत दिशा की तरफ जा रहा है तो होने का क्या सवाल है।

मन्त्री जी अगर सहकारिता नहीं, समाजवाद लाना चाहते हैं तो समानता के आधार पर सहकारिता आ आन्दोलन होगा तभी कार्य होगा और समाजवाद के प्रति आस्था लोगों में जगेगी और तभी लोग मन्त्री जी का गुण-गान करेंगे। आपको जबरदस्त परिश्रम और त्याग करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सहकारी आन्दोलन को चलाने के लिये सहयोग प्राप्त नहीं है, विरोधी व्यक्ति हमारी ज्यादा आलोचना करते हैं। उसके लिये आप लोगों के अन्दर आस्था पैदा कीजिये, जो असमानता है सरकारी अधिकारियों में उसको हम करें। आज तो सरकारी पार्टी में कुर्सियों के लिये लूट लगी हुई है, आज स्वयं कांग्रेस पार्टी में सहकारिता लाने की आवश्यकता है। कभी सम्पूर्णानन्द सरकार, कभी सी० बी० गुप्ता सरकार और कभी प्रेसीडेंट का संवाल होता है और कभी वह मन्त्री रहे वह न रहे यह सवाल होता है। तो पहले अपने मसले को हल कीजिये। और फिर मेहरबानी करके करोड़ों रुपये जो विभाग पर खर्च किये जा रहे हैं उसका सदुपयोग कीजिये, तभी सहकारिता आन्दोलन सफल होगा।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान हम लोगों के सामने विचार करने के लिये पेश है वह एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि प्रान्तों और मरकज, दोनों किस्म की गवर्नमेन्टों की कामयाबी यदि किसी मूवमेंट पर आधारित है तो वह कोआपरेटिव मूवमेन्ट है। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कांग्रेस की सरकारें देश के राज्यों में और केन्द्र पर, दोनों जगह की स्थापित हैं।

कांग्रेस की सरकारों का यह इरादा है कि वे देश में समाजवादी किस्म का समाज कायम करना चाहती हैं और उसी के आधार पर देश से गरीबी को खत्म करके देशवासियों की माली हालत को बेहतर करना चाहती हैं। इसके अलावा एक और उद्देश्य है जिसका ताल्लुक हमारे डेफेन्स से है। ये दो ही सवाल आज कांग्रेस सरकार के सामने हैं। जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है उसका ताल्लुक हमारी राज्य सरकार से नहीं है। लेकिन जहांतक इस बात का ताल्लुक है कि हम अपने देश और प्रदेश में सोशलिस्ट किस्म का समाज बनायें और जनता की माली हालत को बेहतर करें, यह हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल आ जाता है अगर हम इस प्रश्न को सफलता के साथ हल कर सकते हैं तभी कहा जा सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट की सारे देश और प्रदेशों में कामयाबी हुई है और अगर हम इसमें फेल हो गये तो इसमें कोई दो रायें नहीं कि आगे आने वाली सन्तान हमें माफ नहीं करेगी। इस वजह से इस प्रश्न पर हमें बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्षमहोदय, यह कहना भी अपनी जगह पर गलत है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट ने इस राज्य में कोई प्रगति नहीं की है और जनता का कोई फायदा नहीं पहुंचा है। यदि हम अपना ध्यान १६३७–३८ की तरफ ले जायें तो पता चलेगा कि इस प्रान्त की सारी जनता बहुत बड़े कर्जे के बोझ से दबी हुई है, लेकिन आज इस किस्म के कर्जे के दबाव हमारे प्रान्त पर नहीं है।

हमारे प्रान्त के गरीब काश्तकार और मजदूर आज उस पुराने कर्जे को अदा कर चुके हैं। यदि लोगों पर कोई कर्जा है तो सहकारिता के विभाग का है। हम जिस गरीबी को कम करना चाहते थे उसको कम करने के लिये हमारे पास साधन नहीं थे। सहकारिता के जरिये वह साधन प्राप्त हुये हैं और कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट और उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन का उसमें योग है। अगर हम गौर करके देखें कि असल में कामयाबी कहां से आई तो पता चलेगा कि जहां तक कर्जे का सवाल है रिजर्व बैंक आफ इंडिया को हमें धन्यवाद देना चाहिये और दूसरी बैंक्स को जिनका रुपया हमारे सूबे में आया और कोआपरेटिव बैंक्स और समितियों के जरिये से लोगों तक पहुंचा। तो बहुत ज्यादा क्रेडिट बैंक्स को ही है, डिपार्टमेन्ट का उतना क्रेडिट नहीं है लेकिन अगर हमारे पास कोई ढ़ांचा न होता यह विभाग न होता तो फिर वह धन जनता तक कैसे पहुंचता। कोआपरेटिव डिपाटमेन्ट ने ही इस कार्य को किया।

यह भी सही है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट को राजनीतिक दलबन्दी के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। कहने के लिये तो यह बात अच्छी हो सकती है कि गांव पंचायतों के जरिये इस आन्दोलन को हम चलावें लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो पार्टीबाजी से इस सहकारी आन्दोलन को नुकसान ही पहुंचेगा। इसलिये बेहतर है कि पंचायतों के पचड़े से इस सहकारिता आन्दोलन को बाहर ही रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सुझाव सहकारिता के मुताल्लिक सदन के सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं यह कह दूं कि मैं ऐसा बोलनेवाला आदमी नहीं हूं जिसका कोई प्रैक्टीकल तर्जुबा सहकारिता से न हो। मैं एक सहकारी यूनियन का चेयरमैन भी हूं और मैंने अपने हलके में ७ कोआपरेटिव सोसाइटी बनवाई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं दावत देना चाहता हूं अपनी गवर्नमेन्ट को और मैं खासतौर से राजा साहब से भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी को इस बात का अन्दाजा करना हो कि कोआपरेटिव सोसाइटीज कामयाबी के साथ चल सकती हैं या नहीं तो वे धामपुर कंस्टीटुएंसी में जाकर देखें। हमें इस बात का गर्व है कि वहां सहकारी फार्म सोसाइटियां कामयाबी के साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में कोई बाधा नहीं आवेगी बशर्ते कि हम चन्द उसूलों को अपने सामने रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमको कोआपरेटिव सोसाइटियां इस आधार पर बनानी चाहिये कि हमारे जीवन का मामला उन पर आधारित हो। ऐसी सोसाइटियां अवश्य कामयाब होंगी। सिर्फ फैशन के लिये या किसी के कहने सुनने में आकर १० या २० रुपये के शेयर कोआपरेटिव सोसाइटी में खरीद लिये तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना लोगों का ज्यादा इनवैस्टमेंट किसी सोसाइटी में होगा उतना ही ज्यादा वे यह चाहेंगे कि उसका काम अच्छे आदमियों के हाथ में रहे जो उसे चला सकें। बिजनौर जिले में कोआपरेटिव फार्म्स हैं जिसमें लोगों ने अपने बैल, गाय और जमीन सब ही दे दिये हैं और वे अच्छी तरह से रहे हैं। इसलिये तजुर्बे ने यह बतालाया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज (Co-operative Socicties) में मेम्बर्स का इनवैस्टमेंट ज्यादा होना चाहिये।

अब मैं २,३ बातें अपने जिले की माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं ताकि मेरे जिले का भी उद्धार हो जाय। जिला बिजनौर में कोआपरेटिव मूवमेंट मर रही है और सिर्फ नाम की बाकी है। वहां कोआपरेटिव सोसाइटी के पास कर्जे के अलावा भट्टे का भी काम था। आज किसी यूनियन का भट्टा नहीं चल रहा है। एक जिस यूनियन का मैं चेयरमैन हूं उसका भी था और मैं कह सकता हूं कि वहां कोआपरेटिव अधिकारियों ने उस भट्ठे को नहीं चलने दिया यदि कुछ का कुछ पैसा अदा होना चाहिये था उन्होंने अदा नहीं होने दिया। मुकदमे दायर हुये और मय खर्चे व सूद के वह रुपया देना पड़ा, लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और उन्होंने सोसाइटी को आजदाना तौर पर नहीं चलने दिया। यही

[श्री खूबसिंह]

हिस्ट्री जिला बिजनौर में दूसरी कोआपरेटिव यूनियन्स की भी हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक स्पेशल अफसर मुकर्रर करके या कमेटी के द्वारा इसकी जांच कराने की मेहरबानी करें जिसका सारे सूबे की कोआपरेटिव (Co-operative) मूवमेन्ट पर असर पड़ेगा।

कांग्रेस पार्टी की इज्जत और कामयाबी आधारित है कोआपरेटिव मूवमेंट के ऊपर। इसलिये सरकार को चाहिये कि अच्छे लोगों के हाथ में यह काम दे। क्या ही अच्छा हो कि जो सरकारी कर्मचारी इसमें काम करते हैं वे ही कहीं से इस विषय में स्पेशलाइज करके आये हों। मैं नहीं जानता कि आज के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोगों ने स्पेशलाइज किया है। मेरा सुझाव यह है कि नान आफीशल्स में से भी जिनका इस काम में प्रैक्टिकल तजुर्बा हो और जिनसे सरकार को तवक्को हो कि इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे उनका भी सहयोग सरकार ले।

इन अलफाज के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं जो आज के कार्यक्रम में हैं, क्या उनको भी समय मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था करदी है कि जो एक प्रस्ताव पेश होगा उस पर सभी भाषण देंगे। कोशिश यह की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय मिल सके।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने सहकारिता की तस्वीर रखने में कामयाबी हासिल की है। उनको पूरी कामयाबी मिली है यह तो मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन जो कुछ भी इस विभाग ने किया है उसके लिये ही मैं बधाई देने के लिये तैयार हूं कि कुछ किया तो। मैं जानता हूं कि जिस दल के मंत्री जी हैं वह कुछ प्रचार के कारण इतना दब गया है कि सहकारिता के मंसूबे को वह पूरा नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर नागपुर में यह प्रस्ताव तय पाया कि कोआपरेटिव फार्मिंग चलावेंगे और उसके पहले साधन समितियां कायम की जावेंगी कोआपरेटिव फार्मिंग की लीपा पोती इतनी हो गई लेकिन जो कुछ भी कोआपरेटिव फार्मिंग ये चला रहे हैं उसके लिये ही इनको मुबारकबादी देनी चाहिये। हम मानते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था कायम करने के लिये सहकारी आन्दोलन बहुत कामयाब आन्दोलन नहीं है तो भी यह बहुत हद तक हमको वहां ले जायगा और उस हद तक हम इसके पक्षपाती हैं। हमको यह शिकायत नहीं है कि इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न हुआ है विभाग की ओर से और मंत्रीजी की ओर से मगर उसमें जितना पैसा और ताकत लगाई गई है उतनी कामयाबी नहीं है।

मंत्रीजी ने बतलाया कि सरकारी अफसरों के बोझ को वह हटाना चाहते हैं और गैर सरकारी लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी फरमाया कि सोसाइटियों में गैर-सरकारी लोग हैं। मेरा ख्याल है कि यह बात कहते हुए उन्होंने कुछ चतुराई की बात की, यह तथ्य नहीं है। आज सहकारी आन्दोलन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। सम्मेलनों में हम प्रस्ताव पास करते हैं कि सरकारी अधिकारियों का बोझ कम कीजिये, वे अपने हाथ खींचें, गैरसरकारी आदमियों को आने दें। प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है लेकिन सरकार उसे अमल में नहीं लाती है। मिसाल के तौर पर यह सम्मेलन में तय हुआ कि सहकारी संघों के मंत्री गैरसरकारी लोग हों। प्रस्ताव हो गया। सरकारी अफसरों ने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से यह तय करा दिया कि उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे सवेतन मंत्री रख सकें। आजमगढ़ के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने यह तय किया कि हममें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम मंत्री रख सकें और यह प्रस्ताव सरकारी अफसर के इशारे पर किया गया और वही सरकारी अफसर आज संघ को ले डूबा है। १ लाख ७३ हजार रुपये का गबन उस अधिकारी ने किया।

कहीं पर तो मंत्री जी ने यह कोशिश की कि उनके आदमी संघों में जाकर जम जायं और कहीं पर पी० सी० सी० के मेम्बर रख दिये या कहीं पर पुराने दोस्तों को रखने का प्रयत्न किया। अगर मंत्री जी को कोई आदमी नहीं मिला तो सरकारी आफीसर को रख दिया। एक मजे की बात और है कहीं ऐसे आफीसर को तनख्वाह उस सोसाइटी से नहीं मिलती है। अलीगढ़ में एक सहकारी संघ है। एक पी० सी० एफ० का मुलाजिम संघ का मंत्री बना दिया गया। अब उसको तनख्वाह पी० सी० एफ० से ही मिलती है। इस प्रकार की कोशिशें की गयीं और सरकारी अफसरों को तथा अपने आदमियों को जमाने की कोशिश की गयी। अब चाहे इसका संबंध राजनीति से रहा हो या किसी निजी वजह से हो, कोई न कोई बात अवश्य थी जिसके कारण बाहर के लोगों को वहां जमाया गया। कोई ऐसा संघ नहीं है जहां कोई सरकारी आदमी या मंत्रीजी का आदमी न हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह कोआपरेटिव मूवमेंट का अनुभवी अपना आदमी है।

आपने सुपरवाइजर को सहकारी मूवमेंट को बल देने के लिये, सहायता देने के लिये वहां रखा है लेकिन उस पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। यदि वह कोई खराब काम करता है तो सिवाय इसके कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास दौड़कर जाया जाय, और कोई चारा नहीं है। अगर वह कोई खराब काम करता है और उसके ट्रान्सफर कराने की आवश्यकता होती है तो भी रजिस्ट्रार के पास भागकर जाना पड़ता है। यह बड़ी मजबूरी की बात है कि हम एक छोटे से सुपरवाइजर पर भी कन्ट्रोल नहीं रख पाते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। उस गड़बड़ी को हम दूर नहीं कर सकते और जब दूर करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं से कोई जुर्म लगा दिया जाता है।

जहां तक गबन की बात है वह अधिकतर सुपरवाजर करता है। इसलिये हमारा अनुरोध है कि आप इन सरकारी अफसरों के बोझ को कम करें। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप अवश्य ही बधाई के पात्र होंगे। जब से मैं इस विधान सभा का मेम्बर हुआ हूं तब से इस प्रकार की बातें सहकारिता के विषय में सुनता आया हूं लेकिन उन बातों पर अमल नहीं होता है। अगर कहीं कोशिश भी की जाती है तो इस बेढंगे तरीके से कोशिश की जायगी जो एक बहुत ही भद्दी मिसाल होगी।

दूसरी बात यह है कि सरकार का ध्यान सहकारिता की शिक्षा की ओर नहीं है। आपकी एक संस्था पी० सी० यू० है जिसको सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग का काम दिया गया है। उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। सरकार रहम करे या उसको कोआपरेटिव संस्थाओं को दे तब तो उसका काम चल सकता है। उसमें सामर्थ्य नहीं है। जो अनुदान सरकार की ओर से उसे मिलता है वह सन् १९४९-५० में तय हुआ था २५ लाख रुपया। पी० सी०यू० के हिस्से में २२ लाख पड़ा। बाद में उसको कम करके २१ लाख कर दिया गया और आज जब सहकारी आन्दोलन इतना ज्यादा बढ़ गया है और आपको बहुत सारे सुपरवाइजर्स देने हैं, ऐसी हालत में आप पी० सी० यू० से यह उम्मीद करें कि केवल २१ लाख में वह अपना काम चला ले यह मुमकिन नहीं है। २१ लाख से चलाना होगा तो उसके मुलाजिम संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसी संस्था जिसके जिम्मे शिक्षा भी है उसको ज्यादा से ज्यादा अनुदान दियाजाय।

बैंकिंग की बात है। यह सही है कि आपने बहुत सारा रुपया बांटा है और आपका मंसूबा और अधिक बांटने का है और यह भी सही है कि ठेठ किसान के पास जब आपका रुपया पहुंचता था तो १२ परसेंट सूद पर पहुंचता था। अब कम कर दिया है, पौने नौ परसेन्ट कर दिया है, लेकिन अब भी ज्यादा है क्योंकि गांव का महाजन सवा छः परसेन्ट पर देता है। अगर रुपया अदा नहीं किया जाता और गांव का महाजन अदालत में जाता है तो सवा छः परसेन्ट सूद मिलता है। ऐसी हालत में आपका रेट ज्यादा है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने अधिकारियों पर इस भार को

[श्री तेजबहादुर]

सौंपें कि वह देखें कि कितना कम सूद किया जा सकता है और कम से कम सूद लें तो आपके मूवमेंट को ज्यादा बल मिल सकता है ।

मार्केटिंग के बारे में मुझे बहुत नहीं कहना है । जो प्रोग्राम है आपका उस बारे में यह चलना चाहिए । किसान जब गल्ला पैदा कर लेता है तो महाजन दौड़कर जाता है और बहुत सस्ते दाम पर खरीद लेता है । गल्ला ही किसान की सम्पत्ति है । वह सस्ते दाम पर चला जाता है । आप ज्यादा से ज्यादा दाम दिला सकें तो यह कार्य स्तुत्य है । मैं मानता हूं कि इसमें आप बहुत हद तक सफल हैं यद्यपि उतना अधिक नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि जरूरत है ।

डेयरी की भी चर्चा यहां की गई । दूध आप देते हैं, सही है । लेकिन जो सदस्य सन् १६५८ से जानते हैं वह कह सकते हैं कि हमको सरकारी फार्म से जो दूध मिलता था उसके मुकाबिले में आज कोआपरेटिव से जो मिलता है, वह महंगा मिलता है । तो आप जो चीज देते हैं हमको वह बाजार से महंगी देते हैं । अगर इस तरह ज्यादा दाम लेंगे तो निश्चित ही आपका आन्दोलन सफल नहीं होगा क्योंकि आपके पास लोग कम जायेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप विस्तार की बात करते हैं और यह मंसूबा है कि गांव-गांव में सोसायटी बना देंगे । ठीक है, बनाइए । मगर दूसरी तरफ आपका ध्यान बना देने के बाद सोसायटीज पर कम जाता है और अभी लोकसभा में जो आंकड़े पेश किये गये थे उसमें यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान में केवल १५ परसेन्ट सोसायटीज काम कर रही हैं । तो एक तरफ तो आप समितियां ज्यादा कायम करने जा रहे हैं मगर दूसरी ओर वह सफलता के साथ काम करें उधर आपका ध्यान नहीं है । हमारा अनुरोध है कि आपका ध्यान केवल समितियां कायम करने की ओर ही ज्यादा न हो बल्कि उनको सफल बनाने की ओर भी होना चाहिए ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया ।

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा, आज के युग में इस देश के और दूसरे देशों के सभी विचारकों का यह मत है कि शोषण से मुक्ति के लिये और गरीबों के हित के लिये तथा प्रजातंत्र की उन्नति के लिये सहकारी व्यवस्था बड़ी ही उत्तम है । यद्यपि राजा साहब ने सहकारी खेती का विरोध किया लेकिन साधन सहकारी समितियों का उन्होंने समर्थन ही किया । इस तरह से दबी जबान से उन्होंने इसका समर्थ किया है । अभी माननीय महीलाल जी ने कहा कि बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सहकारिता में प्रगति नहीं हो रही है । मेरा इस विचार से थोड़ा मतभेद है । मेरा ख्याल है कि जो उच्च अधिकारी आज सूबे में काम कर रहे हैं वे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लेकिन जो छोटे कर्मचारी गांव के स्तर पर काम करते हैं जिनका जनता से सम्पर्क होता है वे ठीक से काम नहीं करते हैं और जनता से हिलते मिलते नहीं हैं । इसलिये सरकार को चाहिये कि छोटे कर्मचारियों पर इस तरह से कार्यवाही की जावे कि वे जनता के साथ हिलमिल कर जनता की कठिनाइयों को दूर करें ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जैसा श्री तेजबहादुर जी ने अभी कहा है कि कांग्रेस ने नागपुर सेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि हम उस तरफ अधिक से अधिक ध्यान देंगे, लेकिन अभी तक सरकार सहकारी खेती के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रख सकी कि वह किस तरीके से होगी, इसमें श्रमिकों का क्या स्थान होगा, उनका क्या हिस्सा रहेगा और दूसरे जो जमीन के मालिक रहेंगे उनका क्या हिस्सा रहेगा । तो सरकार को कोई ऐसी रूपरेखा रखनी चाहिये कि वह किस तरह से सहकारी खेती को कार्यान्वित करेगी क्योंकि पूरी जानकारी न होने के कारण सहकारी आन्दोलन के बारे में गांवों में प्रचार नहीं हो पा रहा है । इसलिये सरकार को

चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र सहकारिता की तरफ कदम उठावे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन दे ।

मान्यवर, यह जो सहकारिता पुस्तक बंटी है इसके पृष्ठ २७ पर जो आंकड़े दिये गये हैं बहुत संतोषजनक नहीं मालूम होते हैं । सहकारी संयुक्त कृषि समितियां सन् १९५९ में २१७ थीं सन् १९६० में २९६ हो गईं और ३१ दिसम्बर सन् १९६० तक ३१६ हो गईं । फिर सहकारी सामूहिक कृषि समितियां १७ थीं २१ हुईं और अब २७ हो गयी हैं । लेकिन सहकारी उन्नति कृषि समितियां जो सन् १९५९ में ९७ थीं, जून, १९६० में भी ९७ थीं, ३१ दिसम्बर, १९६० को घटकर ८८ रह गईं और सहकारी अधिवासी, कृषि समितियां जो एक (१) पहले थीं आजतक वही ही चली आ रही है । इन अधिवासी कृषि समितियों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये ।

तीसरी बात यह कहनी है कि सरकार की जो गृह निर्माण की योजना है वह सिर्फ अभी तक शहरों के लिये है । मैं चाहूंगा कि देहातों में ऐसे लोग बहुत से हैं जिनके पास गृह नहीं है उनके लिये भी प्रोत्साहन ज्यादा नहीं तो थोड़ा-सा ही सही मगर होना जरूर चाहिये उनको आवास के लिये, मकान बनाने के लिये कर्ज दिये जायं ।

चौथी बात यह है कि यह विभाग देहात के रहने वाले गरीबों, मजदूरों और किसानों को अगर महाजनों के चंगुलों से बचा लें तो वह सबसे बड़ा काम होगा । लेकिन जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सिलसिले में जो कुछ कार्य हुआ है वह नगण्य सा है । मान्यवर, हमारे जौनपुर और दूसरे पूर्वी जिलों में यहां लखनऊ के कोई एक बहुत बड़े महाजन हैं, हर जिले में प्रायः हर गांव में जिनके आदमी फैले हुये हैं और वह कर्जा देते हैं और १०० रुपया देते हैं तो १२५ रुपया वसूल करते हैं बल्कि कई फीसदी बढ़ जाता है और कुछ लिखाई पढ़ाई और दूसरी बातें करके तीन दो सौ प्रतिशत तक पड़ जाता है जो वह वसूल कर लेते हैं। इस तरह से मनमाने सूद पर जो लोग कर्ज देते हैं उन के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि वह इतना ज्यादा सूद न वसूल कर सकें जिस सख्ती के साथ पहले के पठान और कबायली रुपया वसूल करते थे। इसी तरह से महाजनों के जो कारिन्दे हैं मोटे-मोटे डंडे ले कर उनके घर पर जाते हैं और बेरहमी के साथ हर महीने रुपया वसूल करते हैं। तो सरकार को चाहिये इन गरीबों के लिये ऐसी व्यवस्था करे जिससे वे महाजनों के चंगुल से निकल सकें ।

सहकारी समितियों के द्वारा भी ऋण देने की व्यवस्था है । पहले जिनके पास कोई सम्पत्ति होती थी, खेत होता था उन्हीं को कर्जा दिया जाता था । लेकिन अब थोड़ा सा सुधार किया गया है । जो लोग उत्पादन का काम करते हैं, या ऐसे काम करते हैं जिससे सम्पत्ति बढ़ती हो तो उनको कर्जा देने की व्यवस्था है । मेरी प्रार्थना हों कि सरकार को और अधिक इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये ताकि गरीबों और मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल सके और वह महाजनों के चंगुल से बच सकें ।

सहकारी बीज भंडार जो होते हैं वहां सवाये पर किसानों को बीज दिया जाता है । लेकिन अगर वास्तव में जोड़ा जाय तो ५० प्रतिशत उनसे सूद लिया जाता है । जब कि और जगह सरकार ३ से १० फीसदी पर ऋण देती है । किसानों से इतने अधिक ब्याज पर गल्ला लेना उचित नहीं है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसानों से इतना अधिक ब्याज न लिया जाय । इसके अलावा गल्ला बीज के रूप में जब दिया जाता है तो मिट्टी वगैरह मिला कर दिया जाता है और तौल में भी फर्क रहता है जब कि लेते समय छान कर लिया जाता है और तौल में भी ज्यादा लिया जाता है । तो तौल उचित रूप से होनी चाहिये ।

हरिजनों के संरक्षण के विषय में यह कहना है कि जब सूचना निकलती है तो लिखा रहता है कि १८ फीसदी स्थान उनके लिये हैं । हरिजन दरख्वास्त देते हैं और जब पास हो जाते हैं तो एक कठिनाई यह होती है कि २५० रु० की नकद जमानत मांगी जाती है जिसको वह नहीं दे

[श्री माताप्रसाद]

पाते । इसलिये बहुत से हरिजन भाई सुपरवाइजरी का प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि नकदी जमानत की शर्त हटाये और जायदादी जमानत अपनी या जिसकी वह देना चाहें, रख दे । इसके अलावा जिसके पास बिल्कुल सम्पत्ति नहीं है उस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये क्योंकि ऐसे ही लोग ज्यादातर महाजनों के चंगुल में फंसते हैं । अतः इनकी मुक्ति की कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

देहातों में जो छोटी ऋण समितियां हैं वहां से किसान जब ऋण लेता है तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं । खास कारण यह होता है कि सुपरवाइजर का व्यवहार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऋण लेना ही पसन्द नहीं करते हैं और ऊब करके वहां से ऋण नहीं लेते हैं । कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वहां से ऋण ले करके दूसरों को ऋण दे देते हैं । लेकिन जिस किसान को सचमुच परेशानी होती है वह वहां के झंझट की वजह से ऋण नहीं ले पाते हैं । तो इस तरह की व्यवस्था में जिन्हें ऋण का फायदा मिलना चाहिये उन्हें नहीं मिल पाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिये सहकारिता एक उत्तम साधन है । इसलिये हमारे प्रदेश में जहां हमारी सरकार समाजवादी समाज की स्थापना के लिये वचनबद्ध हो चुकी है, सहकारिता एक उत्तम स्थान रखती है । परन्तु मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण विभाग के लिये सरकार की नीति रीति में ऐसे भेदभाव हैं कि यह महत्वपूर्ण विभाग ठीक तरह से चल नहीं पाता । मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी समितियां बढ़ कर इतनी हो गयीं और सदस्यों की संख्या इतनी हो गयी । लेकिन यह उनके विभाग की प्रगति नहीं है, इसके कारण और ही हैं जैसे ज्यों ही सहकारी समितियों का निर्माण हुआ, उनकी स्थापना हुई किसान को यह विश्वास हुआ कि अब मेरा काम सोसाइटियों के जरिये से ही चलेगा । इसलिये अधिकांश स्थानों पर उसने स्थानीय लेन देन करने वालों से अपना रिश्ता तोड़ दिया । यहां यह कहना भी उचित ही होगा कि बहुत से ऐसे किसान थे जिन्होंने उस लेन देन में बहुत-सी बाधायें डालीं थीं यह कह कर कि अब उन लोगों से उसे कोई सरोकार नहीं और जब लेन देन करने वालों से उनके संबंध बिगड़ गये तो उन्हें बाध्य हो कर समितियों से लेन देन करना पड़ रहा है ।

दूसरा कारण वह है जो सारे सदन को विदित है । किसान की उत्तरोत्तर आमदनी कम होती जाती है, इसलिये उसे कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है । तीसरी बात यह है कि कुछ फर्जी सदस्यता भी होती है । सदस्यों को पता नहीं है कि मैं सदस्य हूं, न उन्होंने अपने हिस्से का रुपया दिया है लेकिन कागज में वे सदस्य हैं । अब मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उनके विभाग में जो दोष हैं उनमें से कुछ मंत्री महोदय अब जान पाये हैं । उन्होंने कहा कि सभी जनता को जानकारी नहीं है । मैं कहता हूं कि केवल जनता ही की जानकारी नहीं, समिति के सदस्यों को भी जानकारी नहीं है कि क्या उनका उत्तरदायित्व है और क्या उनके अधिकार हैं ? यह चीज मंत्री महोदय को अनेकों साल के पश्चात् अब मालूम पड़ी । पहले उन्होंने कभी नहीं कही । उनकी यह बात अपनी जगह पर ठीक है । लेकिन आखिर इसका दोषी कौन है ? दोषी यह सरकार है जिसने एक आन्दोलन को जारी करने से पहले जनता को अवगत नहीं कराया कि इसमें कैसे काम चलेगा, क्या तुम्हारा कर्तव्य है और क्या अधिकार है और उसके न जानने के कारण जनता को जो कठिनाइयां उठानी पड़ीं वह ऐसी हैं कि उनके कहने में मेरा समय व्यर्थ नष्ट हो जायगा । मैं यहां तक कह सकता हूं कि कुछ लोगों की जानें तक चली गयीं ।

श्रीमन्, इस विभाग की ऋण देने की बात देखिये । यह विभाग साल में एक बार ऋण दिया करता है । अब श्रीमान्, किस को सुनाऊं मैं, मंत्री जी तो हैं नहीं .....।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो हूं ।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, ये तो किसान को बहुत मालदार समझते हैं, उस दिन कह रहे थे कि किसान के पक्के मकान हो गये हैं, साइकिलें हो गयी हैं इत्यादि ।

श्री उपाध्यक्ष—आपके साथ पूरा न्याय होगा । आप बोलिये ।

श्री रघुवीर सिंह—तो श्रीमान्, मैं कह रहा था कि किसान को एक बार साल में यह सोसायटियां कर्जा देती हैं जबकि वह साल में दो बार फसलें पैदा करता है । इसलिये यह स्वाभाविक बात है कि दो बार फसलें तैयार करने के लिये उसको दो बार ऋण की आवश्यकता होती है । नतीजा यह होता है कि दूसरी बार ऋण लेने के लिये उसको किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाना पड़ता है जब वह किसी दूसरे के साथ बंध जाता है तो सोसायटीज का ह्रास होता है । इसके अलावा सोसायटीज से ऋण लेने में किसान को महान आर्थिक धक्का पहुंचता है और वह इस तरह कि लार्ज स्केल सोसायटियों में यह कायदा है कि अगर किसान उनसे ऋण लेगा तो उसका भुगतान उसे अन्न दे कर करना होगा । यह कितने अन्याय की बात है । यह सब को विदित है कि हमारे प्रान्त में ८० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ४ एकड़ से भूमि कम है । अब जिसके पास ४ एकड़ से कम भूमि हो वह अपने परिवार का पेट भरने के लिये भी तो अन्न पैदा नहीं कर पाता है इन सोसायटियों को अन्न कहां से दे । सवाल यह होगा कि फिर वह ऋण कैसे अदा करेगा । ऐसे छोटे किसान अपने ऋण लगान, आबपाशी इत्यादि का भुगतान या तो पशुपालन कर के, उनका घी, दूध इत्यादि बेच कर करता है या वाणिज्यकारी फसलें हैं उनको पैदा करके करता है । मगर जिसके पास अन्न कम है वह अन्न कहां से दे ?

माननीय मंत्री जी ने एटा जिले की बात कही और कासगंज और गजडूंडवारा की मार्कटिंग सोसायटियों की बड़ी तारीफ की । मैं भी वहीं का रहने वाला हूं इसलिये वहां की बात को जानता हूं । उन सोसायटियों में अधिकांश किसान ऐसे हैं जो अन्न के अभाव में ८, १० रुपये सैकड़ा हर्जा दे कर उन अधिकारियों से पिंड छुड़ाते हैं और वहां के अधिकारी २ या ३ रुपया सैकड़ा पर आढ़तियों से गल्ला खरीद कर अपने गोदाम में भर लेते हैं चाहे उस अनाज में कितना ही कूड़ा करकट या मिट्टी क्यों न हो । लेकिन अगर कहीं कोई किसान गल्ला ही लेकर जाता है तो वे कर्मचारी लोग उसे इतना परेशान करते हैं तौल आदि में घटोत्तरी करके बार बार झटकों लगाकर कि भविष्य में वह गल्ला देने की बात सोचता ही नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कासगंज और गजड्डवारा की बड़ी प्रशंसा की इसलिये मैंने यह बात कही । अगर सरकार को अपने कर्मचारियों का पोषण करना है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर किसान को लूटने से बचाना है तो मैं निस्संदेह कहना चाहता हूं कि इस प्रथा को बंद कर दीजिये नहीं तो किसान की कमर टूटती जाती है । इसलिये मैं इस प्रथा का घोर विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पैसे के बदले में पैसा ही लीजिये, यह अनिवार्य न कीजिये कि पैसे के बदले में किसान अन्न ही दे । इससे किसान को एक बड़ी सुविधा मिलेगी और वह यह इनके कर्मचारियों और वहां के जो स्थानीय आढ़तिया हैं उनमें आपस में एक कम्पिटीशन होगा, जिसके यहां किसान को सुविधा मिलेगा वहां वह गल्ला बेचेगा और उससे यह भी मालूम होगा कि कितनी प्रगति इनके कर्मचारी करते हैं और किस तरह से काम स्थानीय आढ़तिया करते हैं श्रीमान्, सहकारी संघों का कार्य भी संतोषजनक नहीं है । श्रीमान्, मैं एटे जिले की बात कहना चाहता हूं । एटे में एक निधौली कलां सहकारी संघ है उसका आडिट हुआ और उसकी आडिट रिपोर्ट भी भेज दी गई । लेकिन विभिन आपत्तियों के साथ सबसे बड़ी आपत्ति लेखा परीक्षा में यह थी कि १,८०० मन कोयले का गबन हो गया । जब से यह हुआ तभी से सोसाइटी का भट्टा बंद पड़ा हुआ है, स्थानीय लोगों को बड़ा कष्ट है और जिन लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था वह भी लटक गये हैं । मैंने भी इसमें १०० रुपये डाल दिये थे । ८-१० साल बाद मैंने पूछा कि मेरा रुपया कितना बढ़ गया है तो वहां के कर्मचारी ने कहा कि ९७ रुपये ही रह गये हैं ।

[श्री रघुवीरसिंह]

मैंने कहा कि ऐसी हालत में मेरा रुपया मुझे वापस दे दो। लेकिन वह नहीं दिया गया। खैर इसको जाने दीजिये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आडिट हो जाने के बाद सरकार आब्जेक्शन्स को तो देख लिया करे और आवश्यक कार्यवाही किया करे। तभी आपके संघ चल सकते हैं वरना कौन इसमें विश्वास करेगा और अपना पैसा डालकर बरबाद करेगा।

श्रीमन्, वर्तमान व्यवस्था में शिल्पकार और कारीगरों को सहकारी समितियों से कोई साधन नहीं मिल पाते हैं, उनको कर्जा भी नहीं मिलता जिससे वे अपने धंधे को पनपा सकें। इसलिये ऐसा आयोजन होना चाहिये जिससे वे अपने धंधे को ऊपर उठा सकें। मंत्री जी ने यह कहा था कि सहकारिता सरकारी विभाग नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका और विभागों से भी अधिक घनिष्ट संबंध सरकार से है। मान लें कि यह सरकारी विभाग नहीं है तो सुपरवाइजर या कामदार गलती करें तो चुने हुये प्रधान या सेक्रेटरी को या मैनेजिंग डायरेक्टर को अधिकार नहीं है कि उसको पदच्युत कर सकें, जवाब तलब कर सकें या उसको अलग कर सकें। यह तो रजिस्ट्रार महोदय को ही अधिकार है। फिर सरकार से उसका मतलब क्यों नहीं है? इतना मतलब है कि यहां से अधिकारियों को टेलीफोन जाते हैं कि फलां आदमी चुनवा दिया जाय तो वहां के अधिकारी और कांग्रेसी सज्जन ऐसी योजना बनाते हैं कि वही लोग सोसाइटी और फेडरेशन के मालिक रहें। अगर सोसाइटी से नक्शा २० आदमियों के कर्ज देने का बन गया है परन्तु बैंक से रुपया आने पर अपने आदमियों को ही कर्जा दिलाते हैं, अगर उन २० में उनके १५ आदमी हैं तो उनको कर्जा मिलेगा और अन्य ५ को नहीं मिलेगा। सरकार कह दे कि राजकीय पार्टी के लिये ही सहकारी समितियां हैं तब तो ठीक है, अन्यथा दलगत भावना को छोड़कर सबके समान अधिकार होने चाहिये। जनता सुविधा नहीं पा रही है। इसलिये जनता का उसके प्रति विश्वास नहीं है और न आकर्षण ही है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें, समय समाप्त।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे प्रांत में सहकारिता का काम बहुत दिनों से होता चला आया है कुछ बातें जरूर कम पड़ गयी हैं। इतने दिनों से सहकारिता विभाग गांवों में काम करता है लेकिन फिर भी जो काम उसे करना चाहिए वह काम अभी नहीं कर पाया है। इसका कारण क्या है इस संबंध में मैं थोड़े सुझाव देना चाहता हूं।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह एक जनता की संस्था है। सरकारी आदमी तो केवल इसमें देख-रेख के लिए रखे गये हैं। मैं श्रीमान् के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केवल थोड़े से कर्मचारियों को छोड़ कर, अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने को साहब समझते हैं, न कि सेवक। अगर अपने को सेवक समझ कर मिशनरी स्पिरिट में काम करते होते तो गांव में उनके प्रति विश्वास पैदा हुआ होता। हमारे गांवों में पहले जो महाजन होते थे राजा के बाद उन्हीं का सम्मान होता था। लेकिन आज सहकारी समितियां गल्ला भी देती हैं, रुपया भी देती हैं, फिर भी क्या कारण है कि आज सहकारी कर्मचारी ग्रामवासियों का विश्वास लेकर नहीं जा रहा है। उसका कारण यह है कि सेवा के द्वारा ही विश्वास पैदा किया जा सकता है। और बिना विश्वास के कोई भी संस्था गांवों में पनप नहीं सकती। तीन चार वर्ष पहले मेरा भी ऐसा ही विश्वास था जैसा कि सहकारिता के विषय में सुनता था। मैं उससे दूर रहता था। लेकिन यहां बार-बार सदन में हमारे बड़े से बड़े नेताओं ने कहा कि बगैर सहकारिता के काम नहीं चलेगा, तो हमने कहा कि हम भी सहकारिता में शामिल हों। ७२ हजार सोसाइटियां बतायी जाती हैं। इन में शायद २५ फीसदी ऐसी हों जिनकी बैठक नियमित रूप से होती हो। मेरे क्षेत्र में इनकी बैठक बहुत कम होती है। एक सोसाइटी का मेम्बर मैं डेढ़ साल पहले बना। यह समझ कर कि वह बहुत पुरानी सोसाइटी थी, और बहुत खराब हालत में थी, मैंने कहा कि

नयी सोसाइटी बनाएं । लेकिन डेढ़ साल हो गये वह सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई । अधिकारी वर्ग से भी कहा लेकिन अधिकारी वर्ग नहीं चाहते थे कि वह रजिस्टर हो ।

एक सोसाइटी हमने अपने कालेज में अध्यापकों की, एम० ए०, बी० ए० वालों की बनायी कि इसके द्वारा हम कुछ काम करेंगे । मैं भूतपूर्व मंत्री जी को भी लेकर गया । लेकिन वहां के अधिकारी नहीं चाहते थे कि इस तरह के भी आदमी शामिल रहें, जो कुछ कर सकते हों । नतीजा यह है कि उसमें नहीं के बराबर काम होता है । ऐसी हालत में कैसे काम हो सकता है । इसलिये आपके सामने कुछ सुझाव देने हैं । अगर आप चाहें तो बहुत कुछ काम हो सकता है । यह विभाग ऐसा है जो देने का काम करता है, इसके पास बहुत शक्ति है । बीज देता है, ऋण देता है । बहुत बड़ा काम किया जा सकता है । इसलिए मैं कुछ थोड़े से सुझाव रखना चाहता हूं ।

एक तो मैंने बताया कि विश्वास की कमी है । विश्वास पैदा करना होगा । दूसरे प्रचार की कमी है । यह बात दूसरी है कि जीप में बैठकर कहीं खाद दे आते हों या बीज की वसूली कर लेते हों लेकिन कमेटियों में बैठकर बताएं कि सहकारिता खेती यह है । यह नहीं होता । जब नेतागण की आज्ञा हुई तो मैं कई गांवों में गया और मैंने बताया कि सहकारी खेती होना आवश्यक है । लेकिन आज तक उनको वह फार्मूला नहीं बताया गया कि इस तरह से सहकारी खेती की जाती है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र के गांवों में आधे से ज्यादा लोगों को तैयार कर लिया है लेकिन ठीक से उनको बताएं कि इस तरह से काम करो तो वह सहकारी खेती कर सकते हैं ।

एक बात और है कि जैसे हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री सरप्राइज विजिट किया करते ह उसी तरह से हमारे मंत्री जी और अधिकारी वर्ग गांव में बिना पहले सूचना दिये हुए, क्योंकि सूचना देने पर पहले से इन्तजाम हो जाता है उसके बजाय यह सरप्राइज विजिट करें, वहां पहुंचे और पूछें कि क्या हाल तुम्हारा है और तुम्हें क्या तकलीफ है तो इससे बहुत ज्यादा काम हो सकता है ।

बीज में एक बात होती है कि वह उगता नहीं लेकिन फिर भी उसकी वसूली कर ली जाती है । हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि जो बीज न उगे उसकी वसूली माफ की जाय । गांवों में हम यह बात कहते हैं, कोई सुनता नहीं । इसके अलावा वह बीज पहले बोकर देख लिया जाय कि उगता है या नहीं । अक्सर कई-कई गांवों से यह शिकायत मिली है और खासकर हमारे जिले से कि गल्ला उगता नहीं है ।

एक बात यह भी कही जाती है कि गल्ला लोगे तो इतनी खाद भी लेनी पड़ेगी । पहिले तो लोग खाद ले लेते थे और बेच देते थे, वह कानपुर होकर न जाने कहां चली जाती थी । लेकिन मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । जब आप इतना भी विश्वास उनको नहीं दिला पाते कि वह खुशी से खाद लें तो यह न होना चाहिये कि जबर्दस्ती उनको दी जाय । जिसका जी चाहे ले, जिसका जी चाहे न ले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

सीड स्टोर कहीं-कहीं पर तो बहुत हैं और कहीं-कहीं बिलकुलन नहीं हैं । हमारेक्षेत्र में दस मील में एक भी सीड स्टोर नहीं है और कहीं-कहीं तीन-तीन मील पर है । हमने प्रार्थना की थी कि बछरावां में दो सीड स्टोर हैं, एक स्टोर वहां कायम कर दिया जाय, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

एक बात यह है कि सरकारी कर्मचारी जितने हैं, वह आपस में सहयोग नहीं करते । हमसे सहयोग की बात कही जाती है । यहां कहा जाता है कि जनता सहयोग नहीं करती, एम० एल० एज० सहयोग नहीं करते, लेकिन सरकारी कर्मचारी और सरकारी विभाग जितने हैं जैसे सहकारिता का विभाग है, तहसील है, ब्लाक है, इनमें जरा चलकर देखिए कि ये विभाग एक दूसरे

[श्री चन्द्रिकाप्रसाद]

से कितना कोआपरेशन करते हैं और एक दूसरे को किस निगाह से देखते हैं ? अगर यह आपस में सहयोग करें और एक दूसरे की मदद करें तो ज्यादा काम हो सकता है ।

दूसरी बात ईंटों भट्ठों की है । हमारे यहां तीन भट्ठे खोले गए । उनमें से दो तो बन्द हो गए । अब एक भट्ठा चल रहा है । उसमें काफी रुपया कोआपरेटिव का लगता है लेकिन उनकी ईंट प्राइवेट भट्टे वालों से बहुत खराब होती है । कोयला भी उनको दिया जाता है, और हर तरह की मदद दी जाती है, लेकिन तब भी वह उस तरह ईंट पका नहीं पाते हैं जिस तरह की ईंट प्राइवेट भट्ठे वाले पका कर उससे ज्यादा फायदा उठाते हैं । हम चाहते हैं कि अधिकारी वर्ग इस बात को देखें कि क्या बात है कि वही कोयला वगैरह इनको भी मिलता है, लेकिन वह उससे उतना फायदा नहीं उठा पाते ।

दूसरी बात, जो सरकार से हमको गल्ला या ऋण वगैरह मिलता है वह उसी काम में लगता है या नहीं जिसके लिये कि वह दिया गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिये । अक्सर गल्ला लेकर शादी में खर्च कर दिया जाता है या उसका व्यापार किया जाता है और दूसरीतरफ जरूरत-मन्द आदमी जो अधिया या बटाई पर खेती करतेहैं, खेतिहर मजदूर आदि हैं उन को गल्ला मिल ही नहीं पाता,मिलता उनको है जो उसवक्त उसका फायदा उठाते हैं और बादमें कहीं से लाकर गल्ला जमा कर देते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिये । पम्पिंग सेट के लिये ढ़ाई ढ़ाई हजार रुपया लोगों ने लिया लेकिन दूसरे काम में खर्च कर दिया । बहुत लिखा पढ़ी होने पर कुछ इस सम्बन्ध में किया जाता है । तो इस चीज को देखना चाहिये और जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये ।

एक बात बड़ी अच्छी माननीय मंत्री जी ने कही है कि उन आदमियों का भी अब ध्यान रखा गया है जिनको अभी तक न ऋण मिलता था न रुपया मिलता था । यह बहुत अच्छी बात है । सोसाइटी का जहां तक सवाल है आप यही काफी न मान लें कि ७२ हजार सोसाइटियां बन गईं बल्कि यह देखें कि वह ठीक काम कर रही है या नहीं और उसके लिये हम लोगों से जो गांवों में रहते हैं पूंछे । केवल अधिकारियों की बातों पर आप न जायं क्योंकि आज कल का जमाना तो यह है लूटो, खाओ, पियो, मौज करो । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी पक्ष की कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमान्, जो सहकारिता का प्रचार किया जाता है वह ज्यादातर जनता तक पहुंच नहीं पाता । जो सोसाईटियां देहात में बनती हैं उनके चुनाव की बात जनता को मालूम नहीं हो पाती कि किस किस आधार पर चुनाव कराये जाते हैं । कोआपरेटिव के सुपरवाइजर्स कुछ लोगों को सदस्य बना कर अपने आदमियों को चुन लेते हैं और उनके द्वारा वह कर्ज देते हैं । वह जिनको कर्ज दिलाना चाहते हैं, उनको देते हैं और जनता को वह नहीं मिल पाता । चन्द आदमी उस कर्ज को लेकर अपना व्यापार करते हैं और उसे ब्याज पर चलाते हैं । कोआपरेटिव के सरपंच का जो चुनाव होता है उसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं होती । अगर कोई सरपंच विरोध करता है या कहने में नहीं चलता तो उसे ६ महीने के बाद बदल दिया जाता है । कोआपरेटिव के आधार पर शहर में जो आढ़तें खोली गयी हैं वह गलत साबित हुई हैं । जो कर्ज सोसाइटी द्वारा दिया जाता है वह देहात में इस शर्त पर दिया जाता है कि वे अपना गल्ला शहरों में जाकर उन आढ़तों पर दें और जब वे अपना गल्ला उन तक पहुंचा नहीं पाते तो शहरों में गल्ला खरीद कर उनको देते हैं । कभी-कभी ऐसा करने में किसान को तेज भाव का गल्ला खरीदना पड़ता है और उसे ब्याज २५, ३० और ४० परसेंट पड़ जाती है ।

इसी तरह से जो देहात में चमड़े का काम करते हैं उनको बड़े-बड़े आदमी एक आना रुपये पर रुपया देते हैं कर्ज और सहकारिता का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे उनको कर्ज दिया जा सके । सहकारिता के आधार पर जो भट्ठे खोले गये हैं उनमें ज्यादातर में घाटा हुआ है ।

एटा जिले में भी तो सभी भट्ठों में घाटा हुआ है और काफी रुपया गबन हुआ है। रघुवीर सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उससे सहमत हूं। शहरों के नजदीक भट्ठे खोले गये हैं और बैकवर्ड एरियाज में नहीं खोले गये। हाउसिंग सोसाइटी से भी शहरों में बड़े-बड़े आदमियों को लोन दिया जाता है, जो देहात का काश्तकार या मजदूर है उसे वह लोन नहीं दिया जाता। आज सहकारी खेती का प्रचार किया जा रहा है, किन्तु यह कभी सफल नहीं हो सकती। यह सफल तभी हो सकती है कि जब हमारे देश का सामाजिक आचरण ठीक हो और अधिक सुधार हो। आज तो भाई को भाई पर विश्वास नहीं होता, एक खानदान के लोग एक साथ खेती नहीं कर सकते। ऐसी हालत में यह सहकारी खेती कैसे सफल होगी, यह सरकार ही जाने।

श्रीमन्, हमारे यहां जो सुपरवाइजर लोग कर्जा देते हैं वे प्रोनोट लिखा कर देते हैं। मैंने अपने यहां एटा तहसील में खुद कई जगह देखा है कि ये लोग प्रोनोट तो लिखा लेते हैं मगर किसानों को रुपया नहीं देते। इस तरह की ग्राम सापपर की कई शिकायतें मेरे पास आईं और मैंने फिर सुपरवाइजर से कहा भी। मेरे कहने पर कभी तो उसने कहा कि हमने दे दिया रुपया, कभी कहा कि रुपया आया नहीं था, अब दे देंगे। इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। मेरे कहने पर भी, बाद को जब रुपया उन लोगों को नहीं मिला तो मैंने डी० सी० ओ० से शिकायत की और जब उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने डिप्टी मिनिस्टर जो वर्मा जी थे उनको लिख कर भेजा था और उसके बाद कुछ लोगों को सुपरवाइजरों ने रुपया दिया। ये लोग प्रोनोट तो लिखवा लेते हैं लेकिन कोई रसीद वगैरह उसकी उनको नहीं देते। उन लोगों का कुछ परसेन्टेज होता है, इसके दलाल लोग भी होते हैं और ५ परसेंट या १० परसेंट रुपया लेकर लोगों को रुपया कर्ज पर दिलवा देते हैं। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि उन लोगों को कोई रसीद वगैरह जरूर दी जानी चाहिये और जो भ्रष्टाचार इस तरह का ह उसको दूर करने के लिये सरकार को कोई प्रयन्न करना चाहिये।

दूसरी बात मैं सीड स्टोर के कामदारों के संबंध में कहना चाहता हूं। जब इनकी भर्ती की जाती है उस समय तो उनको प्रमोशन आदि का आश्वासन दिया जाता है किन्तु जब उनकी भर्ती हो जाती है तो उनको न तो कोई प्रमोशन ही दिया जाता है और न उनको सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग आदि के लिये ही भेजा जाता है जबकि वे इन्टर व टेन्थ पास होते है।

दूसरी बात, मैं जो खाद दी जाती है उसके बारे में कहना चाहता हूं। किसानों को खाद दी नहीं जाती है, लेकिन उनके नाम खाद लिख दी जाती है। कई किसान खाद नहीं लेते हैं, लेकिन बीज के साथ खाद भी उनके नाम चढ़ा दी जाती है और फिर उनसे उसका पैसा वसूल किया जाता है। जब इस तरह की शिकायतें की गयीं तो यह आदेश दिया गया कि रुपया उनसे न वसूल किया जाय। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दे। कम से कम जो लोग खाद नहीं लेते उनसे तो उसका पैसा वसूल न किया जाय।

एक बात यह है कि मार्केटिंग में जो भाव बढ़ जाता है उसका असर उन काश्तकारों पर पड़ता है जो कोआपरेटिव आढ़त पर माल लाते हैं। मेरा कहना यह है कि कोआपरेटिव के आधार पर एक कम्पटीशन होना चाहिये और जो आढ़ती हैं वे एक तरह का कम्पटीशन करें ताकि काश्तकार को सुविधा हो सके और उसे उचित दाम मिल सकें।

यह जो गबन के मामले होते हैं उनमें जांच करने पर जो सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी दोषी पाये जाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई अदालती कार्यवाही नहीं की जाती। मेरा कहना है कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा सरकार को चलाना चाहिये। आज भी उनके ऊपर रुपया बकाया है और उसको वसूल नहीं किया जाता। न तो वे लोग रुपया देते हैं और न सरकार द्वारा ऐसे लोगों पर कोई मुकदमा ही चलाया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, हमारे देश का प्रशासन कोआपरेटिव कामनवेल्थ के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश उसी का एक अंग है और हमारे प्रदेश के लिये उसका (सहकारिता का) एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं। हमारी सरकार की ओर से जो पुस्तिका मिली है उसमें सहकारी समितियों की संख्या दी हुई है। सन् १९५९–६० में इनकी संख्या—६७,६२० और सन् १९५७–५८ में इनकी संख्या ५५,२२० थी। इसके मानी यह हैं कि करीब ड्यढ़ी संख्या हो गयी है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मान्यवर, इनकी वृद्धि तो हुई पर क्वालिटेटिव जो मौलिक तत्व है उनमें तरक्की नहीं दिखाई देती है, ऐसा अनुमान है। संख्या बढ़ाने से सहकारिता की वृद्धि हो, ऐसा संभव नहीं है। सहकारिता तो ऐसा "वे आफ लाइफ" है जिसमें मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति बनायी जाय। उसमें कमी होती जा रही है। सहकारी समितियों में बार-बार चर्चा आती है कि यह झगड़ा है, कभी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स सुपरसीड होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हटाया जाता है, कभी प्रशासन की तरफ से डी० सी० ओ० की नियुक्ति की जाती है। यह देखा गया है कि जो मौलिक आधार है, उसी में कमी है, उस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

एक कारण तो यही है कि इस आन्दोलन का सरकारीकरण होता गया है। सरकारीकरण होता क्या है, डी० सी० ओ० और सुपरवाइजर ही इस में प्रमुख हैं, और सदस्यों की महत्ता नहीं है। मौके बेमौके ऐसे-ऐसे उनके हस्तक्षेप कार्य में होते हैं कि अब अनुमान नहीं कर सकते कि गांव में किस तरीके से ये सोसाइटियां काम करती हैं। मैं एक मिसाल बताऊं कि चूंकि इनकी सोसाइटी सफल नहीं है, जनसाधारण की सोसाइटी ठीक न चल सके इसलिए रुकावट डालते हैं। देवरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, १०–२० हजार के सरमाये से १० साल से वह काम कर रही है, नान-आफिशियल हैं और उसने २–३ लाख का कैपिटल बनाया है। वहां डिप्टी रजिस्ट्रार, गोरखपुर और डी० सी० ओ० ने ऐसा बवंडर पैदा कर दिया कि जो गैर-सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने यह पसन्द किया कि इसको बन्द कर दिया जाय। उन्होंने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से पास करवाया, ए० जी० एम० ने कहा कि हम संशोधन चाहते हैं कि गैर-सरकारी मंत्री हो। रजिस्ट्रार महोदय ने नहीं माना और कहा कि तुम्हारे ही हित में सरकारी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी और प्रशासन की इच्छा है कि गैरसरकारीकरण किया जाय और रजिस्ट्रार महोदय ने यह किया कि डी० सी० ओ० को नामिनेट कर दिया। जब वह पालिसी के विरुद्ध है तो ऐसा नहीं करना चहिए और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की इच्छा के विरुद्ध यह काम किया गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसकी विशेष जानकारी करें। जब इस प्रकार से सहकारी समितियों का काम होगा तो कैसे प्रगति हो सकेगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

एक डी० सी० एफ० हैं देवरिया में, पारसाल सुपरसीड हो गयी थी। उसका कोई नाम नहीं है। डी० सी० ओ० सरकारी थे और मंत्री थे और उनके रहते कुछ नहीं हो पाता है और जनता में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गैर-सरकारी लोग जहां ईमानदारी से काम करते हैं वहां हस्तक्षेप और सरकारी कर्मचारियों के साथ पक्षपात, इससे प्रशासन की बदनामी होती है। तो ऐसे मामले रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को देखने चाहिए और कड़ाई के साथ उनके बारे में जांच होनी चाहिए। अभी वहां पर खाद की एक ही एजेंसी है। वहां पर छोटा सा काम और उसके लिए जीप पता नहीं डी० सी० ओ० ने किस की राय से खरीदी। जहां घाटे का काम हो, वहां ऐसे खर्चे नहीं होने चाहिए।

मैं तो समझता हूं कि कोआपरेटिव ऐक्ट ही ऐसा डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) है जिसकी वजह से गड़बड़ी होती है। अगर आपकी इच्छा है, सरकार की नीति है कि असरकारीकरण किया जाय तो उनको (गैरसरकारी लोगों को) सब कुछ दे दीजिये और गलतियों से सीखने दीजिये। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हो रहा है कि बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के कुछ न हो सके। इसके लिए ऐक्ट में जल्द से जल्द संशोधन लाये जायं।

सेवा सहकारी समितियां बनीं और पता नहीं हमारे ही क्षेत्र में ५-७ सौ एक ही रात में बन गयीं और दूसरे दिन बनकर तैयार हो गयीं, जनता को पता ही नहीं चला कि नयी बनीं या उन्हीं को कनवर्ट कर लिया गया। इनका अर्थ क्या है, यही लोगों को पता नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अलग कर दीजिये और जो गैर-सरकारी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं वे उसमें कार्य करें। जो बीसों बरस से खून-पसीना उसमें लगा चुके हैं, उनको प्राथमिकता दीजिये। उनके द्वारा आन्दोलन चलेगा तो बल मिलेगा। मान्यवर, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आन्दोलन चलाया तो क्या उसमें सरकारी कर्मचारियों ने कोई बल दिया? मैं समझता हूं उन्होंने रुकावटें ही पैदा कीं। लेकिन फिर भी जनतांत्रिक तरीके पर वह आन्दोलन चला और उसमें सफलता मिली। इसी प्रकार से इस आन्दोलन में भी जिन लोगों को सहकारिता के प्रति रुचि है, जो बिना पैसे के लोग हैं उनका अगर गाइडेन्स मिले तो सम्भवतः कुछ सुधार हो सकेगा।

श्रीमन्, एक सहकारी गृह निर्माण की योजना है। विभाग की ओर से "उत्तर प्रदेश में सहकारिता, १९६०" के नाम से जो पुस्तिका हम लोगों को मिली है उसके पेज ५८ पर कुछ आंकड़े दिये हुए हैं। ऋण के लिये जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनकी संख्या ५,२४२ है, आवेदन-पत्र जो स्वीकृत हुए उनकी संख्या ४,४९९ है और जो मकान बने उनकी संख्या २,९२८ है। मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से तो धन की स्वीकृत हो जाती है लेकिन जो विलेज ऐन्ड टाउन प्लानर हैं उनसे नक्शों की स्वीकृति नहीं हो पाती। देवरिया वाले उनकी स्वीकृति के लिये परेशान हैं। श्रीमन्, क्या कारण है कि ४,४९९ में से २,९२८ घर ही बने और करीब आधा रुपया एक साल में लैप्स हो गया?

श्रीमन्, इसी प्रकार से मध्य आय गृह-निर्माण योजना में ११७ दरख्वास्तें पड़ीं जिनमें ८७ मंजूर हुई और केवल २० मकान बने। मान्यवर, देवरिया में गृह निर्माण की स्वीकृति मिल जाती है लेकिन नक्शे पास नहीं होते जिससे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देकर देखें कि कहां पर गड़बड़ी है। कभी कभी सिद्धान्त की बातें तो कही जाती हैं लेकिन डिटेल्स को नहीं देखा जाता। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को देखा जाय कि योजनाओं की प्रगति क्यों नहीं हो रही है, तभी कल्याण हो सकेगा।

श्रीमन्, उक्त तथ्यों के कारण मैं तो निराशावादी हो गया हूं। लैंड मार्गेज बैंक्स की २९ ब्रांचेज खुली हैं। वे बड़ी उपयोगी हैं और उनसे आशा बंधती है कि कुछ काम हो सकेगा। लेकिन श्रीमन्, इस विभाग के द्वारा जो सहकारी बीज भंडार चलाये जाते हैं उनको बन्द कर दिया जाय। कृषि विभाग के अलग बीज भंडार चलते हैं और इस विभाग के अलग चलते हैं। सहकारी बीज भंडार में होता यह है कि सेक्रेटरी और सुपरवाइजर ने बाजार से बीज खरीद कर गोदाम में भर दिया। अब अगर अच्छा बीज न मिले तो बदनामी होती है। इसलिये बीज बांटने का पूरा नियंत्रण कृषि विभाग से ही होना चाहिये। इस प्रकार से न तो सहकारिता के बीज भंडार चल सकते हैं और न कृषि विभाग के। तो इस तरह से विभाग की बदनामी कराने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि जितना भी काम हो वह सुनिश्चित ढंग से किया जाय और उसमें जनता का सहयोग और विश्वास होना चाहिये।

अब मैं कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कार्य करने के तौर तरीके पर कुछ कहना चाहता हूं। एक ही काम है ऋण देना और उसको वसूल करना। मंत्री जी ने कहा कि जो सुपरवाइजर हैं वह तो उस यूनियन के कर्मचारी हैं, उनका नियंत्रण वहां से होता है, लेकिन एक्चुअल वर्किंग में ऐसा नहीं है। गांवों में जो शक्ल है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह जैसा चाहते हैं वैसा रेज्यूलूशन पास करा लेते हैं। रायबरेली के श्री चन्द्रिका प्रसाद जी ने कहा कि एक कालेज में सोसायटी बनाई। श्रीमन्, हमने भी एक कालेज में सोसायटी बनाई, लेकिन पता नहीं पढ़े लिखे लोगों की सोसायटियों से उन लोगों को क्यों घबराहट होती है। वह ऐसी सोसायटियों को बल नहीं देते बल्कि अड़चनें पैदा करते हैं। जो उनकी हां में हां मिलाने वाले हों वह तो ठीक वरना उनकी ओर से रुकावटें जरूर डाली जायेंगी। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसको देखें।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

असल में एक क्लाइमेट सहकारिता को पैदा करने की जरूरत है। खेती भी तभी उसके आधार पर हो सकेगी और सारी पंचायतों की तरक्की भी इसी पर निर्भर करती है। अगर हमारे विचारों में परिवर्तन न हुआ तो हमारा आधार ही समाप्त हो जायगा। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। इन चन्द सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन के संबंध में इस सदन में काफी चर्चा हुई। मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई कि आज सहकारी आन्दोलन पर जब बहस हो रही है तब हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री भी यहां मौजूद हैं। सदन में समय-समय पर उन्होंने जो आश्वासन दिये, मुझे बहुत अफसोस है कि आज तक उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण है? इसका उत्तर वे देंगे।

पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में जो सूद की व्यवस्था है, वह देश के प्रत्येक सूबे से ज्यादा है। श्री मंगला प्रसाद जी ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि वे जल्दी ही ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे सूद कम हो जायगा। लेकिन जिस समय यह वादविवाद हुआ था, उस समय भी १२ प्रतिशत सूद लिया जा रहा था और आज भी १२ प्रतिशत लिया जाता है। जिन आंकड़ों का उस समय हवाला दिया गया था उन्हीं आंकड़ों को, माननीय मंगलाप्रसाद जी की याददाश्त को ताजा करने के लिये, फिर पढ़ देना चाहता। वे इस प्रकार हैं—

राज्य			सूद की दर
उत्तर प्रदेश	..	..	.. १२ प्रतिशत
मद्रास	..	..	.. सवा ६ प्रतिशत
बाम्बे	..	..	.. ,,
उड़ीसा	..	..	.. ६ प्रतिशत
पंजाब	..	..	.. ६ ,,
बिहार	..	..	.. पौने सात प्रतिशत।

अब यह कहा गया है कि पौने नौ प्रतिशत सूद हमारे यहां लिया जाता है लेकिन अगर वह निश्चित अवधि के अन्दर नहीं दे पाता है तो उससे १२ प्रतिशत सूद लिया जाता है। अब यह विचार करना होगा कि इस व्यवस्था के रहते हुए मंगला प्रसाद जी का यह विभाग सफल हुआ है या नहीं।

एक बात मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि गांधी जी जब अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे थे उस समय बराबर हम लोगों ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि जो सवाई बीज की ली जाती है वह बहुत ज्यादा है और जनता को उसके बोझ से मुक्त किया जाना चाहिये। यही नहीं अगर वह भी समय पर अदा नहीं हुआ तो सूद दर सूद लिया जाता था। अब मैं कोआपरेटिव विभाग से यह जानना चाहता हूं कि यह सवाई बीज का लेता है या नहीं और अगर कोआपरेटिव विभाग सवाई बीज का लेता है तो सही मात्रा में वह जनता के लिये हितकारी है या अहितकारी? हम लोगों ने बार बार सरकार से जिस बात की मांग की, राष्ट्रीय मंच से जिस चीज की सदा हमने निन्दा की, उन्हीं सिद्धान्तों को जब हमारे हाथ में ताकत आयी तो स्वतः ही उनको दफना रहे हैं। इसलिये अब कोआपरेटिव विभाग ऐसी व्यवस्था करे जिससे बीज के लिये जो गल्ला दिया जाय उसकी किसानों को सवाई न देनी

पड़े। लेकिन कोआपरेटिव विभाग तो उन मुगलों से भी बढ़ गया जो दो पैसा रुपया रोज सूद लेते थे। मान लिया कोआपरेटिव को समय पर सवाया नहीं दे पाया तो उस बेचारे किसान को दो आना प्रति रुपया पेनेल्टी देनी पड़ती है। अगर किसी की फसल मारी गयी है तो सामान्य सिद्धान्त तो यह हुँ कि फसल मर गयी तो लगान मर गया। अब जब फसल मर गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, हमारे पास फसल नहीं है कि सवाया दे दें तो हमको दो आना रुपया पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जिस पर सरकार कहती है कि सहकारी आन्दोलन जनता के नाम पर हो रहा है। सब काम जनता के नाम पर हो रहे हैं। जनता का गला भी जनता के नाम पर काटा जा रहा है।

५६ साल पुराना हमारे यहां का सहकारी आन्दोलन हो चुका है। इतने समय में क्या प्रगति हुई है? आज अपने प्रदेश की भूमि व्यवस्था, नौकरशाही का दबाव, आमदनी की विषमता और जातिपांत का डांडमेड इन चारों स्थितियों में है सहकारी आन्दोलन को प्रगति प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? सहकारी खेती क्या हो पाएगी यहां पर? न मालूम कितनी बार हमने यहां आंकड़े पेश कर दिये हैं। उसकी बात तो इस समय नहीं करूंगा क्योंकि इस प्रदेश में सहकारी खेती केवल श्री जवाहर लाल नेहरू के मुखारबिन्द से निकला हुआ एक वोट जीतने का नारा है और कोई तथ्य नहीं है उसमें। जिस सन् ५६ के आंकड़े के आधार पर सहकारी खेती की बात कही गई वह आंकड़े बिलकुल ही सहकारी खेती के अनुपयुक्त हैं क्योंकि उस समय कृषि से ५७ अरब रुपये की आय थी जिसमें से २३ अरब बीज और लगान का था। अब बचा ३४ अरब। ३२ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती है तो अगर एक एकड़ पर ५० रुपये का भी औसत रखें तो १६ अरब रुपया किसान को मुनाफे का देना पड़ेगा, अब बचा १८ अरब। १० करोड़ लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। अगर सरकार तमाम मजदूरों और सुपरवाइजरों और इंस्पेक्टरों और सब को जोड़कर सहकारी खेती की व्यवस्था करे और ७५ रुपये का भी औसत रखे तो २ करोड़ से ज्यादा आदमियों को काम नहीं दे पायेगी। तो फिर ८ करोड़ का क्या होगा? क्या रोजगार देंगे? कभी सोचा है? बिना सोचे समझे धुप्पल में नारा लगा दिया कि सहकारी खेती और जैसे नारा लगा उसी तरह से वह समाप्त भी हुआ क्योंकि अब वह जोश नहीं रह गया है। अब जवाहर लाल नेहरू जी भी कहते हैं कि जिसकी इच्छा हो सहकारी खेती में जमीन दे और जिसकी इच्छा हो न दे, लेकिन उस समय जो बात थी उसमें अनिवार्यता की झलक थी।

श्रीमन्, इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि अच्छी तरह से एक विधेयक तैयार होगा। अगर सरकार सहकारिता आन्दोलन के प्रति सचेष्ट है तो आज तक क्यों वह विधेयक नहीं प्रस्तुत हुआ है? क्यों उसमें विलम्ब हुआ? इससे ऐसा लगता है कि कह तो दिया जाता है आवेश में आकर लेकिन फिर उसको पूरा करने की शक्ति सरकार में नहीं रहती।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह रजिस्ट्रार किसलिये हैं, केवल इसलिये कि सहकारिता आन्दोलन को दफना दें या उसमें कुछ प्रगति करें। हमने जितने मामले भेजे हैं सारे के सारे ठप्प हैं। वाराणसी का जिला ले लीजिये। कई बार कहा गया। एक आदमी १२ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन होता रहा और बिलकुल अनियमित ढंग से क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सर्वेसर्वा था। हमने सुझाव दिया कि नियम बना दिया जाय कि एक आदमी लगातार दो बार से अधिक कोआपरेटिव फेडरेशन का चेयरमेन न हो। हमारी बात से सहमति भी प्रकट की गई माननीय मंगलाप्रसाद की तरफ से। लेकिन वह सहमति कार्यान्वित नहीं हुई। आज साजिश करके, गुटबन्दी करके एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन अनेकों साल तक रहता है। जहां जहां गड़बड़ी हुई, जहां

श्री राजनारायण]

जहां का मामला गबन में आया आज तक किसी का निपटारा हुआ है ? कहीं चिट्ठी चली जायगी और सारा मामला गड़बड़ । एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं ताकि सदन के सम्मानित सदस्य समझ लें कि यह सरकार किस प्रकार से सहकारी आन्दोलन को चलाना चाहती है । वह उदाहरण वाराणसी का है ।

वाराणसी कपड़ा मिल के पूंजीपतियों ने अपना हाथ पैर खींच लिया और कह दिया कि हम मिल को नहीं चलायेंगे । दो गांठ कपड़ा मिल में बाकी था । वहां के मजदूरों ने कहा कि हम इस कपड़े को बेंचकर इससे नकदी दाम लेकर कोयला खरीदकर और रुई लेकर मिल को चलावेंगे । ६ महीने तक कोआपरेटिव बेसिस पर वह मिल वहां के मजदूर चलाते रहे । होता क्या था कि वह कपड़ा बनाकर शिवपुर लाते थे और वहां उसको देकर नकदी दाम लेते थे । हमें अफसोस है कि सरकार के पास एक बार नहीं अनेक बार मैं गया । प्रभूनारायण जी गये कि इनको पैसा दो क्योंकि यह मिल मजदूर चला रहे हैं । मगर उधर तो पूरा नहीं किया गया । उलटे क्या हुआ कि जो नकदी पैसा दे दिया करते थे उनको यहां से दबाया गया कि इनको रोज रोज पैसा मत दो । मजदूरों के पास पैसा तो नहीं था और जब नित्यप्रति पैसा देना उन्होंने बन्द कर दिया तो मिल का चलना बन्द हो गया । आज जो दुर्गति हो रही है वह साबित करती है कि यह सरकार किस प्रकार सहकारी आन्दोलन को चला रही है और उसकी प्रगति कर रही है । मंगला प्रसाद जी का लेक्चर सुन्दर हुआ उनका अपना तरीका बोलने का है, शैली है मगर जो आज परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं उनका जो टकराव है वह उनके मधुर शब्दों से दूर नहीं हो पा रहा है । इसीलिये हम कहते हैं कि कोआपरेटिव आन्दोलन जो सरकार चला रही है उस पर आद्योपान्त से सोचें, समझें और बिचार करें ।

अभी पूरा नक्शा हमारा बना नहीं है मगर उदाहरण के लिये मैं पेश करना चाहता हूं कि आज गांव पंचायतें हमारे प्रदेश में कायम हैं । ये गांव पंचायतें बुनियादी यूनिट सहकारी आन्दोलन के लिये क्यों न कायम की जायं क्योंकि गांव पंचायत जो हैं वह टैक्स भी ले लेती हैं, शेयर भी ले सकती हैं और शेयर लेकर वह रोजगार भी कर सकती हैं । तो गांव पंचायतों को सहकारी आन्दोलन में खपाने के लिय आजतक कोई प्रयत्न हुआ ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? इसीलिये न कि उसका एक अलग विभाग है, एक सारा मंडल बन गया है और अधिकारियों का एक नक्शा है और ऊपर से चल रहा है । ऊपर से, श्रीमन्, सहकारी आन्दोलन चलाने की जो सरकारी चेष्टा है उसको सहकारी आन्दोलन नहीं कहना चाहिये । उसके लिये तो स्फूर्ति और उसका स्रोत नीचे से बहना चाहिये और जब तक नीचे से, जनना से उसका स्रोत नहीं बहेगा और सरकारी दबाव डालकर, सरकारी नियमों के मातहत, सरकारी कर्मचारियों के मातहत आन्दोलन चलाने की प्रवृत्ति रहेगी निश्चित रूप में सहकारी आन्दोलन नहीं चलेगा ।

श्रीमन्, सिद्धान्त की बातें यहां कही गयीं । उनका भी कुछ जबाव देना आवश्यक हो गया है । कुछ लोगों ने समझ रखा है कि शायद समाजवाद और सहकारी आन्दोलन में कोई फर्क नहीं है । मैं चाहता हूं कि हमारे ऐसे मित्र अपने मस्तिष्क को बुद्धिविभ्रमजन्य भ्रान्ति से दूर करें । समाजवाद समता का सिद्धान्त है और सहकारी आन्दोलन विना समाजवाद के भी चल सकता है और समाजवाद और सहकारी आन्दोलन को पर्यायवाची शब्द नहीं माना जाना चाहिये । समाजवाद में धन की, साधन की, उत्पादन विनिमय और वितरण के साधनों की समता होनी चाहिये । लेकिन सहकारी आन्दोलन में ऐसा नहीं है । 'क' के पास १००० बीघे खेत है, 'ख' के पास ५०० बीघे जमीन है और "ग" के पास २५० बीघे है तो वह सब अपने को सहकारी आन्दोलन में मिलकर सहकारिता के आधार पर खेती कर सकते हैं और अपनी जमीन के रकबे के मुताबिक मुनाफा ले सकते हैं । माननीय मंगला प्रसाद जी ने कहा कि

१ हजार रुपये का जो शेयर खरीदेगा और एक सौ रुपये का जो शेयर खरीदे गा, उन दोनों का एक वोट होगा। मगर १,००० रुपये के शेयर वाले को ज्यादा मुनाफा होगा बनिस्बत १०० रु० के शेयर वाले के। इन तमाम बातों पर विवेचना होनी चाहिये।

हां एक बात है, आज के विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले समाज में पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था की अपेक्षा कोआपरेटिव आन्दोलन का चलाना अनिवार्य माना जाना चाहिये। क्योंकि एक तरफ तो पूंजीवादी अमरीका और इंगलैण्ड ग्रसना चाहता है और दूसरी ओर से रूस और चीन ग्रसना चाहता है। एक तानाशाही व्यवस्था और एक पूंजीशाही व्यवस्था का प्रतीक। इन दोनों को देखते हुए अगर अपने देश में हम सहकारी आन्दोलन को विकसित करें तो निश्चित माने में हम जनता के जन जीवन का उत्थान कर सकते हैं और कई प्रकार के रोजगार अपने हाथों में ले सकते हैं। मगर उसके लिये प्रेरणा, शक्ति और सिद्धान्त की व्यवस्था होनी चाहिये तथा उसके लिये हर प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिये जो कि आज सरकार की ओर से नहीं हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं सहकारी आन्दोलन फले फूले, विकसित हो और उसको विकसित करने के लिये सरकार अच्छी तरह से अगर गांव पंचायतों को ला करके खपा पाये तो अच्छा हो।

*श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राजनारायण जी ने एक बुनियादी सिद्धान्त जो उठाया है उसको तो मैं इस समय न छुऊंगा। इतना ही कह सकता हूं कि मैं मानता हूं कि समाजवाद में और सहकारिता में भेद है। उन्होंने आगे चल कर यह मान लिया कि मौजूदा हालत में सहकारिता अत्यन्त आवश्यक चीज है और इसको होना चाहिये। इसलिये मैं इस बहस में न पड़ कर, मैं इसी के संबंध में २, १ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

मैं मंत्री जी को और खास कर उनके पीछे जो कर्मचारी लोग हैं उनको इस बात की बधाई देता हूं कि पिछले २, ३ साल में जितना काम इस प्रदेश में हुआ है उतना काम किसी और प्रदेश में उस तेजी से नहीं हुआ। और यह मेरा कहना नहीं है अकेले। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की कन्ट्रोवर्सी से लेकर जो केन्द्रीय सरकार की टीम आयी थी उन सबसे जाहिर होता है कि जो भ्रम पहले था वह अब बहुत कुछ दूर हो गया। भ्रम असल में इसलिये पैदा हुआ था कि बहुत दिन हुए, १०, १५ साल हुए जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बात की जांच करने के लिये कि देहात में जो क्रेडिट सिस्टम है वह कैसा है, उसमें क्या खराबियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाय, एक कमेटी बैठायी। वह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ क्रेडिट दिया जा रहा है देहात में वह बहुत नाकाफी है और उससे किसान का काम नहीं चलता। वह इस नतीजे पर पहुंची कि जिस तरह से एक गांव की एक सोसायटी उस वक्त तक बनी हुई थी उससे क्रेडिट सिस्टम अगे नहीं बढ़ सकता है और उन्होंने लार्ज साइज सोसायटीज बनाने की सिफारिश की थी। उसका मतलब यह था कि एक जगह कुछ गांव मिला करके एक बैंकिंग सोसायटी हो जिसका एक दफ्तर हो, पूरे समय का आदमी हो और वहां से कर्जा दिया जा सके। सह बैंकिंग सिस्टम की तरह से उन्होंने अपना एक तरीका अख्तियार किया था और उसका नतीजा यह हुआ कि लार्ज साइज सोसायटीज सारे हिन्दुस्तान में बनीं।

लेकिन विचारकों ने यह सोचा कि यह लार्ज साइज सोसाइटीज जिन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बनाने की बात कही है, जिनके आधार पर सारा कोआपरेटिव मूवमेन्ट देश का चल रहा है, वह चाहे जो कुछ हो लेकिन वह कोआपरेटिव मूवमेन्ट नहीं है, वह बैंकिंग सिस्टम हो सकता है। वह बैंकिंग सिस्टम के लिये तो एक आधार है लेकिन कोआपरेटिव मूवमेन्ट जो सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करे, इन्सट्रूमेन्ट हो सोशल चेंज के लिये, वह इस तरह लार्ज साइज सोसाइटीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

के जरिये नहीं हो सकता । इसलिये सन् ५८ के नवम्बर, में नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल इस नतीजे पर पहुंची कि तमाम गांव की एक सोसाइटी हो ताकि उनमें एक दूसरे के जानकार हों, एक दूसरे को समझ सकें और उनमें अपने आप चलने की सामर्थ्य हो । उसके बाद नागपुर में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें भी उन्होंने यही आधार लिया कि एक गांव की एक सोसाइटी हो । इसके बाद फायनल पालिसी ११ मई, ५९ को आई थी । इसी आधार पर इस प्रदेश में काम हुआ और वह था कि सर्विस कोआपरेटिव एक गांव की एक सोसाइटी हो । अगर गांव छोटा हो तो मिला दिये जायं । उनका प्रोडक्शन प्लान बने । जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा पहले कर्जा दिया जाता था हैसियत पर, पर अब कर्जा दिया जायगा प्रोडक्शन के बेसिस पर और यह हो सकता है कि हैसियत के हिसाब से यह उल्टा काम करे । इसलिये जिसकी हैसियत ज्यादा हो उसको कम मिले और जिसकी हैसियत कम हो उसे ज्यादा मिले । जिसके पास पैसा है वह अपनी सामर्थ्य से खेती कर सकता है इसलिये प्रोडक्शन प्लान बने और प्रोडक्शन लोनिंग हो और उसके लिये यह जरूरी है कि मार्केटिंग से उसका संबंध जोड़ा जाय ।

यह जो नई पालिसी डेवलपमेन्ट कौंसिल ने तय की थी उसको पूरा करने की गवर्नमेन्ट की ओर से कोशिश हुई और १० हजार से ज्यादा सर्विस कोआपरेटिव्ज बनीं जब कि सारे देश में २० हजार भी नहीं बन पाईं । इसमें एक चीज तो यह हुई मेरे खयाल से कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पहली पालिसी थी लार्ज साइज सोसाइटी की तथा आटोनामस एक ऐसी सोसाइटी की, जो अपना खर्चा स्वयं चला सकें । इनके बीच में जो संघर्ष हुआ तो रिजर्व बैंक के कुछ अफसरों ने उसे बड़े शक की निगाह से देखा और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भी नहीं माना कि इतनी जल्दी इतना काम हो सकता है । लेकिन उसमें एक बड़ी भारी गलतफहमी यह है कि लोग यह समझते हैं कि ओवरनाइट सर्विस कोआपरेटिव्स बन गयीं तो ऐसी बात नहीं है । हमने अप्रैल, १९५९ में एक बड़ा भारी कन्वेन्शन किया था । उसमें सारी चीजें अच्छी तरह से क्रश आउट कीं, समझी बूझीं और लेक्चर्स कराये । उसके बाद लगातार मई, जून, जुलाई से लेकर जब नवम्बर, ५९ में पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां आये उस वक्त तक यह लेक्चर होते रहे । तो एक दिन का काम नहीं है । इसलिये जो गलतफहमी है कि एक दिन में बोगस सोसाइटीज बना कर सर्विस कोआपरेटिव्ज बन गयीं, ऐसी बात नहीं है । लेकिन उन लोगों को जो पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया की राय थी, अब भी यह शक बना रहा कि ये सर्विस कोआपरेटिव्ज कामयाब हो सकती हैं या नहीं । लिहाजा यह कंट्रोवर्सी चलती रही और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा और खास कर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया की फाइनल रिपोर्ट जिसमें उन्होंने सर्विस कोआपरेटिव्ज की तारीफ की है और खास कर एम० आर० भिड़े, जो सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हैं, उनकी लीडरशिप में १२ जिलों के गांव-गांव में जाकर जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसको वे इस सदन के सामने रख दें ताकि लोग समझ सकें कि यहां का जो काम हुआ था वह कैसा हुआ था ।

मैं कह सकता हूं कि पंडित जवाहर लाल जी आये थे इसको इनागुरेट करने के लिये । यह हो सकता है कि बोगस सोसाइटीज रजिस्टर कर दी जायं, यह हो सकता है कि दस्तखत और अंगूठे फर्जी बना दिये जायं लेकिन यह कैसे पासिबिल है कि डेढ़ करोड़ से ज्यादा और १ करोड़ ८० हजार अब है, इतना शेयर मनी हो जाय और १०, २० रुपये से ज्यादा लिये न जायें और १० में कोई ५ देता है तो कोई ढाई देता है, यानी इतनी छोटी-छोटी रकमों को लेकर डेढ़, पौने दो करोड़ रुपया शेयर मनी इकट्ठा हो जाय यह बोगस कैसे हो सकता है ? फिर इसके बाद मैं यह निवेदन करूं कि इन सर्विस कोआपरेटिव्ज के जरिये, जो १० हजार के करीब थीं, ९ करोड़ रुपया ऐडवान्स हुआ और पूरे का पूरा रुपया वसूल हुआ और बहुत से जिलों में मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये से वसूल हुआ । उस वक्त चूंकि व्हीट कंट्रोल आर्डर था इसलिये सरकार जिस दाम पर खरीदती थी वह सस्ता था और बाजार का भाव मंहगा था । इसलिये मार्केटिंग सोसाइटीज में किसानों ने जो गल्ला बेचा वह उस सस्ते दाम पर बेचा और जो हायर मार्केट

प्राइस थी, जो उनको मिल सकती थी वह नहीं ली। लेकिन इसके बावजूद भी सेंट परसेंट वसूली मार्केटिंग सोसायटीज के जरिये हुई। मैं यह इसलिये कह रहा था कि इसके बारे में बड़ी गलतफहमी सिर्फ यहीं नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर में है। हमारा अन्दाज है कि भिंडे साहब जब आये तो पंडित जवाहर लाल जी की भी कुछ दिलचस्पी होगी। उन्होंने कहा होगा कि इसको जानना चाहिये। हमें उम्मीद है कि वह रिपोर्ट अगर पंडित जवाहर लाल जी के पास जायगी तो जो उन्होंने एक आइडियोलाजिकल सवाल उठाया था रिजर्व बैंक से अलग होकर, जो इंस्ट्रूमेन्ट फार सोशल चेन्जेज को बनाने की कोशिश की थी उसमें कामयाबी हुई। इसलिये मुझे खुशी हुई और इसीलिये मैं इसे बता रहा हूं।

इसमें बहुत-सी खराबियां हैं लेकिन उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत-सी खराबियां होती हैं, उनको दूर किया जाता है, उसका जवाब तो मिनिस्टर साहब देंगे। लेकिन यह जरूर है कि जो गरीब हैं, जो हैव नाट्स हैं उनको कैसे रुपया मिले, इसकी तरफ खास तवज्जह है और इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

राजा साहब ने एक बात और कही थी कि किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा है, यह कौन सी अच्छी बात है? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वह कर्जा बढ़ नहीं रहा है बल्कि पुराने साहूकारों का कर्जा न होकर अब कोआपरेटिव सोसायटीज का कर्जा हो रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक की जब रिपोर्ट आयी थी तो लोगों का यह अन्दाज था कि यू० पी० के किसानों को करीब १०० करोड़ रुपये की जरूरत है और उस वक्त ३-४ करोड़ उनको मिलता था। इसलिये ३ परसेंट या ४ परसेंट कोआपरेटिव मूवमेन्ट देता था। अब वह रकम ४० करोड़ से ज्यादा बढ़ गयी है, मेरा खयाल है कि करीब ४५ करोड़ होगी क्योंकि ३०-३२ करोड़ का हिसाब तो मंत्री जी ने दिया, उसके बाद बीज है जिसका हिसाब उसमें शामिल नहीं है, केन सोसायटीज और इंडस्ट्रियल सोसायटीज का उसमें शामिल नहीं है। तो जो १०० करोड़ की उनको जरूरत थी इसमें से ४० करोड़ उनको मिल रहा है। तो यह कोई नया कर्जा नहीं है। अब किसान साहूकारों से कर्जा न लेकर कोआपरेटिव मूवमेन्ट से कर्जा ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट कुछ साल पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। इसकी गिनती अच्छे प्रदेशों में नहीं थी। लेकिन आज बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारा प्रदेश पहले स्थान पर है। सर्विस कोआपरेटिव्ज में हम हिन्दुस्तान भर में सब से आगे हैं। प्रोडक्शन प्लान हम ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, अभी किसी ने सीखा नहीं है। जो फसल के लिये कर्जा दिया जाता है उसकी वसूली गल्ला बेच कर मार्केटिंग सोसाइटीज की मार्फत हो, यानी मार्केटिंग से जो लिंक किया गया है उसमें हमारा प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है और इतना काम और कहीं नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, मैं दिन भर इसी इन्तजार में रहा कि अपोजीशन से क्रिटिसिज्म हो और मैं उसका जवाब दूं। लेकिन न तो आइडिओलाजी के बेसिस पर और न डिटेल्स में कोई क्रिटिसिज्म हुआ जिसके जवाब देने की जरूरत हो। सीड के मामले में हम सबसे आगे हैं और हमारे यहां बीज बांटने का तरीका बहुत अच्छा है। जो ओवरड्यूज हैं वह पहले १६ परसेन्ट थे, अब केवल ६ परसेन्ट रह गये हैं और हम हिन्दुस्तान भर में प्राइमरी सोसाइटीज में रियलाइजेशन के मामले में सब से आगे हैं।

यह एक ही सूबा हमारे देश में है जो बगैर स्टेट की गारन्टी के रिजर्व बैंक से ११ करोड़ रुपया लोन लिये हुए हैं। बाकी प्रदेशों में लोन स्टेट गारन्टी पर रिजर्व बैंक से मिला है। इस मामले में भी हमारा कोआपरेटिव मूवमेन्ट सब से आगे है। केन कोआपरेटिव्ज बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। वेयर हाउसेज के मामले में भी हमारा सबसे अच्छा स्थान है। यू० पी० का कोआपरेटिव बैंक भी सबसे अच्छा है। यहां का प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन १३ करोड़ का बिजनेस करता है। फर्टिलाइजर्स के बांटने की व्यवस्था भी

[श्री मोहनलाल गौतम]

कोग्रापरेटिव फार्मों के द्वारा होती है और तकावी बन्द हो रही है तथा मैं यह कह सकता हूं कि पिछले ३–४ साल में जो तरक्की इसकी हुई है वह हिन्दुस्तान के किसी सूबे से कम नहीं है और हम सब से आगे हैं।

अब मैं दो तीन सजेशंस दूंगा। मेरी राय है कि कोग्रापरेटिव मूवमेंट जो तीन जगह बंटा हुआ है उसको एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिये। इस समय तीन रजिस्ट्रार काम करते हैं। एक तो रजिस्ट्रार कोग्रापरेटिव सोसाइटीज, दूसरा केन कमिश्नर और तीसरा डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज। ये तीनों एक जगह इकट्ठे होने चाहिये और एक रजिस्ट्रार होना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो एडीश्नल रजिस्ट्रार हो सकते हैं।

इसके साथ ही साथ यह भी है कि जो इन्डस्ट्रियल कोग्रापरेटिव बैंक है वह अलग से नहीं चल सकता है। रिजर्व बैंक इसको नहीं मानता कि वह दो बैंकों को कर्जा दे। दूसरी बात यह है कि अगर इंडस्ट्रियल कोग्रापरेटिव्ज के लिये अलग बैंक बनाया जायगा और कानपुर बैंक हो तो जो सोसाइटी चकोतरे में २५ मील दूर होगी और अगर वह कर्जा लेगी तो उसको बहुत मंहगी और परेशानी की बात होगी। इसलिये इंडस्ट्रियल कोग्रापरेटिव बैंक अलग से फंक्शन नहीं कर सकता है। उसको हर जिले में और हर गांव में ब्रांच होनी चाहिये। यह तभी हो सकता है कि जब यह गांव को भी कवर कर लेगा। मेरा खयाल यह है कि अभी दो-तीन हजार गांव ऐसे होंगे जहां हमारा कोग्रापरेटिव मूवमेंट नहीं पहुंचा है। इसके बाद भी यह जब सारे प्रदेश में फैल जायगा तब भी दो संस्थाओं का कर्जा बरदाश्त किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिये एक ही बैंक होना चाहिये। इसमें एक खतरा है वह यह है कि कोग्रापरेटिव मूवमेन्ट का बायस किसानों का है तो इसके लिये इंडस्ट्रीज को लोन कैसे मिलेगा? इसके लिये रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बैंक हमारे यहां अलग से नहीं चल सकता है।

आडिट फाइनेंस डिपार्टमेन्ट के पास है। उसकी हालत अच्छी नहीं है। बहुत देर हो जाती है। इसलिये जो खराबियां और बेईमानियां होती हैं वह बहुत देर में पकड़ी जाती हैं। अगर इसमें जल्दी हो तो जो शिकायत माननीय सदस्यों को है वह दूर हो जायगी। एक सुझाव यह है कि फूड डिपार्टमेन्ट वेयर हाउसेज में अपना गल्ला नहीं रखता है और यह कन्फ्यूजिक्शन है जो गवर्नमेन्ट को देखना चाहिये। उसमें सिवा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के और यू० पी० गवर्नमेंट के कोई शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का गल्ला वेयर हाउसेज में नहीं है। यह देखने की जरूरत है।

लेबर कोग्रापरेटिव्ज की बाबत मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें जब तक इन्जीनियर्स पर जिम्मेदारी नहीं डाली जायगी, तब तक यह नहीं चलेंगे।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं क्योंकि कोग्रापरेटिव कामनवेल्थ हम लाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा मिनिस्टर साहब से कि हर मुहकमे में कोग्रापरेटिव के काम को आगे बढ़ाया जाय। मैं देखता हूं कि बहुत-सी जगहों पर दिक्कतें पैदा होती हैं। डिपार्टमेंटल जेलसीज और कन्फ्लिक्टर्सीज इसमें रुकावट डालती हैं। इसलिये इसको दूर किया जाय।

एक शब्द और कहना है और वह यह है कि पहले कोग्रापरेटिव सोसाइटीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगा था। हमने कोशिश की और वह हट गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय फिर कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग सोसाइटीज के ऊपर सेल्स टैक्स न लगे।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वास्तव में सरकार द्वारा जो यह पुस्तक बांटी गई है, इसको देखने से पता लगता है कि सहकारिता का प्रवेश प्रायः सभी

क्षेत्रों में दिखलाई देता है। इसमें शक नहीं कि सहकारिता बहुत उत्तम पद्धति है, यदि इसको ठीक प्रकार से चलाया जाय। इसमें अपने देश की उन्नति के लिये बहुत कुछ विस्तारपूर्वक कार्य किया जा सकता है। आज सहकारी समितियों को चलाने के लिये जो कर्जा दिया जाता है उससे काम करने वालों को बहुत शक्ति प्राप्त हो गई है और उसमें सुविधा भी प्रदान की गई है। सहकारिता के होने से ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कुछ स्थिति सुधरने लगी है।

वास्तव में रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में जब हम सहकारिता को देखते हैं तो उन्नति ही उन्नति दिखाई देती है। लेकिन यदि ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त की जाय तो बहुत कम सोसाइटीज ऐसी हैं जो सुचारु रूप से चल रही हैं। कुछ लोगों ने सोसाइटी तो बना ली हैं लेकिन काम करने का ढंग इस प्रकार का है कि वह मिल कर काम नहीं करते और उनके द्वारा जो उत्पादन होता है उसको भी अलग-अलग बांट लेते हैं। इस प्रकार से जो मुनाफा उनके काम करने से पैदा होता है वह सहकारी समिति में नहीं आता। उन्होंने केवल दस रुपये या बीस रुपये का शेयर निश्चित कर के सोसाइटी का रूप दे रखा है। मैं इन्डस्ट्रियल सोसाइटी का जिक्र कर रहा हूं। कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इस प्रकार से चल रही हैं। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज को समझा है कि वास्तव में सहकारी समिति के आधार पर अपने रोजगार को बढ़ा लेंगे, जैसे सहकारी ईंटों के भट्ठे हैं। ईंटों का भट्ठा उनको दिया गया है, जो पूंजी लगाकर उसको चलाते हैं। वास्तव में योजना के अन्तर्गत देखा जाय तो कोई भी योजना गांव के अन्दर रहने वालों के लिये नहीं है। ईंट के भट्ठों को चलाने वाले हैं जो पैसे वाले हैं वह अपने शेयर निश्चित कर लेते हैं लेकिन भट्ठों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका कोई शेयर नहीं होता। उनका भी शेयर होना चाहिये जिससे उसमें उनका लगाव जुड़ सके। वह भी लाभ उठा सकें।

पिछड़े क्षेत्रों में जैसे अफजलगढ़ में, गंगा खादर में, हस्तिनापुर में पुनर्वास का काम किया गया। बिजनौर में गंगा खादर में बंगाल से आये हुये लोगों को बसाया गया। अफजलगढ़-कादराबाद कालोनी में मकान तो बना दिये गये,छोटे-छोटे मकान हैं लेकिन उनका किराया वह नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है। यह जिक्र आया कि १९५९ में वहां पर गन्ने की एक क्रशर मिल लगाई गई। वह दो दिन चली और उसमें दो हजार का नुकसान हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि लोगों का ऐसा खयाल है कि आप १० मिनट में २० मिनट का भाषण दे रहे हैं। इसलिये जरा स्पीड स्लो कर दीजिये क्योंकि रिपोर्टरों को लिखना भी पड़ता है।

श्री शिवराम—सरकारी सूचना के आधार पर ११ वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटियां चालू हैं लेकिन फिर भी उनकी आवश्यकाता पूरी नहीं हो पाती क्योंकि कर्जा वगैरह ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता और अपना काम वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाते।

इसी तरह से कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहां जंगल हैं जिनमें कि भावड़ एक घास होती है। वहां ऐसे लोगों को कुछ सस्ते ढंग पर रोजगार दिलाया जा सकता है जो सहकारी समितियों के आधार पर बान आदि बट कर अपनी जीविका चला सकते हैं।

इसी प्रकार से गांवों के अन्दर रहने वाले जो मजदूर हैं, जहां चकबन्दी हो रही है वहां चकबन्दी से उनको कुछ ऐसी भूमि प्राप्त होनी चाहिये जिसमें कि थोड़ा चारा वगैरह बोकर वह अपने पशु गाय, भैंस आदि पाल सकें और दूध आदि का रोजगार कर सकें। आज तो गांवों में ऐसी हालत है कि दवा के लिये भी दूध नहीं मिलता है। तो इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे कि बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। आखिर गरीब मजदूरों और बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिये ही तो आपने सहकारिता

[श्री शिवराम]

की योजना अपनाई है, जिससे मुल्क का उत्पादन बढ़े और बेरोजगारों की समस्या हल हो। लेकिन उसको हल करने के लिये इस सहकारिता में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। आपने इतना तो जरूर किया है कि गरीब मजदूर कर्जा ले सकते हैं। लेकिन उसको वह चुकायेंगे किस तरह से? उसके लिये कोई जरिया आपने नहीं पैदा किया। तो कम से कम इस बात पर तो जरूर ही विचार किया जाना चाहिये और उसका कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिये। चाहे उसके लिये कोआपरेटिव भट्ठे ही चलवाने का प्रबन्ध कर दिया जाय लेकिन कोआपरेटिव भट्ठों में भी उनको ठीक तरह से कोयला, लकड़ी वगैरह नहीं मिल पाती है। वह परेशान हो जाते हैं और कोयला न मिलने पर लकड़ी से भट्ठे को चलाते हैं। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी तरह से मजदूरों के लिये कोआपरेटिव बेसिस पर और बहुत से कार्य चालू किये जा सकते हैं।

सरकार ने इसमें मकान बनवाने की बात रखी है। गांवों में तो बहुत सारे काम बहुधा इस प्रकार के चलते रहते हैं जिसमें वह एक दूसरे का मकान बनवा देते हैं, एक दूसरे का खेत जोतवा देते हैं, इस तरह से कोआपरेटिव के आधार पर गांवों में अनेक काम होते रहते हैं। उनको बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कर्जा देने की योजना बनाई है, उससे इसमें और प्रगति हो जायगी। तो कम से कम उनके मकान इस तरह से तो जरूर ही बन जाने चाहिये और उसके लिये उनको सस्ते दर पर रुपया मिलना चाहिये, मजदूरी तो उसमें उनकी अपनी होती ही है, केवल थोड़े से रुपयों की जरूरत होती है।

यह रुपया जो उनको मिलता है उसके बीच में सौदेबाज लोग उनसे सौदा कर लेते हैं कि दस या पांच प्रतिशत तुम हमें दो तो तुम्हें हम रुपया दिलवा दें। इस प्रकार की जो सौदेबाजी और भाड़ेबाजी चलती है वह नहीं चलनी चाहिये और डाइरेक्टर वगैरह से उन्हें सीधे रुपया मिलने का इन्तजाम होना चाहिये।

इसी प्रकार से गन्ने की सोसाइटीज होती हैं। उसमें जो बड़े-बड़े काश्तकार होते हैं उनके पास तो सोसाइटी से पास आता रहता है लेकिन जिसके दो-चार बीघे खेत गन्ने के होते हैं, उसका गन्ना खड़ा सूखता रहता है। सहकारी समिति के लिये जहां कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सरकार के पूरे हाथ में है, वहां ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि अगर ऐसी बात है तो सरकार इस बात को टाल क्यों देती है कि डाइरेक्टर लोग जानें। अभी अपने इलाके में बहुत काफी गन्ना खड़ा है। जो रामगंगा, खो नदी और गंगा के खादर इलाके का गन्ना है वह मिलों तक नहीं पहुंच पाया है। उसके पेरे जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। हालांकि उसका सम्बन्ध गन्ना सहकारी समितियों से है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों का गन्ना ठीक समय पर मिल में पहुंच जाय, इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे कि काश्तकार दूसरी फसल के लिये अपने खेत को जोत बो सकें।

बीज भंडारों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि उनमें अच्छे बीज नहीं रखे जा सकते। वहां से बीज अक्सर ठीक समय पर नहीं मिलता। बाद में मिलता है, और कभी-कभी तो ऐसा मिलता है जो उगता नहीं। ५८ में तो ऐसा बीज दिया गया जो उगा नहीं और वह भी समय के बाद दिया गया। तो जहां इस प्रकार का बीज दिया जाता है कि जो उग न सके, उससे कोई लाभ नहीं होता और दूसरी परेशानी उसमें यह भी दिखलाई देती है कि समय पर अगर काश्तकार को बीज नहीं दिया गया तो कैसे वह उसको बोयेगा।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि भूतपूर्व मंत्री जी यहां नहीं हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कुछ आलोचना नहीं हुई सहकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन की, वह मेरी बात भी सुन लेते। मैं कट मोशन का समर्थन तो करता हूं लेकिन कट मोशन मूव करने वाले हमारे जो राजा साहब हैं उनके सारे सिद्धांतों की मुखालिफत करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं यहां हूं और आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, हमारे प्रदेश में और हमारे पूरे देश में जो पार्टी आज पावर में है, उसने कुछ दिन पहले इस बात की घोषणा की थी कि इस देश में सहकारी आन्दोलन चलेगा। बड़ी प्रसन्नता हुई मान्यवर, इस बात को सुनकर क्योंकि कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति यह सुनकर बड़ा सन्तुष्ट होगा कि इससे देश की प्रगति होगी। मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक दृष्टि से राजा साहब इसके खिलाफ हैं और उनका इसके खिलाफ न होना ही आश्चर्यजनक होता। सारी दुनिया के इतिहास में स्थिर स्वार्थ वाले व्यक्ति, वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग और समाज जो रहा है उसने बराबर किसी प्रगतिशील आन्दोलन और तत्व की खिलाफत ही की है। राजा साहब उसके एक प्रतीक हैं और मैं समझता हूं कि वह मुखालिफत न करें तो बहुत ही आश्चर्य की बात है।

सहकारिता आन्दोलन के लिये यह बदकिस्मती की बात है कि राजा साहब इसके मुखालिफ हैं, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिस पार्टी ने इसे स्वीकार किया है उसने बहुत बड़ा धक्का उसको पहुंचाया है। अभी हमारे मन्त्री जी बोल रहे थे। कभी वे सहकारी मन्त्री थे। मैं कहना चाहता हूं कि उनके सहकारी मन्त्रित्वकाल में जो उनका सहकारी विभाग था उसने लोगों के अन्दर जो सहकारिता के प्रति भाव था उसके बजाय दुर्भाव पैदा किया, घृणा और पार्टीबाजी पैदा की। यूं तो हर मामले में पार्टीबाजी शासन में नहीं होनी चाहिये, लेकिन जहां सहकारिता की बात आती है, उसमें अगर पार्टी बाजी हो, तो मेरी समझ में सहकारिता के जो मूल तत्व हैं वे नष्ट हो जायंगे। अभी अपने भाषण में हमारे भूत पूर्व मन्त्री जी ने कुछ सुझाव भी दिये। मुझे इस कदर अफसोस इसलिये है कि मन्त्री जी को, ये सुझाव तब याद आये जब वे शासन में नहीं हैं। अगर ये बातें उनके दिमाग में दो, चार महीने पहले आई होतीं तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का भला हुआ होता लेकिन अपने सिंहासन से हटने के बाद ही यह सुझाव उनके दिमाग में आये।

मैं सैद्धांतिक विवेचन करने का अवसर तो इस समय नहीं पाता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्पादन और विनिमय के साधनों पर अगर सामाजिक अधिकार हो तो इस समाज का आर्थिक ढांचा कुछ प्रगति की ओर जायगा। साधन हों हम लोगों के लिये, गरीब लोगों के लिये, तो इस प्रकार का सहकारी आन्दोलन लाभप्रद होगा। एक बात और है। सहकारी खेती और सामूहिक खेती में बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है। रूस की सामूहिक खेती और प्रजातांत्रिक देशों की सहकारी खेती को वह लोग एक में मिला देना चाहते हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों को कोई भ्रम नहीं है कि ये दो अलग-अलग चीजें हैं। रूस में जो होता है वह शक्ति के बल पर होता है और प्रजातांत्रिक देशों में वही काम लोगों के सद्भाव पर होता है। इस भ्रम को हटना चाहिये।

मान्यवर, इस प्रदेश का सहकारी विभाग सरकारी विभाग हो गया है। उसमें सहकारीपन न होकर सरकारीपन आ गया है। इसका उदाहरण देना मैं अनुचित नहीं समझता। आज से कुछ दिन पहले, हम लोग सब भुक्तभोगी हैं और उसके लिये विधान सभा में सवाल भी आया था, देवरिया में डाइरेक्टरों का चुनाव होने वाला था कोआपरेटिव बैंक के। माननीय गौतम जी को पता चला कि दो वोटों से उनका कांग्रेस का कन्डीडेट हार रहा है उन्होंने जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पहले तीन आदमियों को नामिनेट कर दिया और साथ ही जिस दिन खबर जाती है उसी दिन हमारे नामिनेटेड मित्र भी जाते हैं और एक वोट से वह जीत जाते हैं।

[श्री गौरीशंकर राय]

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

गोरखपुर में कोआपरेटिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, मन्त्री जी ने उनको स्वीकार किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन कोआपरेटिव आन्दोलन की बदकिस्मती से वे उस जमात के लोग हैं, इसलिये उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि राजा साहब से ज्यादा सहकारी आन्दोलन के विरोध में इस सरकार का अभियान हुआ है और इसकी पार्टीबाजी से गांव के लोग समझते हैं कि सहकारी आन्दोलन में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ करता है और यही हुआ करेगा। अब हमने यह महसूस किया है कि सहकारिता में सब से कम पार्टीबाजी होनी चाहिये, जबकि वहां सब से ज्यादा है। एक-एक जिला सेक्रेटरी हर जिले में माननीय मन्त्री जी ने एप्वाइन्ट कर दिया। मैं जिस जिले से आता हूं उसमें जिला सहकारी बैंक का सालाना जलसा तीन बार हुआ और तीनों बार मन्त्री जी ने न मालूम किस तरह से उसको टलवा दिया। आज नहीं होगा, १३ दिन बाद होगा। जब वे लोग बहुमत में होंगे तब होगा। लेकिन जितना उसको टाला, वह अल्पमत और अधिक अल्पमत में बदलता चला गया और जिन लोगों से उनको हमदर्दी थी वे, चुने नहीं जा सके।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां सहकारी आन्दोलन का विरोध देश के स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग कर रहे हैं और उसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं वहां इस देश में उसके सब से बड़े विरोधी लोग उधर के बैठने वाले ही हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन में इसको स्वीकार तो कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी नीति केवल स्लोगन मात्र बन कर रह गयी है। माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं सहकारी कृषि के बारे में एक पुस्तिका लिखी है, किन्तु आज वे भी इस सरकार की केबिनेट के मंत्री हैं। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि बहुमत उनकी पार्टी का भी सहकारी कृषि के पक्ष में नहीं है और वे इस राय के हैं कि सहकारिता से नुकसान ही होने वाला है। यहां बैठकर वे लोग उन बातों को नहीं कहते हैं, मगर जब व्यक्तिगत रूप से बातचीत होती है तो वे उसका विरोध करते हैं। तो जब किसी पार्टी का अपने प्रोग्राम के ऊपर अपने सदस्यों पर कोई दबाव नहीं होगा तब तक सहकारी आन्दोलन को बल नहीं मिलेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी सरकार शासन में है वह इस बात का प्रचार करे कि सहकारी आन्दोलन क्या चीज है? सार्वजनिक सभाओं में जब माननीय मंत्री जाते हैं और यह देखते हैं कि वहां के लोग सहकारिता के पक्ष में नहीं हैं तो वे जहां जो भाषण देते हैं उसमें वे उसका समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि हम तो सर्विस कोआपरेटिव की बात करते हैं, सहकारी खेती के समर्थक नहीं हैं और यह तो बाद में आयेगी, उसको तो जवाहरलाल जी कहते हैं, वह अभी कहां आने वाली है। तो इस तरह की बातें उधर के लोग ही करते हैं। इन बातों से जनता का विश्वास सहकारिता की तरफ से उठता जा रहा है।

श्रीमन्, आज देश का एक भी नागरिक जिस तरह से स्टेट ट्रेडिंग को नहीं जानता, उसी तरह से सहकारिता को भी नहीं जानता है। आज सहकारी खेती के बारे में सारे देश में भ्रम फैला हुआ है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस भ्रम को दूर करे जो जनता में आज फैला हुआ है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जनता को यह बताया जाय कि सहकारी खेती है क्या चीज? सहकारिता है क्या चीज? उसका पूरा खाका, जिसके लिये माननीय मंत्री जी आज हमसे कहना चाहते हैं, सदन के सामने रखें और बतायें कि उनकी इस संबंध में क्या नीति है?

मान्यवर, जब मंत्री जी ने भाषण दिया तो पिछले ४ सालों के आंकड़े पढ़कर सुना दिये। आपने १० लाख कोआपरेटिव सोसाइटियों को जवाहरलाल जी को समर्पित कर दिया, पर इनका क्या काम है यह तो आप बतायें? जनता को कुछ समझायें तो। अगर आप यह चाहते हैं कि आपका सहकारिता आन्दोलन सफल हो तो आप ऐसा प्रयास करें कि जनता इनके महत्व को समझे।

आपने कहा इतनी सोसाइटियां बनीं, मगर वह कहां बनीं ? केवल आपके भाषण देने से ही सहकारी आन्दोलन सफल नहीं होगा। आप सब को एक होकर उसके प्रचार के लिये प्रयत्न करना होगा। पार्टी के एक-एक व्यक्ति को उससे सहमति प्रदान करनी होगी और अगर कोई भी सदस्य उससे असहमति प्रकट करे तो उसको उस पार्टी को छोड़ देना चाहिये। हमारी पार्टी के अगर किसी भी सदस्य का सहकारिता में विश्वास नहीं है तो वह पार्टी के साथ विश्वासघात करता है। अगर वह पार्टी में रहता है तो उसे पार्टी की राय से सहमति रखनी होगी और उसकी राय पर चलना होगा। आज आप सबको, सारे देश को, गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। सहकारिता आन्दोलन स्वयं में समाजवाद नहीं है, लेकिन उत्पादन और विनिमय के सिद्धान्तों पर सामाजिक अधिकारों से समाज समाजवाद की ओर बढ़ता है। इसी से देश का कल्याण होता है और इसी से प्रदेश आगे बढ़ता है।

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, मैंने कहा था कि ३ आदमी यहां से नामजद हुए। कायदा यह है कि जो कोआपरेटिव बैंक से सरकार शेयर खरीदती है उसके लिये वह ३ आदमियों को नामजद करती है। वह तीन नामजद कर सकते हैं। नामजद होते रहते हैं, किसी वक्त किसी को हो गई, कोई मीटिंग हो गई, यह तो सब है लेकिन वह अधिकार गवर्नमेंट का चूंकि वह एक दो तीन लाख के शेयर खरीदता है इसलिये तीन आदमियों को नामजद करने का और बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेने का जाता नहीं और वह कोई गलत काम नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने अधिकार को चैलेन्ज नहीं किया। मैंने कहा था कि गवर्नमेन्ट की तरफ से क्या कभी-कभी नामिनेशन नहीं हुये ? एक दिन पहले पार्टी वालों ने रिक्वेस्ट की कि हमारा अल्पमत हो रहा है तो नामिनेशन भी हुये, यहीं से, सीधे-सीधे उनको भेज दिया गया वोट जीतने के लिये, और जिताने के लिये कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में थे और कुछ विधान सभा में मौजूद थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है इसलिये संक्षेप में ही आपके समक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक बड़ा भारी भ्रम यह फैल गया है कि हम सहकार का अर्थ ही ठिकाने से नहीं समझ पा रहे हैं। श्रीमन, सहकार और सहयोग दो चीजें हैं। सहकार अलग चीज है और सहयोग अलग चीज है। सहयोग वह है जो स्वेच्छा से पैदा होता है एक दूसरे की मदद करने के लिये। मानव भावना जागृत होने से हृदय के अन्दर जो भावना पैदा होती है उस भावना से जो काम लिया जाता है वह सहयोग है। और सहकार वह है जो सुझाव या दबाव से कराया जाय। श्रीमन्, सहयोग हमारी भारतीय भावना है। आप भारतीय संगीत को देखें। उस में अलग-अलग गाने वाले और बजाने वाले हैं, उनके अलग-अलग स्वर हैं। अगर उनको अलग-अलग बजाया जाय तो अलग अलग राग और अलग-अलग ढपली हो जाय लेकिन वह सहयोग की भावना है जिससे उनको एक स्वर में मिलाया जाता है। श्रीमन् आप मर्मज्ञ हैं आप जानते होंगे कि भारतीय संगीत में जितने भी बाजे होते हैं उनको एक स्वर में मिलाया जाता है और मिला कर एक साथ बजाया जाता है, वह सहयोग हुआ और सहकार हुआ पाश्चात्य भावना। वहां पर श्रीमन्, क्लेरनेट तार सप्तक के मध्यम स्वर में बोलता है तो भोंपू वाला मंद्र सप्तक के रिखब स्वर में बोलता है लेकिन बैन्ड मास्टर लकड़ी लेकर इशारे से एक रास्ते पर हांकता है। वह है सहकार। यहां पर श्रीमन्, सहकार और सहयोग दोनों को मिलाकर एक विकृत शक्ल उपस्थित होती है जिसके कारण हम असलियत पर नहीं पहुंच पाते।

अभी हमारे गौरीशंकर राय जी ने एक विचारधारा सामने रखी और यह कहा कि कुछ प्रतिक्रियावादी लोग सहकारी आन्दोलन का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सहयोग के विरोधी नहीं हैं, हम देशोन्नति के विरुद्ध नहीं हैं, हम गरीबी दूर करने के

[कुंवर श्रीपालसिंह]

विरुद्ध नहीं है लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि एक गरीब को एक छोटे चंगुल से निकालकर बड़े चंगुल में फंसाया जाय । अभी भूतपूर्व मंत्री जी ने कहा कि जो कर्जदार हो गये उनके ऊपर कर्जा कहीं अलग से नहीं आया बल्कि साहूकार के कर्जे के स्थान पर कोआपरेटिव का कर्जा हो गया। श्रीमन् ,यह तो वैसे ही हुआ जैसे कि एक मरीज था, निमोनिया उसे हो गया था, डाक्टर साहब ने उसका इलाज किया जिससे उसका निमोनिया तो ठीक हो गया लेकिन उसको थाइसिस पकड़वा दी । तो सहकार और सहयोग, इन दो चीजों के फर्क को हम नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिये निमोनिया के स्थान पर थाइसिस पैदा कर रहे हैं ।

श्रीमन् ,समाजवादी समाज की विचारधारा के जितने लोग और पार्टियां हैं वह पहले अपने में सहयोग पैदा करें। इस सहकारिता को पी० एस० पी० के भाई भी मानते हैं, कांग्रेस, एस० पी० भी मानती है, कम्युनिस्ट भी मानते हैं लेकिन वह चारों चार तरफ अलग-अलग चल रहे हैं । पहले वह अपने सबको इकट्ठा करके सहकारिता दिखलावें फिर दूसरों को सहकारिता का पाठ पढ़ावें ।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन् ,मैं अनुरोध करूंगा कि समय ५ मिनट बढ़ा दिया जाय ताकि मुझे १५ मिनट मिल जायं ।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं होगा, आपको १० मिनट ही मिलेंगे ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं अपने सब साथियों का आभारी हूं, क्योंकि सदन के कोने-कोने से मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन हुआ। सब लोगों ने एक स्वर से इस बात को माना कि सहकारिता में जो "सरकारिता" आ रही है यह दूर होनी चाहिए और यह वास्तव में सत्य है ।

भ्रष्टाचार के बारे में भी लोगों ने कहा । केवल एक मतभेद थोड़ा-सा जो यहां उभर गया वह सहकारी खेती के बारे में है । जैसी कि आजकल की भावना है, हमारे कुछ प्रगतिशील भाइयों ने इस बात को कहा कि सहकारिता ही समाजवाद की ओर हमें ले जा रही है और उसके बाद में इसको सफल बनाना आवश्यक है । यह एक चीज ऐसी है जिससे हम लोगों को भ्रम है । जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, जैसा हमारे साथी ने अभी कहा कि हम लोगों का पूरा सहयोग उसके साथ है । हम चाहते हैं कि हो । जहां तक सेवा सहकारिता की भावना है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कायम रहे, उसकी स्वतंत्रता कायम रहे और निजी संपत्ति कायम रहे, वहां तक हम सहकारिता से सहयोग रखते हैं । लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जब मैं इस पुस्तक में देखता हूं, यह लिखा है कि सेवा सहकारिता, कृषि की बेटर फार्मिंग सोसाइटीज तो नहीं चलायी जायंगी, क्योंकि सरकार की नीति बदल गयी है, इससे हमारे भ्रमों में और वृद्धि हो रही है ।

हमारे साथी ने कहा कि राजा साहब जो कहते हैं, उसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं तो उनकी नजर में रिएक्शनरी हूं । लेकिन अब मैं चरणसिंह जी के शब्दों को कहना चाहता हूं । उन्होंने लिखा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग न कभी सफल हुई है, न हो सकती है । उसके अलावा एक इनफार्मेशन ब्यूरो से किताब निकली है, जिसका नाम है "उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था में क्रांति" । उसमें साफ लिखा है कि—"सहयोगात्मक खेती का प्रयोग विश्व में कहीं भी सफल नहीं हुआ और वर्तमान परिस्थितियों में तो हमारे देश में यह निश्चय ही हानिकारक सिद्ध होगा" । यह किताब चौधरी चरणसिंह के मंत्री काल में सरकार के प्रकाशन विभाग से निकली है । जो सज्जन प्रगतिशीलता की बातें करते हैं कि और देशों में क्या हो रहा है, मैं उनका ध्यान "सन डे स्टैंडर्ड" जो १२ मार्च का है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें बड़े बोल्ड हेड लाइन्स में लिखा है—"Red China relaxes rigid commune rules" सहकारिता की बरबादी तो वहीं से होती है जब हम देखते हैं कि किसान का इनिशिएटिव कम होता है । चरण सिंह जी ने लिखा है, :—

"To call an Agricultural Producers' Co-operative or the so called Co-operative Farm as distinguished from a collective farm, a Co-operative enterprize will be a misnomer."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे कहते हैं—

"In a Co-operative Farm the identity of both the farmer and the labourer disappears as completely as it does in a Collective Farm."

कहने का मतलब यह है कि यह उस दिशा में ले जा रहे हैं। जो सहकारिता का फार्म है वह समाजवाद का कैसे हो सकता है, यह तो कांग्रेसी समाजवाद है। आज हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस सरकार में स्टेटिज्म कायम करने की प्रवृत्ति काम कर रही है, उसमें कैपिटलिज्म भी शामिल है। ये हमेशा कुछ पूंजीपतियों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं अपने पोलिटिकल एंड को पूरा करने के लिए। उसमें कम्युनिज्म भी शामिल है, जिस प्रकार से वह सारी सत्ता, जो समाज की है, उसको अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं। जब हम इनको उस दिशा में जाते हुए देखते हैं तो विरोध करते हैं।

आज वेस्टेड इंटरेस्ट हमें कहा जा रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि आज कोई सेवा जनता की और किसानों की करना उनका ध्येय नहीं है। आज वह चाहते हैं कि किसान को घेर-घार कर उसका टेंटुआ अपने हाथ में पकड़ लें। आज वह किसान को एक्सप्लायट करना चाहते हैं, उसकी अज्ञानता और अकर्मण्यता का फायदा उठाना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी तो यही कर ही रही है, पी० एस० पी० भी यही कर रही है। पी० एस० पी० जानती है कि कांग्रेस में दम नहीं है, वह एक व्यक्ति के ऊपर चल रही है। उनको उमंग हो रही है कि मुमकिन है कांग्रेस बैठ जाय तो राज-सत्ता अपने हाथ में ले लें और जो स्टेटिज्म कांग्रेस कायम करने जा रही है, उसमें हाथ बटाएं। यह जो स्वेच्छा की नीति चल रही है कोआपरेटिव फार्मिंग की, मैं इस सरकार की नीति में चाइना और रूस की झलक देख रहा हूं। चारों तरफ से किसान को घेर कर मजबूर किया जा रहा है। आज उसकी जमीन कर्ज में बन्धक हो जाती है। उसका फार्म बिक कर कोआपरेटिव में शामिल हो जाता है। इस किताब में जो कुछ चौधरी चरणसिंह जी ने लिखा है, मैं उसे पढ़ूंगा तो नहीं चूंकि समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन उन्होंने सहकारी खेती का साफ-साफ विरोध किया है और वह मंत्री बनाये गये हैं इस किताब को लिखने के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि इस पालिसी पर सरकार और कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से विचार करेगी और प्रदेश के किसानों को सही रास्ते पर ले जाने की वह कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज कोआपरेटिव फार्मिंग की रचना हो रही है, उससे हमारा विरोध है। जैसा हमारे भूतपूर्व सहकारी मंत्री ने जनरल बजट की डिबेट के समय कहा था, आज देहात में एक व्यक्ति की आमदनी ५० रुपये माहवार से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, तो कयामत तक नहीं बढ़ सकती है।

आज देहात में एक किसान की भूमि बिना मुआवजा दिये हुए, चाहे १० या २० रुपये ही फी एकड़ मुआवजा दिया जाय, वहां के किसानों की भूमि ली जा सकती है और उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं है। उसके विपरीत अगर किसी पूंजीपति की, शहरवाले की, एक कोठरी भी सरकार लेना चाहती है तो उसे पूरा दाम देना होगा और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह अगर उससे सन्तुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हमारा ७५ फीसदी देहात का आदमी डिपेंड करता है खेती पर और जो बिल भूतपूर्व मंत्री जी ने पेश किया था उसके अन्दर है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर कोई मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं होगा। यह वैसे ही हुआ, श्रीमन्, जैसे कि मनु भगवान ने शूद्रों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया था कि चूंकि तुम शूद्र हो इसलिये तुम्हारे कुछ अधिकार नहीं हैं, वैसे ही आज यह नेहरू जी की सरकार कर रही है कि देहात के रहने वाले वे अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो शहर के रहने वाले कर सकते हैं। चारों ओर से यह सरकार किसानों को घेर रही है और कहती है कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग में जबरदस्ती नहीं करेंगे। यह वैसे ही हुआ जैसे कि एक जहर का प्याला सामने रख दिया जाय और मैं कहूं कि यह प्याला मैं तुमको जबरदस्ती नहीं पिलाऊंगा मगर तुमको पिलाने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य है पिलाने का, मैं पिलाना चाहता हूं। तो उसे आप अमृत कहेंगे, श्रीमन्, या जहर कहेंगे? यह उनकी भूल है। 'क्यों न मर जावें इन भोली अदाओं पे गरीब, कत्ल करते हैं मगर हाथ में शमशीर नहीं'।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

यह सरकार ठीक ऐसा ही कर रही है। मैं सहकारिता का विरोध नहीं कर रहा हूं मगर जिस तरह की सहकारिता, यह सरकार चलाना चाहती है, उससे मुझे विरोध है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन का हर एक व्यक्ति उसका विरोध करेगा।

श्री मंगला प्रसाद---राजा साहब की पुरजोर तक़रीर सुनकर मुझे पुराने दिन याद आये। एक जमाना था आज से ४० वर्ष पहले जब अवध के इलाके में मुझे काम करने का मौक़ा मिला। उस समय मैं जानता हूं कि ३७ तरह के टैक्स लिये जाते थे और अगर किसान के पास १० रुपये भी बच रहते थे तो वे भी वसूल कर लिये जाते थे। वह आज ऐसी स्पीच दें, यह खुशी की बात है कि वह सहकारिता में विश्वास रखते हैं। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि मैं उनसे कम देहात का आदमी नहीं हूं। यद्यपि मैं उनकी तरह से बड़ा फार्म तो नहीं रखता हूं लेकिन ५, ७ बीघे वाला आदमी जरूर हूं। हजारों बीघे वाला आदमी नहीं हूं। इसलिये, साथियो, मेरा आपसे निवेदन है (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ़ करेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि उनकी उस पुरजोश तक़रीर में न आ जावें और जो काम सहकारिता के ढंग पर चलाया जा रहा है, उसे काफी मदद करके आगे बढ़ाने की बात है। यदि एक जगह, दो जगह, दस जगह या बीस जगह हमें कामयाबी नहीं मिली है तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम हर जगह नाकामयाब रहे हैं। मैंने घूमकर देखा है और राजा साहब भी यदि घूमकर देखें तो उनको वैसी ही इसमें लोगों की अच्छी हालत मिलेगी जैसी कि वह कहते हैं उनकी रही है और सहकारिता की खेती को वह देखेंगे तो अवश्य ही उनकी आंखें खुलेंगी और वे अपनी राय को बदल देंगे।

आज हमारे देश में अलग-अलग काम करने की प्रवृत्ति पायी जाती है, मिलजुल कर काम करने का तरीका नहीं है। लेकिन आज हमें मिलजुल कर काम करने का तरीका अख्तियार करना है। यही वजह रही कि थोड़े से आदमियों ने ही बाहर से आकर हमें गुलाम बना दिया। हमें इस तरह से काम करना चाहिये जिससे आम जनता में शक्ति आये, आम जनता में उत्साह हो और आम जनता तरक्की करे और वह सहकारिता के जरिये से मुमकिन है, क्योंकि जो ये बड़े-बड़े कारखाने और मिल वगैरा हैं उनमें चन्द आदमियों को ही फायदा होता है, चन्द आदमियों को ही मजदूरी मिलती है लेकिन सहकारिता के जरिये से गांवों में उद्योग-धंधे चलेंगे, खेती होगी, पैदावार बढ़ायी जायगी और वह सारा रुपया आम जनता में बंट जायगा और इतना फर्क रुपये का होने वाला नहीं है जो आज महाजन और काश्तकार में है या बड़े और छोटे काश्तकार में है। मैं आशा करता हूं कि जो लोग नेता हैं, चाहे वे किसी दल के क्यों न हों, वे अगर इस काम में लगन से लग जांय, मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कोई वजह नहीं है कि सहकारिता हर क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में भी कामयाब न हो।

रिजर्व बैंक की बात कही गयी। उसके बारे में मैं सदन को बता देना चाहता हूं। उस सिलसिले में रिजर्व बैंक की जो चिट्ठी हमारे पास आयी है, वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है---

"We should like, at the outset, to express our appreciation of the zeal with which the Scheme for the organization of service Co-operatives was pursued in your State. As our study team has observed there was a concentrated drive for setting up service Co-operatives; the officers of the Co-operative and Planning Departments spared no pains ; popular enthusiasm for the Co-operative idea was roused ; and a significant addition was made to the membership and the share capital of these Societies."

यह बात भी बहुत से लोगों ने कही कि एक दिन बैठकर तय कर लिया और दूसरे दिन सबेरे ही सोसाइटी बना दी गयी, यह बिलकुल गलत बात है। लोग खुद वाकफियत करने की कोशिश नहीं करते हैं और अगर कहीं किसी अखबार में कोई गलत बात पढ़ लेते हैं तो उसको ही पढ़ने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर्विस कोआपरेटिव में कोई काम नहीं हो रहा है और पहले की

सोसाइटीज में और अब की सोसाइटीज में कोई फर्क नहीं है लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं उसके खिलाफ किसी सोसाइटी में या किसी सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी में बता दीजिये कि यह बात ठीक नहीं है जो हम कह रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे, जांच करायेंगे और अपने अधिकारियों से भी कहेंगे कि उन्होंने हमें गलत बात किस प्रकार बतायी। इस बारे में हम इवेल्यूएशन कमेटी भी बनाने के लिये तैयार हैं। इसलिये जो कोआपरेटिव्ज बनी हैं वे रीयल बनी हैं, कुछ नयी बनायी गयी हैं तो कुछ पुरानी को रिआर्गेनाइज किया गया है, उनमें दुरुस्ती की गयी है, काम बढ़ाया गया है।

एक पी० एस० पी० के माननीय सदस्य ने यह कहा कि २५ करोड़ रुपया अभी जनता को लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, तब कहां सहकारिता हो गई ? हमने तो कभी यह क्लेम नहीं किया था कि जितने रुपये की आज आवश्यकता है उतना हम कोआपरेटिव के जरिये से दे रहे हैं। हम समझते हैं कि १०० करोड़ रुपया चाहिये कृषि के लिये, बीज और खाद वगैरह को छोड़कर, तब उनका पूरा काम हो सकता है। ३५ करोड़ तक इस साल हम शायद पहुंच जायेंगे और पांच वर्षों के अन्दर ८०, ९०, १०० करोड़ तक पहुंच जायेंगे। तो जो मैंने कहा था उसके माने यह थे कि जितना पैसा चाहिये वह हम नहीं दे रहे हैं। यह रुपया है किसका ? रुपया उन्हीं का है और उन्हीं के पास जाता है। बीच में बैंक की आमदनी जो होती है वह उनकी होती है और सोसाइटी को जो आमदनी होती है वह उनकी होती है। उनका धन सोसाइटी में बढ़ता है, बैंक में बढ़ता है और अपेक्स बैंक में बढ़ता है।

एक साहब ने कहा कि क्या तरक्की की गई, यह तो रिजर्व बैंक वाले रुपया दे देते हैं, इस लिये इतना हो जाता है। रिजर्व बैंक इस साल ११ करोड़ रुपया हमें दे सका। ३५ करोड़ में ११ करोड़ यह है तो २४ करोड़ तो हमारे सूबे के आदमियों का हुआ। इसलिये यह कहना कि कोई प्रगति नहीं है सहकारिता विभाग में, गलत है। वह तो हमारी हैसियत पर देते हैं, हमारे निजी धन पर देते हैं, हमारे शेयर कैपिटल पर देते हैं। अगर शेयर कैपिटल कम हो, "ए" क्लास बैंक कम हो जायं तो कम मिलेगा। हमारे "ए" क्लास बैंक बढ़ जायं तो ज्यादा मिलेगा। इसलिये यह कहना कि डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है, खुद बखुद पैसा रिजर्व बैंक से आ गया, ठीक नहीं है।

एक बात बहुत जोर से यह कही गई कि आफिशियल्डम बहुत ज्यादा है और जो सुपरवाइजर हैं वह गवर्नमेंट का ही आदमी है। माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि यूनियन कैसे बनाई जाती है ? जितने बैंक्स हैं, जहां चुनकर लोग आते हैं, वह रिप्रेजेन्टेटिव्ज आकर यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को चुनते हैं और वही उस काम को चलाते हैं। यह जो डायरेक्टर होते हैं जो चुन कर बैंकों में आते हैं वह, जो सोसाइटीज हैं, उनसे चुनकर आते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि चुनने का काम शुरू में सोसाइटी का ही होता है। वही शेयर होल्डर्स जाकर सेन्ट्रल बैंक में रिप्रेजेन्टेटिव्ज को चुनते हैं और उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज चुनकर यूनियन में आते हैं। तो ऐसी हालत में वह जनता के ही चुने हुए आदमी हैं, दूसरे के नहीं।

जहां तक यह सवाल है कि सुपरवाइजर मनमाना चुनाव कर लेते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जिसमें यह मुश्किल हो जायगा कि वह जो चाहे कर ले। सुपरवाइजर ने ज्यादती की, इसको चुन दिया, उसको चुन दिया, इसमें यह हो जायगा कि जो सही रिप्रेजेन्टेटिव होगा, वही चुनकर आयगा।

आफिसरों की बड़ी दिक्कत है। अगर आफिसर वक्त पर कार्यवाही न करें जहां पर कोई गड़बड़ हो तो उनके खिलाफ कहा जायगा और अगर धरपकड़ करें, देखभाल करें तो भी शिकायत। दोनों तरफ से शिकायत। एक ही तरफ से शिकायत होनी चाहिये। यह तो शिकायत की ही बात है, काम की बात नहीं है।

[श्री मंगलाप्रसाद]

एक हमारे दोस्त ने फरमाया कि सर्विस कोआपरेटिव और मामूली कोआपरेटिव में क्या फर्क है ? अब इसका क्या जवाब दिया जाय, कोई जमीन आसमान में फर्क है ? उसमें हैसियत पर रुपया दिया जाता है और इसमें प्रोडक्शन पर दिया जाता है। जैसा पहले मैंने कहा था, गरीब आदमी को इस तरीके से ज्यादा मिलता है, बड़े आदमियों को जो पहले ज्यादा मिलता था, उनको कम मिलता है। क्योंकि जितनी हैसियत जिस आदमी की होगी उसके पास बैल होगा, जमीन होगी और साधन होंगे उतना काटकर तब दिया जायगा और गरीब किसान के लिये इसमें कुछ नहीं कटेगा और उसको पूरा मिल जायगा। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो गरीब हैं उनको २० प्रतिशत तक और दिया जायगा जिससे उनको खाने-पीने का इंतजाम, जब तक उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक के लिये मिल जायगा। इसलिये इसमें दोनों में बड़ा अन्तर है।

इसके अलावा सभी जगह सर्विस कोआपरेटिव्ज हो जायंगी और कोई और कोआपरेटिव्ज धीरे-धीरे बाकी नहीं रह जायेंगी।

यह सही नहीं है कि बीज भंडारों में गल्ला खराब दिया जाता है। ७५ और ८० फीसदी तो 'ए' क्लास का सीड है। कुछ 'बी' क्लास का सीड होता है। हर साल कुछ 'बी' क्लास का सीड निकाल दिया जाता है। तरीका यह होता है कि बीज भंडारों में जब बीज फसल पर इकट्ठा करते हैं तो उसको बन्द कर दिया जाता है। किसी आफिसर के सामने वह बन्द होता है और खोलते वक्त भी वह किसी आफिसर के सामने खोला जाता है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ा सूद लगता है। लेकिन उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि बीज लेते वक्त जो गल्ला लेते हैं उस वक्त दाम ज्यादा होता है। वह आमतौर से अक्तूबर के महीने में लेते हैं तो उस वक्त काफी दाम होता है और इसलिये बीज लेते वक्त उसको काफी दाम देना पड़ता है और जब देते हैं मई या जून के महीने में तब भाव बहुत गिरा हुआ होता है और इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो यह खयाल बहुत हद तक गलत है कि काफी सूद लिया जाता है।

किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि लेबर सोसाइटीज के बाईलाज नहीं बने हैं तो वह बन गये हैं, तैयार हो गये हैं, शायद हिन्दी में तजुर्मा हो रहा है।

किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्राक्सी लेकर आते हैं। प्राक्सी लाने की कोई प्रथा नहीं है। यह कोई शिड्यूल्ड बैंक नहीं है, कोआपरेटिव बैंक है और यहां प्राक्सी लाने की कोई प्रथा नहीं है।

यह बात सही है कि हाउसिंग सोसाइटीज के सिलसिले में काफी दिक्कतें होती हैं। टाउन प्लानर के यहां से देर में नक्शा पास होता है और बहुत दफा आना-जाना पड़ता है। इसकी दिक्कत जरूरत होती है और इसकी देखभाल की जायगी कि कैसे इस काम में जो देर होती है, जो दिक्कतें होती हैं वह न हों।

माननीय राजनारायण ने यह फरमाया था कि यहां पर सूद कोआपरेटिव बैंक का ज्यादा लिया जाता है यानी १२ फीसदी लिया जाता है। मालूम नहीं कहां से आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किये। यहां पौने नौ फीसदी सूद लिया जाता है और उसके होने पर भी ९६.४ प्रतिशत उसी साल वसूल भी हो जाता है और बाकी बच जाता है ४.६ प्रतिशत। तो सिर्फ अगर ऐसा हो भी कि १२ प्रतिशत उनसे लिया जाता है तो दौड़ाने के लिये ४.६ प्रतिशत लोग ही होंगे लेकिन यह बात नहीं है। हमारा सूद पौने नौ फीसदी से बढ़ने वाला नहीं है। यह बात गलत है कि १२ फी सदी सूद उनसे भी लिया जाता है जिनसे वसूल नहीं होता। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं है और यह गलत है।

साथियो ! माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे कि मैं साथियो कह जाता हूं, कुछ गलत आदत सी पड़ी हुई है जिसकी वजह से अक्सर गलती हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--सुल्तानपुर से वापस आ रहे हैं शायद । (हंसी)

श्री मंगलाप्रसाद--इधर सुल्तानपुर और राय बरेली जाने का मौका हुआ था जिससे आदत खराब पड़ी हुई है और अभी वह कायम है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन से ही इस देश की तरक्की होने वाली है और उसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि जितना पैसा हम चाहते हैं अपने कामों को बढ़ाने के लिये, चाहे कृषि की पैदावार बढ़ानी हो या अन्य धंधा बढ़ाना हो, सब उसी के जरिये से हम हासिल कर सकते हैं । मैंने शुरू में भी कहा था कि आज हमारे सामने सवाल है कि किस तरह से अपने मुल्क की तरक्की करें । आज न तो केन्द्रीय सरकार के पास और न सूबे की सरकार के पास इतना पैसा है कि खेती के लिये जितना धन चाहिये उतना दे सकें । इसलिये हमको अपने साधनों को इकट्ठा करके इसको बढ़ाना है और प्राइमरी यूनिट, जो हमारे गांव हैं, उनको शक्तिशाली बनाना है । यदि इसमें कामयाब हुए तो हमारे गांव सम्पन्न हो जायेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा था कि हम सहकारिता को नहीं चलाना चाहते । कुछ ने यह भी कहा कि हम, जिनके पास खेतीबाड़ी नहीं है, उनको नहीं बढ़ाना चाहते । लेकिन जिन लोगों की जिन्दगी इसमें बीत गई वह इस तरह की भावना रखें इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती । आज हमने जब अपना नया विधान बनाया और यह तय किया कि इस देश के सभी रहने वाल मालिक हैं और सहकारिता के जरिये से इनकी तरक्की हो सकती है । इसलिये एक-एक आदमी के अन्दर वह भावना पैदा करेंगे कि उनकी कमजोरी को निकालेंगे और साधनों को दे करके उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे तभी यह देश सामूहिक ढंग से आगे बढ़ सकता है । अगर इस तरह की भावना हो कि एक इलेक्शन या दो इलेक्शन जीतना हो तो शायद बहुत से लोग जो कभी इस काम में नहीं थे और आज राजनीति में दिखाई पड़ते हैं ऐसे ही हम भी उस वक्त आ गये होते । पहले जब कोई चीज नहीं मिलने वाली थी सिवाय फांसी, जेल और डंडा के तब हम न आते और आज ऊंची-ऊंची बात और लोगों की तरह से करते ।

आज जरूरत है गांवों को ऊंचा उठाने की, उन्हीं के यहां कुछ पैसा जमा करने की व्यवस्था करें ताकि वह अपना काम खुद करें और उसको बढ़ावें । सरकार उनके काम में अपनी छोटी-सी पूंजी जमा करके उनकी मदद करना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है । आज सोसाइटीज में ऐसे लोगों को भी पैसा मिलने की व्यवस्था है जिनके पास खेत नहीं हैं । जो ऐसे भाई हैं जो मजदूरी करते हैं उनके लिये भी कुछ पैसा देने की बात है ।

सरकार लेबर सोसाइटीज बनाना चाहती है चारों तरफ ताकि जिनके पास काम नहीं है उनको काम दिया जाय, और तीन साल के अन्दर ४,००० रुपया उनके काम को बढ़ाने के लिये देना चाहती है तथा ७५० रुपया उनके सामान के लिये देना चाहती है ।

मैं आशा करता हूं जैसे-जैसे ऐसी सोसाइटीज बन जायेंगी, उसकी भी एक मिकदार है, वहां उनको काम दिलाने का जितना प्रयास और कोशिश हो सकती है की जायेगी । इसमें काफी अच्छा काम हो सकता है यदि वहां के बढ़ई, वहां के मिस्त्री, गांव का लेबर, काम करने वाले ये सब मिल कर काम करें और जगह-जगह काम करने के लिये उन्हें ठेका मिल जायगा और जो सरकार का विभाग उन्हें काम देना चाहे वह दे और देने के लिये तैयार अवश्य होगा । अगर इन दोनों का सहयोग हो जाय तो काफी अच्छा काम हो सकता है । मैंने पंजाब में कुछ लेबर सोसाइटीज को काम करते देखा है । वहां का कोआपरेटिव विभाग और इर्रीगेशन विभाग दोनों ही एक ही के चार्ज में थे और इर्रीगेशन विभाग बराबर उन्हें काम देता रहा ।

आम तौर से यह राय थी कि जो काम लेबर सोसाइटीज ने किया वह बहुत अच्छा है और उन्होंने लेबर सोसाइटीज को बड़े-बड़े कन्ट्रेक्ट्स देने शुरू कर दिये । यहां तक कि उन्होंने ओवरसियर्स भी रख लिये, असिस्टेंट इंजीनियर्स भी रख लिये और उनका रहन-सहन का तरीका बड़ा ऊंचा हो गया । उनके सबके लिये मकान हैं, जो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं । उनके अपने स्कूल

[श्री मंगलाप्रसाद]

भी हैं। वे अच्छा कारोबार करने लगे हैं। अगर एक सोसाइटी या १० सोसाइटी बना कर काम हो सकता है किसी प्रान्त में तो यहां भी काम हो सकता है। तो यह कहना कि जिनके पास सामान नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है और वे सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उनको छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़े तो गवर्नमेंट आफ इंडिया और अपनी सरकार कुछ इस घाटे में हिस्सा लेना चाहती है ताकि ऐसे लोगों को भी साधन मिल जायं और कारबार करके वे आगे बढ़ सकें।

इसलिये मुझे आशा है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से सभी लोगों को लेकर इसमें आगे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं उसमें सबका सहयोग होगा, सबकी मदद होगी और जैसा कि किसी एक सदस्य ने कहा था कि इसको अपना एक मन्दिर समझा जाय और जो बेईमानी कर रहे हैं या खराबी कोई कर रहे हैं तो यह समझें कि हम अपने लिये गढ़ा खोद रहे हैं, धार्मिक तरीके से इसे समझा जाय और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें। सेवा, सत्य और बलिदान की भावना को लेकर हम काम करने का प्रयास करें तभी कामयाबी हो सकती है। कामयाबी तो जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन अगर इस भावना से काम करेंगे तो अधिक कामयाबी होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,९९,२०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। यह स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति इनकी नामजदगी के पर्चों के लिये अन्तिम तारीख, जो थी वह २० अप्रैल सायंकाल ५ बजे तक मैंने निश्चित की थी, लेकिन श्री मदन पांडेय, जो प्रजा समाजवादी दल के सचेतक हैं उन्होंने सबसे सलाह करके यह प्रार्थना की है कि दो दिन की तारीख और बढ़ा दी जाय।

इसलिये अब निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि जो २० अप्रैल थी अब वह २२ अप्रैल, १९६१ को ५ बजे तक होगी और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा, जो २२ अप्रैल को होने वाली थी, वह अब २४ अप्रैल को होगी और जो नाम वापसी की अन्तिम तिथि २८ तारीख थी वह वही कायम रहेगी और निर्वाचन अगर आवश्यक हुआ तो वह ४ मई को जैसा पहले था वैसा ही रहेगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ अप्रैल, १९६१।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

१—ट्रेजरी अफसर	..	२५०–२५–४००–८० रो०–३०–५५०–१० रो०–३०–७००–८० रो०–५०–८५०रु० प्रतिमास तथा विशेष वेतन ७५ रु० कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ और लखनऊ के ट्रेजरी अफसर को केवल। यह विशेष वेतन इन जगहों के केवल सीनियर ट्रेजरी अफसर को दिया जाता है।
२—ट्रेजरी हेड क्लर्क	..	१७५–१५–२५० प्रतिमास तथा विशेष वेतन ३० रु० बड़े शहरों में और २० रु० छोटे शहरों में।
३—सहायक ट्रेजरी हेड क्लर्क	..	१००–१०–१५० रु० प्रतिमास।
४—बिल पासिंग क्लर्क	..	८५–६–१४५ रु० प्रतिमास।
५—अन्य क्लर्क	..	६०–४–८०–५–१२० रु० प्रतिमास।
६—सरकारी ट्रेजरार	..	३०० रु० से ४०० रु० तक, जमानत की रकम के अनुसार निश्चित वेतन।
७—तहवीलदार	..	६०–२–७०–३–१०० रु० प्रतिमास।
८—मनी टेस्टर	..	५०–२–६०–३–९० रु० प्रतिमास।
९—स्टैम्प वेन्डर	..	५०–२–६०–३–९० रु० प्रतिमास।
१०—चपरासी	..	२५ रु० प्रतिमास निश्चित वेतन तथा महंगाई भत्ता।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियों पर बनाये जाने वाले बड़े-बड़े पुलों की सूची

क्रम-संख्या	जिला	पुल का स्थान
	वे पुल जिनमें कार्य प्रगति में हैं	
	(१) राष्ट्रीय मार्गों पर	
१	आजमगढ़	राष्ट्रीय मार्ग संख्या २९ में मऊ स्थान पर टोंस नदी पर।
२	गोरखपुर	राष्ट्रीय मार्ग संख्या २८ बर्डघाट में राप्ती नदी पर।
३	मेरठ	राष्ट्रीय मार्ग संख्या २४ के ५४वें मील में गढ़-मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर।
	(२) बेकारी निवारण योजना के अन्तर्गत	
१	अल्मोड़ा	बागेश्वर-अस्कोट मार्ग में बागेश्वर स्थान पर सरयू नदी पर।
२	अल्मोड़ा	कपकोट-तेजम मार्ग में रामगंगा नदी पर।
	(३) पिछड़े क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत	
१	गोंडा . ..	बलरामपुर में राप्ती नदी पर।
२	बहराइच	भिंगा-बरधरा मार्ग पर राप्ती नदी पर।
	(४) बाढ़ योजना के अन्तर्गत	
१	खीरी	गोला-शाहजहांपुर मार्ग में गोमती नदी पर।
	(५) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत	
१	गढ़वाल	मोहन-डुमैल-बैजराव सड़क में रामगंगा नदी पर।
२	सुल्तानपुर	फैजाबाद-रायबरेली मार्ग के ३३वें मील में आम-घाट पर गोमती नदी पर।
३	गोंडा	बाराबंकी-गोंडा मार्ग में सरयू नदी पर।
४	जौनपुर	बाराबंकी-आजमगढ़ मार्ग में चन्दवक स्थान पर गोमती नदी पर।
५	गढ़वाल	कर्णप्रयाग-द्वाराहाट सड़क में रामगंगा नदी पर।

क्रम-संख्या	जिला	पुल का स्थान
६	आजमगढ़ ..	.. इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग के १०२ वें मील में टोंस नदी पर।
७	बलिया ..	.. वाराणसी-बलिया मार्ग में टोंस नदी पर।
८	बरेली ..	.. बरेली-मथुरा मार्ग के ७ वें मील में रामगंगा नदी पर।
९	अल्मोड़ा ..	.. अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग में गोमती नदी पर।
१०	मथुरा ..	.. मथुरा-राया सड़क में यमुना नदी पर।

वे पुल जिनमें कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

(१) राष्ट्रीय मार्गों पर

१	आगरा ..	.. ताजमहल के दक्षिण की तरफ यमुना नदी पर।
२	वाराणसी ..	.. मोहाना में गोमती नदी पर।
३	फैजाबाद ..	.. अयोध्या में सरयू नदी के ऊपर।

(२) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत

१	झांसी ..	.. नौटघाट पर बेतवा नदी पर।
२	मुजफ्फरनगर	.. यमुना नदी पर (पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर।)
३	देहरादून ..	.. मंसूरी-लखवर मार्ग के १३वें मील में यमुना नदी पर।

(३) सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

१	अल्मोड़ा ..	.. भिकियासेन-गनाई मार्ग में गगास नदी पर।
२	सुल्तानपुर ..	.. कादिरपुर-चन्दा सड़क के चौथे मील में गोमती नदी पर।
३	बदायूं ..	.. बिसौली-बुधाना सड़क में सोत नदी पर।
४	फर्रुखाबाद ..	.. छिबरामऊ-फर्रुखाबाद सड़क में काली नदी पर।
५	मुरादाबाद ..	.. चन्दौसी-सम्भल मार्ग में सोत नदी पर।
६	सीतापुर ..	.. सीतापुर-हरदोई मार्ग के २१ वें मील पर गोमती के पुल का पुनर्निर्माण।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ७४३)

सूची

नगरपालिका, झांसी और झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, झांसी के द्वारा प्रति वर्ष स्ट्रीट लाइट के रेट (१९५३ तक के एग्रीमेंट के अनुसार)

लैम्प का वाटेज	रेट प्रतिवर्ष	प्रकाश के घंटे (बर्निंग अवर) प्रति वर्ष	१,८०० घंटे के उपरान्त बत्ती जलने पर प्रति १०० घंटे या उसके भाग पर	
			रु०	आना
३० वाट ..	..	२४.००	१,८००	१	२
४० वाट ..	..	३२.००	१,८००	..	..
६० वाट ..	..	४८.००	१,८००	२	०
१०० वाट ..	..	७०.००	१,८००	३	४
१५० वाट ..	..	८०.००	१,२००	..	..
२०० वाट ..	..	१०५.००	१,२००	..	..
३०० वाट ..	..	१६०.००	१,२००	..	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६५ एल० ए०—१९६१—८४५ ।